वार्षिक अंक

DIVISION
LIBRARY

हे [illegible] ! तुम्हें शत शत प्रणाम।

# सम्पादकीय

## पंचायती राज की ओर नया कदम

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में लोकतन्त्र की स्थापना के लिए जो संविधान बनाया गया उसमें पंचायती राज को वह स्थान नहीं दिया गया जो उसे मिलना चाहिए था। गांधीजी के ग्राम राज की कल्पना में पंचायती राज को प्रमुख स्थान प्राप्त था परन्तु संविधान निर्माताओं ने गांधी जी की इस बात को भुला दिया और संविधान सभा के अध्यक्ष के कहने सुनने पर संविधान में पंचायती राज सम्बन्धी जो धारा जोड़ी गई वह भी बड़ी ढिलमिल थी और उसके आधार पर देश में सही माने में व्यापक पंचायती राज की स्थापना संभव न थी। फिर भी उक्त धारा के आधार पर राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का गठन किया।

इन पंचायती राज संस्थाओं को छोटे मोटे अधिकार भी सौंपे गए परन्तु उनका जो रूप सामने आया उससे न तो ये विकास कार्यों में सहयोगी बन सकीं और न इनसे लोगों को सच्चा न्याय मिल सका, जैसा कि गांधी जी चाहते थे, बल्कि गांवों में इनसे झगड़े-फिसाद ज्यादा फैले, पार्टी-बन्दी का विष फैला और गांवों का जीवन नर्क बन गया।

इस दुःखद स्थिति को ध्यान में रख कर समय समय पर देश में पंचायती राज की समीक्षा भी की गई। बलवन्त राय मेहता समिति ने इसे सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव भी दिए और उन्हें अमल में भी लाया गया परन्तु जिस इमारत की बुनियाद ही कमजोर हो उसे सुदृढ़ और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है।

पंचायती राज को मरणासन्न स्थिति में देख कर फिर हमारे कर्णधारों का ध्यान इसकी ओर गया और अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट अब हमारे आगे है और इसकी सिफारिशों में मूल भावना यह है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर पंचायती राज को संस्थागतरूप प्रदान किया जाए। समिति ने अपनी सिफारिशों में यह भी कहा है कि संविधान में संशोधन कर राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को और अधिकार दिए जाएं। समिति का एक मुख्य सुझाव यह है कि ग्राम पंचायतों की जगह मंडल पंचायतों की स्थापना की जाए तथा जिला परिषदों को मजबूत बना कर जिलाधीश सहित जिला स्तर के सभी अधिकारियों को अन्ततः उनके अधीन रखा जाए।

समिति के सुझावों की मूल भावना के अनुरूप यदि राज्य सरकारें अपने कुछ अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को सौंपती हैं तो केन्द्रीय सरकार को भी कुछ अधिकार राज्य सरकारों को सौंपने पड़ेंगे।

इसमें शक नहीं कि अशोक मेहता समिति की सिफारिशें काफी महत्वपूर्ण हैं और यदि इनको अमल में लाया जाए तो देश में पंचायती राज का कायापलट होगा। परन्तु जहां तक ग्राम पंचायतों की स्थापना को भंग कर मंडल पंचायतों की स्थापना के सुझाव का सम्बन्ध है, यह कुछ विवाद का विषय हो सकता है। गांधी जी की कल्पना में ग्राम राज की मूल इकाई गांव ही रहा है। ग्राम पंचायतों की समाप्ति का अर्थ मूल इकाई को ही समाप्त करना है। अतः जरूरी है कि ग्राम पंचायत की स्थापना को बनाए रखा जाए। ●

मज़दूर मंज़िल

**'कुरुक्षेत्र'** के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र, फोटो आदि भेजिए। भाषा सरल हो और रचना का आकार 'कुरुक्षेत्र' के दो-ढाई पृष्ठ से अधिक न हो।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

●

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी), कृषि और सिंचाई मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

●


दूरभाष : 382406

एक प्रति 50 पैसे — वार्षिक चंदा 5.00 रु०

**सम्पादक :** महेन्द्र पाल सिंह

**उपसम्पादक :** पारसनाथ तिवारी, कु० शशि चावला

**सम्पादन सहायक :** मोहन लाल कक्कड़

**आवरण पृष्ठ :** आर० सारङ्गन


# कुरुक्षेत्र


वर्ष 23    कार्तिक 1900    अंक 12


**इस अंक में**    **पृष्ठ संख्या**


वेद में भूमि की बंदना अर्थात् उसका महत्व . . . . . 2
**डा० पी० शरण**

दस करोड़ प्रौढ़ों को साक्षर बनाने की योजना . . . . 4
**राधे श्याम शर्मा**

काम के लिए भोजन कार्यक्रम . . . . . 6
**जी० वी० के० राव**

पूर्ण रोज़गार के साथ समन्वित ग्रामीण विकास . . . . 9
**आर० एन० आजाद**

समन्वित विकास में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की भूमिका . . 15
**वी० बी० एल० माथुर**

ग्रामीण क्षेत्र के लघु व कुटीर उद्योगों के विकास का आधार: जिला उद्योग केन्द्र 20
**श्री वी० गणपति**

राष्ट्र की धमनियां हमारी सड़कें . . . . . 22
**आर० बी० एल० गर्ग**

प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ मनोविज्ञान . . . . . 24
**रुप नारायण कालरा**

पूर्ण ग्राम विकास का नया कार्यक्रम . . . . 27
**एस० के० काव**

गरीबी के अंधेरे से उभरती उजली रेखा: अन्त्योदय योजना . . 28
**जगमोहन लाल माथुर**

मुर्गीपालन से पोषण भी और रोजगार के अवसर भी . . . . 31
**बसन्त कुमार**

बाल श्रमिकों के हितों की सुरक्षा . . . . . 33
**डा० राम कृपाल सिंह**

सर्दी ने मेहनत के खोले हैं द्वार (कविता) . . . . 34
**जगदीश चन्द्र शर्मा**

गांवों में शिक्षा तो चाहिए, पर ऐसी नहीं . . . . 35
**क्षितीश बेदालंकार**

ग्राम सुधार में कृषि का योग . . . . . 36
**डा० रामगोपाल चतुर्वेदी**

कृषि उत्पादन के नए क्षितिज . . . . . 39

ग्राम स्वास्थ्य योजना : कार्यान्वियन और मूल्यांकन . . . 41

प्रेरणा के स्रोत (कहानी) . . . . . 43
**श्रीराम शर्मा "राम"**

सोलह दूनी आठ (रूपक) . . . . . 46
**चन्द्र दत्त 'इन्दु'**

पहला सुख निरोगी काया: . . . . . 49
**डा० वी० पी० मिश्र**

साहित्य समीक्षा . . . . . . 50

# वेद में भूमि की वंदना अर्थात् उसका महत्व

डा० पी० शरण

[हमारे जीवनयापन की आवश्यकताओं के हेतु क्या कोई भी वस्तु ऐसी है जो भूमि के गर्भ से हमें प्राप्त न होती हो। इसी से हमारे मनीषियों ने इसे रत्नगर्भा कहा है। वेद में इसीलिए भूमि की वन्दना की गई है। इस लेख के लेखक डा० पी० शरण उस्मानिया विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति हैं और इतिहास तथा वेदों के मर्मज्ञ विद्वान हैं]

वेद के अनेक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं शिक्षाप्रद सूक्तों का पूरी तरह अध्ययन करने से हमें विदित होगा कि अर्थव वेद के भूमि सूक्त के द्वारा मनुष्य मात्र को यह बताया गया है कि भगवान् की सृष्टि में जल, वायु तथा पृथ्वी ये तीन तत्व ऐसे हैं जिनके बिना जीव-मात्र जीवित नहीं रह सकता। एक बार एक बड़े विद्वान् महानुभाव ने मुझसे कहा कि ये हिंदू लोग, मिट्टी से हाथ मल कर क्यों धोते हैं? मिट्टी में क्या कोई साबुन जैसा गुण है जो गंदगी की सफाई कर सके। उनके कथन में हिंदुओं की इस प्रथा के प्रति बड़ा तिरस्कार का भाव था और वे अपने को बुद्धिमान् मान कर हिंदुओं की इस मूर्खता पर हंसते थे। मैंने उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि मानव मात्र ही नहीं, जीव मात्र अनेक प्रकार की गंदी से गंदी वस्तुओं को बाहर निकालता है। अनगिनत वस्तुएँ जो गल सड़ कर वायु को दूषित करती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं उन को धरती में गढ़े खोद कर दबा दिया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब कोई पशु पक्षी, जो पालतू हो, मर जाता है तो उसके शव को जमीन में दबा दिया जाता है। हम लोग जिसको खाद कहते हैं वह क्या है? हर प्रकार की बेकार चीजों को कुछ दिन के लिए मिट्टी के अन्दर दबा देने से उन के जितने तत्व हैं वे सब विश्लेषित हो जाते हैं और जिस प्रकार का बीज हम भूमि में डालते हैं वह अपने अनुकूल तत्वों को खींच कर प्रस्फुटित हो जाता है। विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर भूमि को पृथ्वी माता क्यों कहा गया है। हमारे जीवन यापन की आवश्यकताओं के हेतु क्या कोई भी वस्तु ऐसी है जो भूमि के गर्भ से हमें प्राप्त न होती हो। इसी से हमारे मनीषियों ने इसे रत्नगर्भा कहा है। उन्होंने गहरा विचार करके देखा कि जिस प्रकार बालकों की माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है उससे कहीं अधिक मात्रा में हमारी भूमि हम सब का पालन-पोषण करती है। गरीब से गरीब आदमी की कुटिया के निर्माण के फूस, पत्तों से लगाकर बड़े-बड़े महलों, किलों, प्रासादों एवं नगरों के निर्माण की अनेक प्रकार की सामग्री तथा उनके साज-सज्जा की वस्तुएँ सभी तो अन्ततोगत्वा हमारी धरती की ही देन हैं।

**पतितपावनी** : हमारी यह भूमि पतित पावनी भी है। हमने ऊपर अपने एक विद्वान् मित्र के कुतूहल की चर्चा की है। उन्हें हिंदुओं की इस बात पर आश्चर्य होता था कि हिन्दु लोग मिट्टी से मल कर अपने बरतन-भांडों को पवित्र करते हैं और उसी प्रकार साबुन के स्थान पर मिट्टी से ही शौचादि के बाद हाथ साफ करने की क्रिया करते हैं। मैंने उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि हर प्रकार की गन्दी से गंदी वस्तु धरती में मिलकर थोड़े दिन में मिट्टी बन जाती है। उसके दुर्गन्ध आदि सब अवगुणों को भूमि अपने उदर में पचा कर पवित्र कर देती है। फ़ारसी की एक कहावत है कि हर चीज़ जो नमक की खान में पड़ जाती है नमक बन जाती है।

हम सब जानते हैं कि चीड़फाड़ वाले अस्पतालों में से प्रतिदिन कितनी गन्दी रुई, कपड़े इत्यादि जो निकलते हैं वे सब मिट्टी में दबा दिये जाते हैं। इन सब बातों को देख कर साइंस के कुछ विद्वानों को यह प्रेरणा हुई कि मिट्टी का विश्लेषण करके यह देखा जाए कि हमारी भूमि के अन्दर कौन से ऐसे तत्व हैं जिन से उसमें यह शक्ति है कि हर दुर्गन्धयुक्त वस्तु को अपने उदर में लेकर पवित्र कर देती है, हर विषैली वस्तु को निगल कर अमृत बना देती है। यह प्रश्न अनेक विचारशील पुरुषों के माथे में अकसर उठा करता है। पर जहां तक इस लेखक को ज्ञात है इसका कोई संतोषप्रद उत्तर अभी तक किसी को अवगत नहीं हुआ है। भूमि या पृथ्वी के इन्हीं अनेक गुणों के कारण इस देश के प्राचीन विचारकों व मनीषियों ने इसे अनेक नामों से पुकारा है। पृथ्वी, धरती, वसुमती, वसुंधरा, भूमि इत्यादि नाम उसके विभिन्न गुणों के द्योतक हैं।

## मानव समाज के मौलिक नियम

ऐसे धराधाम के प्राचीन निवासियों को अपने को सुसंगठित करने की प्रेरणा हुई कि इसी के द्वारा वे वैयक्तिक व सामाजिक जीवन को सफल एवं उपयुक्त बना सकेंगे। उनको यह प्रेरणा आध्यात्मिक शक्ति के पुंज से ही प्राप्त हुई इस तथ्य से किसी विचारशील मनुष्य को इन्कार नहीं हो सकता। उनके ये नियम सार्वभौम थे। इनके द्वारा समाज का कोई भाग भी संगठित किया जा सकता था और सदैव किया जा सकेगा क्योंकि ये नियम शाश्वत हैं, मौलिक हैं। इस प्रकार समाज को नियमित रूप से संचालित करने के हेतु उन्हें भूमि के सूक्त का साक्षात्कार हुआ।

**मातृ भूमि का बोध** : इस वसुंधरा के भिन्न भिन्न भागों अथवा प्रदेशों के निवासियों के हितार्थ छः तत्वों को लागू करने की शिक्षा इस सूक्त के पहले मंत्र द्वारा दी गई है। ये तत्व राष्ट्र के मूल आधार हैं :—

ये इस मंत्र के द्वारा प्रसारित किए गए हैं :—

सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षातपो ब्रह्म यज्ञः
पृथवीं धारयन्ति। सा नो भूतस्य भव्यस्य
पत्न्युरुं लोकं पृथ्वी नः कृणोतु ॥

महान सत्य, उग्र ऋत अर्थात् वह शाश्वत शक्तिधर, ध्रुव, अटल नियम

जो समस्त संसार पर अधिकारी है, जिसके शासन में समूचा विश्व प्रचलित होता है, दीक्षा, सत्य एवं ऋत को यथाशक्य समझने व जानने के लिए निष्ठा व समर्पण की जरूरत है ताकि उस उग्र नियम के अनुसार जीवन यापन करें, तप, वह शक्ति जिससे हर प्रकार की कठिनाई, गहनातिगहन समस्या का धैर्यपूर्वक समाधान करने की क्षमता उत्पन्न होती है: तप से ही मनुष्य के अन्दर शौर्य का संचार होता है, ब्रह्म, नाम वेद का भी है जिसके ज्ञान से ही मनुष्य को संसार, समाज एवं जीवन की वास्तविकता अथवा उसके मूल्य का ज्ञान होता है, ब्रह्म, अन्तिम सत्य का भी द्योतक है । उसी के ज्ञान से हमारा जीवन ऋत व सत्य मार्ग पर बना रहता है । यज्ञ, का अर्थ सामान्य रूप से कर्मकांड, पूजा पाठ समझा जाने लगा है । किंतु वैदिक शिक्षा के अनुसार मनुष्य का समूचा जीवन ही एक यज्ञ है, समर्पण है, इसे यज्ञ मान कर ही चलना हमारा मूल कर्त्तव्य है । यजुर्वेद के एक मंत्र में मनुष्य यह संकल्प करता है कि मेरी आयु, प्राण, चक्षु, श्रोत, मन आदि सब ही यज्ञ के लिए अर्थात् जन सेवा के हेतु समर्पित हों । (यजु० 18—19) ।

**मौलिक तथ्यों का आधार** :—उपर्युक्त मंत्र में यह बतलाया गया है कि यह पृथ्वी अर्थात् राष्ट्र और समाज इन्हीं मौलिक तत्वों पर आधारित हैं । साथ ही यह भूमि हमारे उन सब पराक्रमों तथा उपलब्धियों की मालिक है और उनकी भी जो भविष्य में हम उपार्जन करेंगे तथा निर्माणात्मक सफलताएं प्राप्त करेंगे । यह भूमि जिस पर अनेक प्रकार की शक्तिशाली एवं बल प्रदान करने वाली औषधियां, अर्थात्, साग-पात, फल फलाहार, खनिज वस्तुएं भरपूर हैं और हमारे सुख व समृद्धि के लिए उपलब्ध हैं, हमारे हेतु और भी विस्तीर्ण हों यह प्रार्थना मनीषियों ने सर्वसामान्य के हितार्थ की है । अर्थात्, उपर्युक्त वस्तुएं अधिकाधिक मात्रा में दिन प्रतिदिन मिलती जाएं । अभिप्राय: यह है कि हम लोग अर्थात् मानव समाज अपने श्रम तथा बुद्धि के प्रयोग से इस भूमि पर सुख-साधनों का विस्तार करता जाए । इस विस्तार का लाभ तभी ही है जब हमारे अन्दर इस का इस्तेमाल करने की क्षमता हो कि हम आज के दिन इस वैज्ञानिक उन्नति के युग में देख रहे हैं कि अनेक बहुमूल्य वस्तुएं भूमि के गर्भ से निकाली जा रही हैं परन्तु तो भी इस का भंडार खाली होने वाला नहीं है ।

इस सूक्त के दूसरे मंत्र की अधिक स्पष्ट रूप से अगले मंत्रों में मातृ-भूमि के अनगिनत गुणों की सविस्तार व्याख्या की गई है । उसमें बतलाया गया है कि यह भूमि मानव जाति के विभिन्न रंगों को एकता में बांधे हुए है । इस के नीचे मैदानों, ऊंचे पर्वतों, घाटियों, जंगलों के निवासी सब ही सुख से रह सकते हैं क्योंकि यह सब का पालन करती है । साथ ही इसके समुद्रों, नदियों तथा अन्य जलाशयों से भी हम पूरा लाभ उठाते हैं। फिर प्रार्थना करते हैं कि मानव अपने पूर्वजों द्वारा उपार्जित की हुई सम्पत्ति का भली प्रकार फायदा उठावें अर्थात् परस्पर सहयोग, सहानुभूति तथा सामूहिक श्रम के साथ कार्य करके समाज को उत्कर्षोन्मुखी बनावें । इसी तथ्य की शिक्षा ऋषि दयानंद ने अपने 9वें नियम में दी है। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए । यदि वेद तथा आप्त महापुरुषों की इस उत्तम शिक्षा का मनुष्य मात्र पालन करे तो किसी को कष्ट होने की संभावना ही न रहे । इन्हीं गुणों के आधार पर भूमि की माता से तुलना की गई है । जिस प्रकार एक माता के बालक परस्पर सहयोग से रह कर, और ईर्षा द्वेष, स्वार्थ, संकुचित भावों जैसे हानिकारक दुर्गुणों से बच कर ही सब की सुख शान्ति को सम्भव बना सकते हैं उसी प्रकार इस मातृ भूमि के पुत्र भी जो भिन्न-भिन्न प्रदेशों में रहते हैं, सब की उन्नति में अपनी उन्नति के मूल मंत्र का पालन करें न कि केवल अपने भोग-विलास को ही परम आवश्यक समझें, । इस प्रकार राष्ट्रों अथवा विभिन्न जातियों, अनेक फिरकों आदि आदि जो मानव समाज के आवश्यक अंग हैं, उनमें परस्पर कलह, संघर्ष आदि कभी न होंगे । यह ध्यान देने की बात है कि जहां मातृ-भूमि की अनेक वस्तुओं का विस्तार किया गया है वहां चौथे मंत्र में विशेष रूप से गऊ के लिए याचना की गई है । इससे यह प्रतीत होता, है कि भूमि के साथ-साथ गऊ और खेती जो हर प्रकार से गायों और गाय के बछड़े-बछड़ियों पर निर्भर थी और रहेगी, का कितना महत्व वैदिक मनीषियों ने समझा था । इसी तथ्य को फिर से आज के दिन महात्मा गांधी ने उजागर किया है । इसी मौलिक सिद्धान्त की भित्ति पर हमारे आर्थिक जीवन, हमारी समूची अर्थनीति का निर्माण होना चाहिए । इसके द्वारा ही समाज का कल्याण हो सकता है ।

**सबसे बड़ी भूल:** अर्थ सम्बन्धी योजनाओं एवं अर्थ विज्ञान के सिद्धांतों, क्रियात्मक व्यवस्थाओं, अनेक प्रकार के संघटनों के निर्माण में जो मौलिक भूल आधुनिक युग में हुई, जो विशेष रूप से औद्योगिक तथा तकनीकी क्रान्ति के फलस्वरूप हुई, वह यही थी कि हम यह भूल गए कि आर्थिक उन्नति व संघर्ष का एक मात्र उद्देश्य मानव को सुखी बनाना है किन्तुइसके ठीक उलटा औद्योगिक उन्नति करने वाले राष्ट्रों या वर्गों ने मनुष्य को सर्वथा भुला कर अर्थ संचय करना और धनपतियों की सुख सम्पत्ति, उनके भोग विलास को ही आर्थिक व सामाजिक उत्कर्ष का उद्देश्य मान लिया और समस्त राष्ट्र अंधे होकर इसी प्रतिस्पर्धा में लग गए ; इसका परिणाम यह हुआ कि मानव समाज के एक थोड़े से वर्ग के हाथ में वह समूची सामग्री आ गई जो मातृ भूमि ने समूची मानव जाति के लिए प्रदान की है । मानस के सुख सम्पदा व उत्कर्ष के स्थान पर समाज ने अर्थ, भोग विलास, चमक दमक इन्हीं चीजों को मानव जीवन का परम ध्येय मान लिया ।

अगर वेद के भूमि सूक्त की इन शिक्षाओं को हमने न भुला दिया होता और उन पर समझदारी दूरदर्शिता तथा सहयोग बुद्धि से आचरण किया होता तो संसार के विभिन्न प्रदेशों, राष्ट्रों आदि में जो आज घातक संघर्ष चलता आया है

उसकी मात्रा न्यूनतम तो हो ही जाती, इससे किसी को इन्कार नहीं हो सकता।

आगे चलकर यह प्रार्थना है कि दुष्ट प्रकृति के लोग जो हरेक समाज में पैदा हो जाते हैं और जो अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के हेतु समाज को हानि पहुंचाने में ही अपने उद्देश्य की पूर्ति मानते हैं, उनसे हम किसी प्रकार भी परास्त न होकर उनका संहार कर सकें।

आधुनिक युग की पतित एवं बुद्धि- हीन सभ्यता का विश्लेषण एक महान् पाश्चात्य विचारक ने इस प्रकार किया है तथा मनुष्य जाति को चेतावनी दी है। उसने कहा है कि 'हमारे' अर्थात् (आधुनिक राष्ट्रों के) आदर्श नासमझी पर आधारित हैं। हमने भोग-विलास या शारीरिक आराम को ही सभ्यता का नाम दे दिया है और जीवन के प्रत्येक अंग में सद्गुणों व उत्तमता के स्थान पर सम्पदा की मात्रा को अधिक महत्व दिया है। यहां तक कि स्तुति प्रार्थना अथवा धार्मिक भावों को भुला कर हम अपने आर्थिक लाभों को संभालने और उनके आंकड़ों को गिनाने में ही अपना परम धर्म मानते हैं। ये महानुभाव इंग्लैण्ड के सेंट पाल के बड़े गिरजे के 'डीन' (प्रमुख) श्री 'इंग' हैं। उन्होंने विशेषरूप से अपने देशवासियों को संबोधित करके कहा है कि समय आ गया है जब अंग्रेज जाति को अपना ध्यान हीन और तुच्छ वस्तुओं से हटा कर उत्कृष्ट, सांस्कृतिक मूल्यों की तरफ लगाना होगा। उनको उन मूल्यों एवं वस्तुओं की ही आकांक्षा करनी चाहिए जिन में ये मौलिक सिद्धांत हों कि हमारे निजी लाभ से किसी दूसरे की हानि न हो। इसके प्रतिकूल जो कोई भी लाभदायक कार्य हो उसमें सबका ही हिस्सा हो, किसी का नुक्सान न हो। डीन इंग का कहना है कि इसके साथ ही यह ध्यान रखो कि तुम्हारे व्यक्तित्व से उन सब को जो तुम्हारे निकटतम हैं आराम और प्रसन्नता ही प्राप्त हो। डीन इंग कहते हैं कि गांव की उस निर्दोष सीधी-सादी लड़की ने, जो अपने खेत में से एक फूल तोड़ कर बालों को सजा लेती है, जीवन के मर्म को एवं उसके सौन्दर्य को उन सब तथाकथित फिलासफरों से अधिक अच्छी तरह समझा है जो जीवन को दुखात्मक मान कर रोते ही रहते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त भूमि सूक्त में सादा ग्रामीण जीवन का उपदेश दिया गया है जिसमें व्यर्थ की चमक-दमक न हो। हर मनुष्य अपने जीवन को जाति के लिए और सर्वसाधारण की उन्नति तथा सुख के हेतु समर्पित करे। हमारे ग्रामों का पवित्र व सादा-जीवन जो एक परिवार के अनुरूप ही माना जाता था, इसी आदर्श का एक उत्तम उदाहरण होता था। अतः आज के दिन हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम ग्रामीण जीवन को फिर से जाग्रत करें और अपना ध्यान तथा प्रयास उसी तरफ मोड़ें। महात्मा गांधी का इसी शिक्षा पर सबसे अधिक बल था। ●

अवकाशप्राप्त, उपकुलपति,
उस्मानिया विश्वविद्यालय,
ए० ४० सूर्यनगर, पो० चिकम्बरपुर
गाजियाबाद उ० प्र०

# दस करोड़ प्रौढ़ों को साक्षर बनाने की योजना

**राधेश्याम शर्मा**

**देखो। यह पढ़ने में कितनी व्यस्त हैं।**

भारत में प्रजातन्त्र शासन पद्धति की सफलता के लिए सभी नागरिकों का शिक्षित होना अनिवार्य है। चूंकि अब तक स्थिति ऐसी नहीं रही, इसलिए इस पद्धति का लाभ देश की अधिकांश जनता को प्राप्त नहीं हो सका। जनता सरकार के गठन के तुरन्त बाद सिद्धान्त रूप से यह निर्णय लिया गया था कि यथाशीघ्र देश के करोड़ों प्रौढ़ लोगों को शिक्षित किया जाएगा। विधिवत

रूप से यह निर्णय केन्द्रीय मन्त्रिमंडल ने 20 जून, 1978 की बैठक में ले लिया है।

जनता सरकार इस वर्ष दो अक्तूबर से देश में प्रौढ़ शिक्षा का श्रीगणेश करने जा रही है। सरकार ऐसा करके देश के जनमानस को एक सशक्त अधिकार प्रदान कर देगी जिससे वह स्वयं की तथा अपने राष्ट्र की सार्वभौमिकता को समझ कर उससे लाभान्वित हो सकेगी।

योजना के अनुसार छठी योजना में केन्द्र सरकार ने दो सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। पांच वर्ष की इस अवधि में लगभग साढ़े 6 करोड़ प्रौढ़ लोगों को शिक्षित किया जाएगा। उसके अगले कुछ वर्षों में यह संख्या दस करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस योजना के अधीन 15 से 35 वर्ष के प्रौढ़ शिक्षा पाने के हकदार होंगे।

29 जून, 1978 को केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रो० प्रताप चन्द्र चुन्द्र ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को भली प्रकार से सफल बनाने के लिए देश के राजनीतिक एवं स्वयं सेवी संगठनों से भरपूर सहयोग देने का आग्रह किया है। मन्त्रि महोदय ने ऐसे सभी संगठनों को सुझाव दिया है कि वे अपने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से पूरी तरह से जोड़ लें। जो संगठन उक्त शिक्षा में सहयोग के लिए तत्पर होंगे उन्हें केन्द्र अथवा राज्य सरकारों से अनुमति ग्रहण करनी होगी।

## केन्द्रीय सरकार से अनुदान

केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी मान्यता प्राप्त संगठनों को आर्थिक अनुदान दिया जाएगा जो कुल मिलाकर इस प्रकार रहेगा—ऐसी एजेंसियों के कुल प्रशासनिक खर्चे का 75 प्रतिशत व्यय सरकार वहन करेगी तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए 100 प्रतिशत खर्च सरकार वहन करेगी। प्रशासनिक मद में निदेशक व उनके सहकर्मियों के वेतन शामिल होंगे जबकि अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत परियोजना का व्यय, भवन की लागत, आने-जाने का व्यय तथा अन्य वे सभी खर्चे शामिल हैं जो शिक्षा देने के दौरान खर्च किए जाएंगे।

जाहिर है कि केन्द्रीय सरकार प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को हर सम्भव सहयोग देकर इसे पूरी तरह से सफल बनाना चाहती है। तो यूं कहने को पिछली सरकार ने भी अनेक अवसरों पर प्रौढ़ शिक्षा आरम्भ करने की योजना बनाई थी लेकिन पूरे हृदय से योजना न चलाने के कारण इस दिशा में कुछ भी ठोस कार्य नहीं हो पाया।

उपर्युक्त स्थिति का फल यह निकला कि देश में पढ़े लिखों की संख्या जिस संख्या तक बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी। वर्ष 1971 के आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या का केवल 29.42 प्रतिशत भाग ही शिक्षित हो पाया। जहां तक महिलाओं का प्रश्न है उनकी संख्या तो और भी कम रही। देश की कुल महिलाओं का 19 प्रतिशत भाग ही पढ़ लिख सका। शेष बड़ा भाग आज भी निक्षरता के अन्धकार में भटकता रहा है।

27 मई, 1978 को प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने गुजरात विद्यापीठ के प्रांगण में आयोजित 'प्रौढ़ शिक्षा' सम्मेलन में इस बात पर दुख व्यक्त किया था कि महिलाओं को शिक्षित बनाने में अभी पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दो अक्तूबर से आरम्भ होने वाले प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विश्व में सबसे अधिक निरक्षर भारतवर्ष में हैं। भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों में साक्षरता के अनुपात में बड़ी भिन्नता है। सिक्किम प्रान्त म जहां 85 प्रतिशत आबादी निरक्षर है, वहां केरल में अनपढ़ों की संख्या केवल 30 प्रतिशत रह गई है। जम्मू-कश्मीर में 91 और बिहार में 80 प्रतिशत लोग अभी भी शिक्षा से मीलों दूर हैं।

इस स्थिति में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाने वालों को केरल की अपेक्षा बिहार और सिक्किम प्रदेशों में अधिक ध्यान देना होगा। यदि एक ही रफ्तार से राष्ट्रव्यापी यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया तो इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकेगा।

वर्ष 1960 में मांट्रियल में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अवसर पर स्वयंसेवी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आग्रह किया गया था कि वे पिछड़े देशों में लोगों को शिक्षित करें लेकिन अफसोस कि इस दिशा में ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सका। वर्ष 1972 में जापान की राजधानी टोक्यो में भी एक ऐसा ही सम्मेलन आयोजित किया गया लेकिन उस सम्मेलन के प्रस्तावों का लाभ भारत वर्ष को नहीं मिल सका।

## संचार माध्यमों का उपयोग

'दूरदर्शन' भारत में दिन-प्रतिदिन अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। रेडियो की भांति इसका कार्यक्षेत्र भी काफी हितकारी साबित हुआ है। प्रौढ़ शिक्षा नीति के अंतर्गत अब अधिकारियों को चाहिए कि वे इन सशक्त माध्यमों का भरपूर उपयोग करें; 'साइट' कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए दूरदर्शन कार्यक्रम का ग्रामीण क्षेत्र में विशेष कर महिलाओं ने काफी लाभ उठाया। अब यदि प्रौढ़ों को इस माध्यम से शिक्षा दिला दी जाए तो इसका उन्हें भरपूर लाभ मिलेगा।

इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी कठिनाई शिक्षा स्तर एवं उसके तरीकों की तुलना की है। पहली बात तो यह है कि अशिक्षा के आधार पर एक राज्य दूसरे राज्यों की अपेक्षा कुछ भिन्नता लिए हुए है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा देने वाले अनेक स्तर के लोग इस कार्य में योगदान करेंगे। उदाहरण के लिए यदि एक स्थान पर विश्वविद्यालय का प्रवक्ता स्वेच्छा से शिक्षा देगा तो दूसरे स्थान पर अवकाश प्राप्त सैनिक भी यही कार्य कर रहा होगा। जाहिर है, दोनों के स्तर में बहुत अन्तर होगा। इसलिए आवश्यकता इसबात की है कि प्रौढ़ों को शिक्षित करने वालों को भी एक जैसा पाठ्यक्रम एवं शिक्षा-पद्धति का ज्ञान कराया जाए।

राजनीतिक दलों से सम्बद्ध जिन युवा संगठनों का सहयोग इसमें लिया जा रहा है, उन पर भी कड़ी नजर रखनी होगी जिससे शिक्षा में कहीं राजनीति प्रवेश न कर जाए।

जहां तक इस अभिनव योजना का सम्बन्ध है, वहां इसमें दो राय नहीं है कि यह योजना राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन में एक क्रान्ति लेकर आएगी और लोगों के जीवन को आलोकित करेगी। ●

एफ-7/1, कृष्ण नगर
दिल्ली-110051

# काम के लिए भोजन कार्यक्रम

जी० वी० के० राव

जीवन-यापन के पर्याप्त साधन का अधिकार भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में शामिल है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास को इस प्रकार से नियोजित करना है कि एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाए जिससे कुल राष्ट्रीय उत्पादन में समग्र वृद्धि और विकास की उपलब्धि के साथ-साथ न्यायपूर्ण वितरण भी हो सके। इससे आबादी के सबसे अधिक गरीब तबके के लोगों को भी विकास के लाभों में भागीदार बनाया जा सकेगा ताकि वे अपने जीवन-स्तर को सुधार सकें। जबसे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा योजनाबद्ध रूप से विकास के प्रयत्न शुरू किए गए तभी से गरीबी की समस्या को सुलझाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके साथ बेरोजगारी और कम रोजगारी की समस्या जुड़ी हुई और जो अभी-भी गम्भीर समस्या बनी हुई है।

ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी से संबंधित नवीनतम आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 27वें चक्र से प्राप्त होते ही देश भर में बेरोजगारी और कम रोजगारी की समस्या के विस्तार और स्वरूप का विस्तृत सर्वेक्षण अक्तूबर, 1972--सितम्बर, 1973 के दौरान किया गया। प्रारम्भिक आंकड़ों से पता चलता है कि प्रतिवर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50000 लाख बेरोजगार श्रम-दिवस होते हैं। इससे 1972-73 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल बेरोजगार व्यक्तियों की समस्या की गम्भीरता का मोटा-मोटा अन्दाज लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 27वें चक्र में देश भर में हमेशा बेरोजगारी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान 40 लाख लगाया गया है। कुछ आबादी के प्रतिशत के रूप में अथवा काम करने योग्य कुल व्यक्तियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में उपर्युक्त संख्या बहुत अधिक नहीं मालूम पड़ती लेकिन इससे देश की रोजगार संबंधी स्थिति की बुनियादी गड़बड़ी का भी पता नहीं चलता, क्योंकि यहां मुख्य समस्या है, कम रोजगार की।

हाल ही में योजना आयोग द्वारा प्रकाशित "पंचवर्षीय योजना 1978-83 के मसौदा" में मौजूदा बेरोजगारी (मार्च 1978 तक) का अनुमान 206 लाख व्यक्ति--वर्ष: 165 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और 41 लाख शहरी क्षेत्रों में लगाया गया है।

### योजना

केन्द्रीय सरकार के भंडारों से फालतू खाद्यान्नों का उपयोग करने के लिए एक योजना अप्रैल 1977 में शुरू की गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य शुरू करके अतिरिक्त रोजगार जुटाया जा सके। इसका प्रशासन ग्राम विकास विभाग कर रहा है। इस योजना में मजदूरी का आंशिक या पूर्ण भुगतान खाद्यान्नों के रूप में किया जाना है, फिर भी चूंकि केवल गेहूं ही फालतू है, इसलिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत फिलहाल कोई अन्य खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य ऐसे हैं जो सीधे उत्पादक हैं अथवा जिनसे सामुदायिक सम्पत्तियों का निर्माण होता है और ग्रामीण अवस्थापना मजबूत होती है। मजदूरों को रोजगार पहले से किए गए निर्माण कार्यों का निर्वाह करने और नए निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए भी उपलब्ध किया जा सकता है।

इस योजना का विस्तार अब पहले से शुरू किए गए योजना और गैर-योजना कार्यों, पूंजीगत कार्यों की नई मदों और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्यों तक कर दिया गया है। अब स योजना के अन्तर्गत चलाई जाने वाली प्रायोजनाओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा सकती है। हालांकि पहले केवल यह साल के उन चार महीनों में ही उपलब्ध किए जाते थे जबकि रोजगार के अवसर नहीं रहते थे। राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किस्तों में खाद्यान्न दिए जाते हैं, हालांकि उनका आवण्टन पूरे साल के लिए या जा रहा है। लोक निर्माण कार्यों में लगे हुए उन मजदूरों को भी पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा सकती है, जो ठेकेदारों के मातहत काम कर रहे हैं, बशर्ते कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि ठेकेदार मजदूरों को बांटे जाने वाले खाद्यान्नों का दुरुपयोग न करें। इस योजना में एक ही शर्त रखी गई है कि राज्य सरकार अपने बजट में इस योजना के लिए 1977-78 के बजट में जो व्यय राशि निर्धारित कर रखी है, उससे इसमें ज्यादा खर्च दिखाया जाए अन्यथा जो खाद्यान्न दिए जाएंगे उनकी कीमत राज्य सरकारों से वसूल कर ली जाएगी। अपवाद के मामलों में जिसमें राज्य सरकार सन्तोषजनक कारण बता दे कि बजट में निर्धारित रकम कुछ अनिवार्य कारणों से खर्च नहीं की जा सकी, इस शर्त से छुटकारा दिया जा सकता है।

वर्तमान वित्त वर्ष 1978-79 के लिए भारत सरकार ने कम-से-कम दस लाख मीटरी टन गेहूं का उपयोग करने का लक्ष्य रखा है। मतलब यह कि केवल गेहूं की लागत के रूप में लगभग 125 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों द्वारा भी इसके बराबर ही लगभग 75 करोड़ रुपए के आसपास होगा। रोजगार के रूप में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ढाई किलो की दर से मजदूरी का भुगतान करने पर लगभग 40 करोड़ श्रम-दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जा सकेगा और इस तरह गांव के सबसे गरीब लोगों की बेरोजगारी और कम रोजगारी का काफी हद तक समाधान हो जाएगा।

उपर्युक्त लक्ष्य को देखते हुए वर्तमान वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो राज्य सरकारें सहमत हो गई हैं उनके लिए 12 लाख मीटरी टन से भी अधिक गेहूं का निर्धारण कर दिया गया है।

नीचे की तालिका में राज्यवार आवण्टन दिया गया है :

1977-78 और 1978-79 के लिए विभिन्न राज्यों को आवण्टित खाद्यान्नों की मात्रा

| राज्य | 1977-78 के लिए आवण्टित मात्रा (मीटरी टन) | 1978-79 के लिए आवण्टित मात्रा (मीटरी टन) | जून 1978 को समाप्त होने वाले प्रथम तीन महीने के लिए दी गई मात्रा |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | — | 4000 | 1000 |
| असम | 7500 | — | — |
| बिहार | 30000 | 200000 | 75000 |
| गुजरात | — | 5000 | 15000 |
| हिमाचल प्रदेश | 940 | 3000 | — |
| कर्नाटक | 1000 | 50000 | 15000 |
| केरल | 6000 | 50000 | 10000 |
| मध्य प्रदेश | 10000 | 125000 | 31000 |
| महाराष्ट्र | 11940 | 16000 | — |
| उड़ीसा | 30000 | 200000 | 85000 |
| पंजाब | 8000 | 63000 | 16000 |
| राजस्थान | 6000 | 128000 | 45000 |
| त्रिपुरा | — | 10000 | 2000 |
| उत्तर प्रदेश | 42000 | 111000 | 25000 |
| पश्चिम बंगाल | 51200 | 205000 | 50000 |
| हरियाणा | — | 14000 | 2000 |
| मिजोरम | — | 1200 | 1200 |
| योग | 204580 | 1230200 | 373200 |

इस योजना से भारत में विशाल श्रम-शक्ति का उपयोग करने की बड़ी क्षमता प्राप्त होती है, जिससे बेरोजगार लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा और उनका जीवन स्तर सुधरेगा, साथ ही देश की उत्पादकता भी बढ़ जाएगी और इस प्रकार कुछ राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके अलावा, ग्रामीण रोजगार की विशेष योजनाओं पर खर्च किए जाने वाले धन से संभावित मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां भी रुक जाएंगी।

अनेक प्रकार के ऐसे उपयोगी लोक निर्माण कार्य हो सकते हैं, जिन्हें स्थानीय स्थितियों के अनुरूप देश के विभिन्न भागों में शुरू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अनुमान लगाया गया है कि कुल 3280 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 900 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पानी के कटाव से और अन्य 500 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हवा के कटाव से प्रभावित है। इसके अलावा, अनुमानतः लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि जो पहले उपजाऊ थी, अब जल-मग्नता और लवणीयता अथवा क्षारीयता की चपेट में आ चुकी है। ऐसी भूमि को अच्छे जल निकास और मिट्टी प्रबन्ध तथा उपयुक्त कृषि-क्रियाओं के द्वारा सुधारा जा सकता है। इससे कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के अधिकतर श्रमिकों को आयपूर्ण रोजगार प्रदान किया जा सकेगा।

## दलदली भूमि का सुधार

इसी प्रकार भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य-प्रदेश, राजस्थान के डकैत प्रधान क्षेत्रों के लिए दल-दल सुधार पर एक कार्यकारी दल बनाया गया था। उसने अक्तूबर, 1972 में दलदली क्षेत्रों के कुछ हिस्से का सुधार करने के लिए एक सात वर्षीय योजना तैयार की थी। समझा जाता है कि यदि कार्यान्वित हुई तो यह योजना सात साल के लिए 3,273 इंजीनियरों, 1068 कृषि स्नातकों, 1,368 वानिकी के कार्यकताओं, 3144 अन्य शिक्षित वर्ग के लोगों, 11,376 ऐसे श्रमिकों को जो चिनाई (राजमिस्त्री) में प्रशिक्षित हों और 2,41,968 अकुशल मजदूरों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। और यदि क्रम-बद्ध योजना के अनुसार कुछ दलदली क्षेत्रों को सुधारा जाए तो कार्यकारी दल के अनुमान के अनुसार 4,0000 लाख श्रम दिवस के लिए रोजगार मिल जाएगा।

इस प्रकार देश में ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल जरूरत है जलाशय और जल निकास के आधार पर योजनाएं तैयार करने की। छोटे जलागम के लिए समेकित जल और मिट्टी संरक्षण योजनाओं का सार्थक कार्यक्रम तैयार करके उसे कार्यान्वित किया जा सकता है।

ऐसी योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य लघु-सिंचाई निर्माण, मिट्टी व जल संरक्षण, चरागाह और चराई क्षेत्र विकास, वन-रोपण, खेतों में नालियां बनाने, भूमि बराबर करने, उसकी ढाल ठीक करने आदि से सम्बन्धित हो सकते हैं।

बेरोजगार लोगों को लाभ का रोजगार उपलबध्ध करने के लिए मास्टर रोड प्लान और मास्टर फ्लड प्लान को विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किया जा सकता है। इनके अलावा स्थानीय स्थितियों के उपयुक्त अन्य अनेक योजनाएं चलाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए मछली पालन का विकास और तालाबों से जलकुंभी निकालने और उसका कम्पोस्ट तैयार करने का काम शुरू किया जा सकता है। यह स्थान विशेष के लिए विशिष्ट योजना का अच्छा उदाहरण है।

हाल ही में काम के लिए भोजन की योजना के अन्तर्गत एक अच्छी प्रायोजना शुरू की गई है। इसमें उप-सीमान्त भूमियों

का उपयोग करके भूमिहीन मजदूरों और सीमान्त कृषकों का पुनर्वास किया जाएगा। यह योजना मफतलाल ग्रुप के उद्योगों द्वारा तैयार की गई है और चार राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

### मानव-साधनों का उपयोग

अधिक आबादी वाले विकासशील देशों में पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मानव-साधन का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत और बड़ी संख्या वाले अन्य विकासशील देशों में ऐसी स्थिति है कि एक ओर तो मानव साधनों का पूर्ण और उपयुक्त उपयोग नहीं किया जाता और दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी का जीवन बिताने को बाध्य होना पड़ता है। नियोजित विकास के ढाई दशकों से भी अधिक समय गुजर जाने के बावजूद हमारे देश के लोग दरिद्रता रेखा के नीचे रहने को मजबूर हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता कि इस बड़े मानवीय साधन का उपयोग पूंजी निर्माण के लिए करना संभव नहीं है क्योंकि पूंजी उत्पादक विभिन्न प्रायोजनाओं आदि के विकास में तेजी लाने वाले साधनों का बड़ा अभाव है। इसके लिए ऐसी विधि विकसित करनी होगी जिसमें मानव साधन का उपयोग करके ही पूंजी निर्माण किया जा सके।

भोजन के लिए काम कार्यक्रम से मानव साधनों को उत्पादक कार्यों में लगाने और ग्रामीण अवस्थापना को सुदृढ़ करने में बड़ी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत कार्यक्रम चलाने के लिए राज्य सरकारों को बहुत अधिक संगठनात्मक प्रयास करना होगा। इसमें लोक-निर्माण कार्य जैसे सड़क, बड़ी और मध्यम सिंचाई से सम्बन्धित निर्माण कार्य आदि को पूरा करने के लिए पद्धति और प्रक्रिया में परिवर्तन करना होगा जो कि अभी मुख्यतः ठेकेदारों द्वारा ही कराया जाता है। इसके अलावा, पर्याप्त सर्वेक्षण भी अत्यन्त आवश्यक है ताकि भोजन के लिए काम की योजना को ऐसे दोषों और आलोचनाओं से बचाया जा सके जो पहले के इस प्रकार के कार्यक्रमों में पाई गई हैं। आशा है कि गांव में दरिद्रता रेखा से नीचे की जिन्दगी जीने वाले इतने सारे लोगों के हितों को देखते हुए यह प्रयास अवश्य किए जाएंगे। फिर जो राज्य अभी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं उन्हें भी इसका लाभ उठाना चाहिए।

अनुवादक—
जगदीश नारायण,
हिन्दी अधिकारी,
235, एफ विंग,
शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001

---

**सहयोगियों की राय**

# पंचायती राज में राजनीति

पंचायती राज संगठन के अध्ययन के लिए गठित अशोक मेहता समिति ने पंचायतों के चुनावों में भी राजनीतिक दलों के हिस्सा लेने की सिफारिश की है। समिति का खयाल है कि पंचायती राज के मामलों से यदि राजनितिक पार्टियां सम्बद्ध होती हैं तो उनकी आपसी प्रतिद्वन्द्विता अन्ततोगत्वा रचनात्मक सहयोग में परिवर्तित हो जाएगी तथा इससे ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सहायता मिलेगी।

यह तो स्पष्ट है कि गांवों के आर्थिक विकास के लिए विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण जनता को ज्यादा-से-ज्यादा शामिल करना अत्यावश्यक है। पंचायती राज प्रणाली की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की गई थी। किन्तु पंचायती राज प्रणाली की विफलता का मुख्य कारण यह रहा है कि पंचायतों के अधिकार बहुत सीमित रहे हैं। इसलिए मेहता समिति ने अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की जो सिफारिश की है वह स्वागतयोग्य है। उसने कुछ गांवों को मिलाकर एक मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया है, जिसकी आबादी 15 हजार से 20 हजार तक होगी। स्पष्ट है कि इसके ऊपर जिला स्तर पर और अंत में राज्य स्तर पर पंचायती राज संगठन होगा।

समिति ने इस पर जोर दिया है कि अधिकारों के विकेन्द्रीकरण को ध्यान में रखते हुए जब तक राज्य सरकारें पंचायत संगठनों को उचित मात्रा में योजना तथा गैर-योजना कोष नहीं देतीं तब तक विकेन्द्रीकृत लोकतंत्री प्रबन्ध की योजना सफल नहीं हो सकती है। कृषि तथा ग्रामोद्योगों के विकास को जो प्राथमिकता दी गई है उसे ध्यान में रखते हुए यह और भी जरूरी है।

विकास योजनाओं की सफलता के लिए ग्राम जनता का सहयोग अत्यावश्यक है, यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। यह सहयोग पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ बनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु इसके लिए पंचायती राज के मामलों में राजनीतिक दलों का हिस्सा लेना आवश्यक है या नहीं, यह एक विवादास्पद मुद्दा है। पंचायती राज समितियां में पहले से राजनीति का बोलबाला है। राजनीतिक दलों को इसमें भाग लेने की खुली छूट देने से आपसी सहयोग के बजाय विग्रह ही पैदा होगा। जन सहयोग प्राप्त करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से काम करना अनिवार्य नहीं प्रतीत होता है। किन्तु इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि गांवों के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए पंचायती राज प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। अभी तक इन मामलों में अन्तिम निर्णायक सरकारी अधिकारी ही रहे हैं।

गांवों तक लोकतंत्र तभी पहुंच सकता है जब पंचायती राज संगठनों को आर्थिक विकास का प्रभावकारी माध्यम बनाया जाए। ●

**हिन्दुस्तान 31 अगस्त 1978**

# पूर्ण रोजगार के साथ समन्वित ग्रामीण विकास ✻ आर० एन० आजाद

समन्वित ग्रामीण विकास को अधिकांश विकासशील देशों में विकास की कार्यनीति के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों सहित विभिन्न मंचों पर भी यह विचार-विमर्श और परिचर्चा का बहुचर्चित विषय बन गया है।

## पिछली कार्य नीतियां

पहली पंचवर्षीय योजना (1951–56) में आयोजन का मुख्य उद्देश्य ऐसी स्थितियां पैदा करना था जिनमें रहन-सहन का स्तर एक उचित सीमा तक ऊंचा हो, सभी नागरिकों—महिलाओं और पुरुषों—को विकास और न्याय के लिए पूर्ण व समान अवसर मिले। इस दौरान राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना की गई, खंड स्तर पर संगठन के साथ-साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जमींदारी और जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया गया और भूमि सुधारों के लिए अन्य कदम उठाए गए। शीघ्र बाद ही बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज प्रणाली शुरु की गई। प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर पूर्ण अधिकारों के साथ पंचायती राज संस्थाओं (स्तरों की संख्या 2, 3 या 4 हो यह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्धारण के लिए राज्यों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए), जैसी कि मूल रूप में कल्पना की गई थी, की स्थापना अभी कई राज्यों में की जानी है। भारत सरकार ने पंचायती राज प्रणाली के बारे में अशोक मेहता की अध्यक्षता में हाल ही में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था जिसकी रिपोर्ट आज हमारे आगे है।

एक लाख जनसंख्या और 100 गांवों के क्षेत्र के लिए सामुदायिक विकास खंड को आयोजन और विकास का यूनिट बनाया गया। खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी को सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में तालमेल बिठाने का कार्य सौंपा गया। खंड विकास अधिकारी की सहायता के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ और ग्राम-कार्यकर्ताओं की भी व्यवस्था की गई। अब तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम लगभग सारे देश में फैल चुका है। यद्यपि अनेक स्तरों पर इस कार्यक्रम की कुछ सीमा तक कड़ी आलोचना भी की गई है और कुछ सीमा तक यह ठीक भी है, लेकिन यह एक निर्विवाद तथ्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम स्तर से लेकर जिला और राज्य स्तरों तक पंचायती राज संस्थाओं और सहकारी समितियों के रूप में एक ऐसा सक्षम ढांचा तैयार किया जा सका है जिसमें सरकारी और निर्वाचित दोनों तरह के प्रतिनिधि शामिल हैं। यद्यपि इस कार्यक्रम की आलोचना हुई है लेकिन इस कार्यक्रम ने ग्रामीण भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में रचनात्मक योगदान दिया है चाहे वह कम ही क्यों न रहा हो। इस कार्यक्रम ने खेती के आधुनिक तरीकों का प्रसार करने और 'हरित क्रान्ति' लाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यही नहीं, इसने अपनी विस्तार सेवा के माध्यम से अनेक विकास कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न कारणों से जिस क्षेत्र में यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सका, वह है सामुदायिक प्रयासों को बढ़ावा देना और इन प्रयासों को एकजुट करके ग्रामीण समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर में सुधार लाने के सरकारी प्रयासों में शामिल करना। निस्संदेह, विशाल ग्रामीण जनसंख्या में तेजी से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाना एक बहुत ही कठिन कार्य है। विशेषकर ऐसी अवस्था में जबकि इनमें से अधिकांश जनसंख्या अपढ़ है, परम्परावादी और अन्धविश्वासी है, और बहुत ही गरीब है। साथ ही सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में विकास के लाभ के साथ-साथ सभी को समान रूप से लाभ और न्याय उपलब्ध कराने के बारे में स्पष्ट रूप से उद्देश्य निर्धारित नहीं किए गए थे। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि गांवों में एक ऐसा विशिष्ट वर्ग बन गया, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और ग्रामीण व कृषि विकास के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाता रहा।

## नया दृष्टिकोण

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्वरूप 1952 से लेकर लगभग 1960 तक एक समान ही रहा। 1960 के आस-पास गहन कृषि जिला कार्यक्रम (आई० ए० डी० पी०) के अन्तर्गत 15 चुने हुए जिलों में (प्रत्येक राज्य में एक) खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया। बाद में यह दृष्टिकोण और अधिक जिलों में भी गहन खेती क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत (आई० ए० ए० पी०), अपनाया गया। फिर 1965 में एक और कदम उठाया गया जो कृषि के विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह कदम अनाज उत्पादन और लाभ से वंचित रहने वाले वर्ग को मिलने वाले लाभों की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। इसी वर्ष अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम (एच० वाई० वी० पी०) तैयार किया गया और कृषि उत्पादन को बढ़ाने की एक विशेष कार्य-नीति के रूप में इसे लागू किया गया। इस कार्यक्रम को लागू करने से उर्वरकों, कीटनाशकों व सिंचाई के लिए पानी की खपत काफी बढ़ी। इसके परिणाम बिल्कुल साफ थे—अनाज का उत्पादन आधार वर्ष 1951-52 की तुलना में दुगुने से भी अधिक हुआ।

आई० ए० डी० पी०, आई० ए० ए० पी० और एच० वाई० वी० पी०, सभी कार्यक्रम ऐसे ही क्षेत्रों तक सीमित रहे, जहां इनके सुपरिणाम जल्दी प्राप्त हुए। ऐसे क्षेत्रों में जो भूमि, जल और जलवायु की दृष्टि से काफी अच्छे थे और जहां के किसानों के पास बड़े-बड़े खेत थे, उनके पास सिंचाई सुविधाएं थीं, जोखिम उठाने के लिए आर्थिक क्षमता थी, पढ़े-लिखे थे और उनमें उद्यमशीलता थी, वे आगे आए और कृषि विकास के लिए चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों से जल्दी लाभ प्राप्त करने लगे। इस प्रक्रिया में ऐसे क्षेत्र जहां की भूमि अच्छी नहीं थी, सिंचाई व अन्य सुविधाएं नहीं थीं, काफी पिछड़ गए। छोटे और सीमांत किसानों को खेती करने की नई तकनीकों का भी अधिक लाभ नहीं मिल सका।

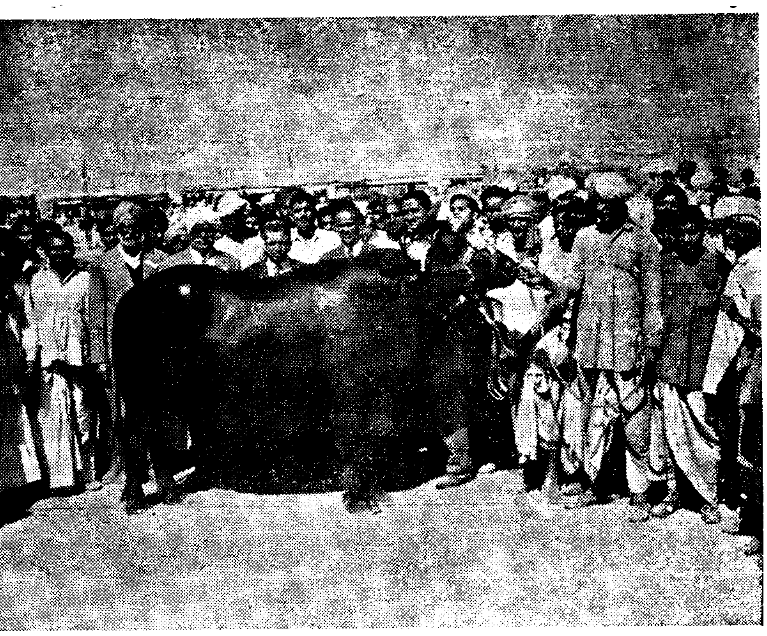

यही तो हमारा असली धन है।

## स्थिति में सुधार के लिए उपाय

तेजी से बढ़ती हुई विषमताओं का आभास होने पर स्थिति में सुधार लाने के लिए चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं में कई उपाय किए गए। उपेक्षित वर्गों और सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों के लिए अनेक विशेष कार्यक्रम चलाए गए। इनमें छोटे और सीमान्त किसान कार्यक्रम (एस० एफ० डी० ए०/एम० एफ० ए० एल०), सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०), और समान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी० ए० डी०) कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं।

कुछ विशेष कार्यक्रमों का क्षेत्र काफी बड़ा था। ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर एस० एफ० डी० ए०/एम० एफ० ए० एल० की योजनाओं को चौथी योजना में प्रायोगिक योजनाओं के रूप में शुरू किया गया। जिन किसानों के पास एक हेक्टर से कम की जोत थी, उन्हें सीमान्त किसानों और जिनके पास एक से दो हेक्टर की जोत थी, उन्हें छोटे किसानों की श्रेणी में रखा गया। कार्यक्रम के लिए चुने गए जिलों में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत इन एजेंसियों की स्थापना की गई। इन एजेंसियों को संस्था ऋण भी उपलब्ध कराया गया। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर पांचवीं योजना में एस० एफ० डी० ए०/एम० एफ० ए० एल० की योजनाओं में संशोधन किया गया। इन दोनों कार्यक्रमों को मिला दिया गया और छोटे किसानों की एक ही परिभाषा को अपनाया गया। इस कार्यक्रम के लिए जिलों का चुनाव छोटे और सीमान्त किसानों की संख्या तथा कृषि व पशुपालन कार्यक्रमों के लिए उनकी अनुकूलता के आधार पर किया गया। पांचवीं योजना में एस० एफ० डी० ए० परियोजनाओं का विस्तार किया गया और उन्हें 169 एजेंसी क्षेत्रों और देश के 198 जिलों में लागू किया गया।

सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०) जैसा कि इसके नाम से पता चलता है ऐसे क्षेत्रों में लागू किया जाता है जो आमतौर पर सूखाग्रस्त रहते हैं। इस समय यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 74 जिलों में पूर्ण या आंशिक रूप से लागू है। चौथी योजना में यह कार्यक्रम ग्रामीण कार्यक्रम के रूप में लागू हुआ है। पांचवीं योजना में इस कार्यक्रम को एक व्यापक क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में सूखा-बहुल क्षेत्रों के लिए बनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भूमि, जल और पशु धन जैसे साधनों के अधिकतम उपयोग पर बल दिया जाता है। क्षेत्र के सकल विकास के अलावा प्रत्येक डी० पी० ए० पी० परियोजना में एस० एफ० डी० ए०/एम० एफ० ए० एल० कार्यक्रमों की भांति छोटे और सीमान्त किसानों के 10 हजार चुने हुए परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे जिले के लिए 3 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है। पांचवीं योजना की अवधि के दौरान लगभग 50 प्रतिशत राशि मझोली और लघु सिंचाई परियोजनाओं पर, 16 प्रतिशत भू-संरक्षण पर और लगभग 14 प्रतिशत सूखी भूमि में खेती करने, वन लगाने और चरागाह विकास पर और लगभग 9 प्रतिशत पशुपालन कार्यक्रमों पर खर्च किया गया।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों के विकास के लिए 12 राज्यों के 102 क्षेत्रों में 36 कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। इन सिंचाई परियोजनाओं की कुल क्षमता एक करोड़ 20 लाख हेक्टर है। चूंकि मुख्य लक्ष्य सिंचाई क्षमता का अधिकतम सीमा तक उपयोग करना है, इसलिए इस कार्यक्रम में पानी को वांछित स्थान पर पहुंचाने की प्रणाली में सुधार लाने, खेतों में जल मार्ग बनाने, पानी के मार्गों को कतारबद्ध करने, आवश्यकतानुसार नियंत्रण व्यवस्था पर बल दिया गया है। कार्यक्रम की अन्य गतिविधियों में कृषि विस्तार और भूमि विकास, भू-संरक्षण, वन लगाने व गांवों में सड़कें तैयार करना है। कार्यक्रम क्षेत्रों में चुने हुए छोटे और सीमान्त किसानों को एस० एफ० डी० ए०/एम० एफ० ए० एल० कार्यक्रमों की भांति ही लाभ मिलता है लेकिन इसके अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है, ऐसी कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है।

केन्द्रीय क्षेत्र या केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में भारत सरकार द्वारा चौथी और पांचवीं योजनावधियों में शुरू किए गए ये विभिन्न विशेष कार्यक्रम और ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे (1) क्षेत्र कार्यक्रम और (2) विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रम। कुछ कार्यक्रमों में ये दोनों विशेषताएं मौजूद हैं।

## देहाती इलाकों में बेरोजगारी

देहाती इलाकों में बेरोजगारी और अर्ध रोजगारी की समस्या बहुत ही जटिल है। बेरोजगारी (भगवत समिति) समिति, 1973 ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 19वें सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया था कि बेरोजगारों की संख्या लगभग 90 लाख थी और 97 लाख अन्य व्यक्ति ऐसे थे, जो एक सप्ताह में 14 घंटे से कम काम करते थे। इन व्यक्तियों को भी बेरोजगारों की श्रेणी में रखा जा सकता है।

राव कृष्ण (1973) के अनुमान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ 62 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। इनमें से 83 लाख व्यक्ति पूर्णरूप से बेरोजगार थे और एक करोड़ 79 लाख व्यक्ति अर्ध-बेरोजगार थे।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (1968-69) के 23वें सर्वेक्षण में देहातों में विभिन्न श्रेणी के परिवारों के प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के बारे में आंकड़े दिए गए हैं। इनसे पता चलता है कि सबसे नीचे के 30 प्रतिशत परिवारों का प्रति व्यक्ति व्यय 21 रु० मास था और एक वर्ष में बेरोजगारी 250 करोड़ जन—दिन के बराबर रही है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 25वें सर्वेक्षण के अनुसार, जो जुलाई 1970 से जून, 1971 तक किया गया था, आलोच्य अवधि—जुलाई, 1970 से जून, 1971 में जिनके पास खेती के लिए कोई भूमि नहीं थी और वे गैर कृषि कार्यों से अपनी आजीविका कमाते थे, ऐसे परिवारों में और खेती करने वाले सबसे निचले 10 प्रतिशत परिवारों में बेरोजगारी 93 करोड़ जन—दिनों के बराबर थी। इस वर्ग की संख्या ग्रामीण जनसंख्या के लगभग 20 प्रतिशत के बराबर है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के बारे में नवीनतम आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 27वें सर्वेक्षण से मिलते हैं। अक्तूबर, 1972 से सितम्बर, 1973 के दौरान रोजगारी और बेरोजगारी की प्रकृति और सीमा के बारे में एक देश व्यापी व्यापक सर्वेक्षण किया गया। प्रारम्भिक आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में 500 करोड़ जन—दिनों के बराबर बेरोजगारी रही। 1972-73 में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेरोजगार व्यक्तियों की समस्या की विकटता के बारे में इससे मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है। इस सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि देश में लगभग 40 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जा सकता है जो बहुत लम्बे समय तक बेरोजगार रहते हैं। कुल जनसंख्या या कुल रोजगार प्राप्त जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से यह संख्या बहुत अधिक नहीं है लकिन इससे देश में रोजगार की स्थिति में बुनियादी विकार का भी पता नहीं चल सकता क्योंकि देश में अर्धबेरोजगारी व्यापक है।

पंचवर्षीय योजना प्रारूप (1978–83) में यह अनुमान लगाया गया है कि इस समय बेरोजगारी 2 करोड़ 6 लाख जन वर्षों के बराबर है। इसमें से एक करोड़ 65 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और 41 लाख शहरी क्षेत्रों में। योजना प्रपत्र में कहा गया है कि ये आंकड़े 1978 में बेरोजगारी की समस्या की विकरालता का सुस्पष्ट सूचक हैं।

विभिन्न योजना अवधियों में विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाए गए हैं जैसे ग्रामीण जनसंसाधन कार्यक्रम और ग्रामीण रोजगार के लिए व्यापक योजना। लेकिन ये सभी थोड़े समय की योजनाएं थीं। इनसे न तो तात्कालिक समस्या हल हुई और न ही कोई टिकाऊ हल निकला। 1972–75 के दौरान सामाजिक-आर्थिक और जलवायु की विभिन्न परिस्थितियों वाले देश के अलग-अलग भागों में स्थित 15 खंडों में प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार परि-योजना (पी० आई० आर० ई० पी०) लागू की गई। यह एक कार्य व अध्ययन परियोजना थी? प्रत्येक खंड में इस परियोजना के परिणामों का अध्ययन किया गया और बाद में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इनकी समीक्षा की गई। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पूर्ण विकास कार्यनीति, जहां तक संभव हो सके, श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी पर आधारित होनी चाहिए ताकि नियमित विकास प्रक्रिया के माध्यम से अधिक से अधिक श्रम शक्ति को खपाया जा सके। प्रौद्योगिक और संस्थागत सुधारों के माध्यम से श्रम की उत्पादकता को बढ़ाकर और अर्ध-रोजगारों के लिए उनके वर्तमान व्यवसायों में रोजगार की अवधि बढ़ाकर बेरोजगारी की समस्या को बहुत अच्छे ढंग से हल किया जा सकता है। इसके बाद भी जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उनके लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता हो सकती है। बेरोजगारों में से कुछ को उनके निवास स्थान से दूर बड़े पैमाने के सार्वजनिक कार्यों जैसे बड़ी व मझोली सिंचाई परियोजनाओं, वन लगाने के कार्यक्रम और भूमि सुधार कार्यक्रमों में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए एक सुदृढ़ आधार पर श्रम की कुशलता को बढ़ाने के लिए समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ श्रम की गतिशीलता बनानी होगी। सामाजिक या आर्थिक कठिनाइयों की वजह से जो लोग अपने घर से बाहर नहीं जा सकते उनके लिए पूरक रोजगार कार्यक्रम चलाने होंगे। लेकिन इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऐसे कार्य पूरे करने होंगे जो उत्पादक हों या ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में सहायक हों।

भारत ही अकेला ऐसा देश नहीं है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ेपन का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश विकास-शील देशों के सामने यही समस्या है। विश्व बैंक के अध्यक्ष मैकनमारा के अनुसार "इस समय विकासशील देशों की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या घोर गरीबी का जीवन व्यतीत करती है। बीमारियों, निरक्षरता, कुपोषण और फटेहाली से उनका जीवन इतना हीन हो गया है कि मानों वे जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को बिल्कुल भूल बैठे हैं।" इस प्रकार की स्थिति में सुधार के लिए ऐसे उपाए किए जाने की आवश्यकता है जो व्यावहारिक हों, देश और जनता की क्षमता में हों और थोड़े समय में लाभकारी हो सकें।

## समन्वित ग्रामीण विकास

उपरोक्त सन्दर्भ में ही समन्वित ग्रामीण विकास को देखना होगा। समन्वित ग्रामीण विकास क्या है? समन्वित ग्रामीण विकास की अवधारणा की सही जानकारी के लिए सबसे पहले विकास की ही अवधारणा का अध्ययन करना सरल रहेगा। *वी० के० आर० वी० राव के अनुसार "सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि या प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि को अब विकास से नहीं जोड़ा जा

---

*राव, वी० के० आर० वी०—समन्वित ग्रामीण विकास, 1977 गोवा में आयोजित एसोसिएशन आफ डेवलपमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आफ एशिया एंड पैसिफिक की तीसरे द्विवार्षिक सम्मेलन में पढ़ा गया पत्र।

सकता । बढ़ी हुई आय को इस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए ताकि आय और सम्पत्ति की असमानताओं में उल्लेखनीय कमी हो। इसलिए कम असमान वितरण भी विकास का एक स्वीकृत लक्ष्य है । इसी प्रकार रोजगार चाहने वाले सभी व्यक्तियों को निम्नतम पारिश्रमिक स्तर पर रोजगार देना और अपना काम धंधा करने वाले के लिए निम्नतम स्तर पर आय को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि भी विकास का लक्ष्य है । ······ विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जीवन के मूल्यों का समावेश किए जाने की भी अपेक्षा रहती है । इसलिए विकास का लक्ष्य जीवन स्तर को बेहतर बनाना और जनसंख्या के सभी वर्गों को इसे कम से कम निम्नतम स्तर पर उपलब्ध कराना है ? पिछले कुछ वर्षों में रख-रखाव योजनाओं और तालमेल की दृष्टि से पर्यावरण भी विकास के दायरे में आ गया है । आत्मनिर्भरता या बाहरी साधनों पर, चाहे स्थानीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तरों पर, निर्भरता यदि बिल्कुल समाप्त नहीं तो कम होते जाने की धारणा को भी अब विकास के लक्ष्य में शामिल कर लिया गया है । अन्तिम, किन्तु महत्वपूर्ण, बात यह है कि अब यह माना जाने लगा है कि विकास का अर्थ-मात्र विकास के लिए अवसरों का प्रावधान करना ही नहीं बल्कि जिन व्यक्तियों के लिए ये अवसर दिए जा रहे हैं, उनके द्वारा वास्तविक रूप में इन अवसरों का लाभ उठाया जाना और इसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है । इस प्रकार शासकीय ढांचा, उसका वर्ग स्वरूप, जिस हित की यह पूर्ति करता है, उसकी असमान स्थिति, संस्थाएं, चाहे आर्थिक हों, सामाजिक या राजनीतिक, कानूनी स्थिति, ज्ञान की स्थिति और विज्ञान या प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सूचना और संचार, अधिकारी-तन्त्र, विकास की प्रगति का अनुश्रवण और मूल्यांकन—ये सभी बातें विकास विषय के क्षेत्र में आती हैं। इस तरह विकास धारणा का आशय परस्पर-सम्बन्धी अनेक विषयों से होता है । समन्वित विकास का अर्थ यह होता है कि विकास के विभिन्न पहलुओं का आयोजन परियोजना दृष्टिकोण या फिर कार्यक्रमों के दृष्टिकोण के माध्यम से भी अलग-अलग रह कर नहीं किया जा सकता बल्कि पूर्ण परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से यह उनकी आपसी प्रतिक्रिया और उनके सम्बन्धों—उन्नति या अवनति, लौकिक या अलौकिक, मैत्रीपूर्ण या शत्रुतापूर्ण—से जुड़ा रहता है । पूर्ण परिणाम की यह उपलब्धि धन-सम्पत्ति और जीवन-स्तर की समृद्धि को सर्वव्यापी बनाना है ।"

पिछले कुछ समय के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास की विभिन्न परिभाषा दी गई हैं और उनकी अलग-अलग तरह से व्याख्या की गई है । भारतीय सन्दर्भ में *लेखक ने समन्वित ग्रामीण विकास की व्याख्या इस प्रकार की है । "स्थानीय संसाधनों –भौतिक, जैविक और मानवीय–के सर्वोत्तम विकास और उपयोग (जहां आवश्यक हो वहां संरक्षण करके भी) करके और आवश्यक संस्थागत, संरचनात्मक, और आचरण सम्बन्धी परिवर्तन लाकर और न केवल आर्थिक क्षेत्र—कृषि और ग्रामीण उद्योग—को शामिल करने के लिए ही बल्कि स्वास्थ्य और पोषण, स्वच्छता, आवास, पीने के जल और साक्षरता के क्षेत्र में भी 'गरीब देहाती' और 'कमजोर देहाती' के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के अन्तिम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामाजिक सुविधाएं सेवाएं उपलब्ध कराके सम्बन्धित क्षेत्र और वहां के लोगों का समन्वित विकास करना ही समन्वित ग्रामीण विकास है । समन्वित ग्रामीण विकास का आशय इन सभी क्षेत्रों के कार्मिक लौकिक व अलौकिक संघटन से है । इस प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास अनेक पहलुओं का विषय है जिसमें बहु-विषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ती है । इस प्रक्रिया में आत्म-सहायता और सामुदायिक योगदान का महत्व सबसे अधिक होता है ।

समन्वित ग्रामीण विकास के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि यह गांधी जी के सर्वोदय के आदर्श को कार्यरूप देने की दिशा में एक प्रयास है । सर्वोदय का अर्थ है ग्रामीण समुदाय में हर व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देने के साथ-साथ विकास के लाभ से वंचित रहने वाले वर्गों—उनमें भी सबसे अधिक गरीब सबसे पहले—के कल्याण और विकास की गति में तेजी लाना है । इसका अर्थ हुआ अन्त्योदय अर्थात् अन्तिम व्यक्ति का उत्थान । निस्सन्देह, इस दिशा में नीचे की तरफ से कार्य करना होगा ।

भारतीय परिस्थिति में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित किए जाने वाले लक्षित समूह में छोटे व सीमान्त किसान, बटाईदार व काश्तकार, भूमिहीन मजदूर, देहाती दस्तकार, अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जन जातियां और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं शामिल हैं । वर्तमान संदर्भ में समन्वित ग्रामीण विकास के लक्ष्य इस प्रकार हो सकते हैं: (1) उत्पादन और विकास, (2) वितरण-शील न्याय अर्थात लक्षित समूहों को अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए उन्हें विशेष लाभ उपलब्ध कराना, और (3) एक विशेष अवधि में पूर्ण रोजगार दिलाना । ये लक्षित समूह और लक्ष्य अनेक विकासशील देशों, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों के लिए, जहां भारत के समान ही परिस्थितियां है, सार्थक होंगे ।

समन्वित ग्रामीण विकास की सफलता के लिए हमें इसके तीन अभिन्न पहलुओं को लगातार ध्यान में रखना होगा । ये पहलु है: (1) कार्यक्रम, (2) अधिकारी तन्त्र और अन्य कार्यान्वियन एजेंसियां और (3) जनता और जन-संस्थाएं । इससे पहले जो भी प्रयास किए इनमें बाद के दो पहलुओं की उपेक्षा करके केवल कार्यक्रमों पर ही जोर दिया गया था । इस विषय में हम दूसरी तरह से यह कह सकते हैं कि यह कहना सही होगा कि पिछले अधिकांश प्रयासों में केवल विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी प्रणाली को ही ध्यान में रखा गया । इस प्रकार का प्रयास करते समय भी वर्तमान प्रणाली में सुधार लाने के बजाय डिलीवरी प्रणाली में और अधिक क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया । इसके परिणाम-स्वरुप सम्पर्क बिन्दुओं या सेवाओं की डिलीवरी की संख्या बहुत बढ़ गई । इस सबसे इन सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का बोझ कम होने के स्थान पर बढ़ गया है । एजेंसियों और शाखाओं की बहुलता सेवा के बावजूद यह वास्तविकता बनी हुई है कि ये सब "लाभ से

*आजाद, आर० एन०, इंटिग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट, डायनामिक्स आफ डेवलेपमेंट–एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, पृष्ठ 419–436, कंसेप्ट पब्लिशिंग कं०, नई दिल्ली, 1977 ।

वंचित रहने वाले" और "शोषित" समूहों तक पहुंचने में असफल रहे हैं। ऐसे समूहों की संख्या हमारी ग्रामीण जनसंख्या के तीन-चौथाई के बराबर है।

## क्षेत्रीय आयोजन

छठी योजना (1978–83) में ग्रामीण विकास की कार्यनीति पूर्ण रोजगार के लिए क्षेत्रीय आयोजन की होगी। यह नीति विकेन्द्रीकृत सूक्ष्म-स्तर की खंड योजना पर आधारित होगी। क्षेत्रीय कार्यक्रमों में निर्धारित लक्षित समूहों तक लाभ पहुंचाने का उद्देश्य शामिल करना होगा और इन कार्यक्रमों का आयोजन और क्रियान्वयन उन्हीं लोगों द्वारा करवाना होगा जिनके लिए ये कार्यक्रम बनाए गए हैं। इन कार्यक्रमों में सरकार और योगदान देने वाली अन्य बाहरी ऐजेंसियों की भूमिका कम से कम रहेगी। ये केवल प्रेरक काम करेंगी। इनकी इस सीमित भूमिका में भी जोखिम है। अक्सर ऐसा होता है कि प्रेरक के हटने की स्थिति में कार्यक्रम बीच में ही छूट जाता है। इसलिए बाहरी ऐजेंसियों की भूमिका ऐसी होनी चाहिए जिससे सम्बन्धित व्यक्ति अपना काम पूरा करने के लिए अपने आप प्रयास करते रहें। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत अनेक स्वयंसेवी एजेंसियों इस भूमिका को भली भांति पूरा कर रही हैं। पूर्ण रोजगार के लिए क्षेत्रीय आयोजन और अन्त्योदय कार्यक्रमों को लागू करने के क्षेत्र में इस प्रकार की और अधिक एजेंसियों का सहयोग लिया जाना चाहिए। ये कार्यक्रम किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े होने चाहिए अर्थात् ये स्थानीय संसाधनों और वहाँ के लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिए। देश के अनेक पिछड़े इलाकों में संसाधनों का अभी तक लगभग अप्रयुक्त भंडार मौजूद है। क्षेत्रीय कार्यक्रम स्थानीय संसाधनों के सर्वोत्तम प्रयोग पर आधारित होने चाहिए। इन साधनों का प्रयोग करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सोद्देश्य उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। समुचित प्रौद्योगिकी का आवश्कतानुसार विकास करना ही होगा।

देश में 5,004 सामुदायिक विकास खंड हैं। अभी तक आयोजन केन्द्रीय, राज्यीय और कुछ सीमा तक जिला स्तरों पर ही सीमित रहा है। इन खंडों में से लगभग 3000 खंडों में तीन विशेष कार्यक्रमों—एस० एफ० डी० ए०, डी० पी० ए० पी० और सी० ए० डी०—में से एक या इससे अधिक कार्यक्रम चालू हैं। 1978-79 के दौरान इन 3000 खंडों में से 2000 खंडों का गहन विकास के लिए चुनाव करने का निर्णय किया गया है। यह दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है कि क्षेत्रीय कार्यक्रम जल-संसाधनों के विकास और प्रबन्ध, वन-चरागाह के विकास, पशुपालन कार्यक्रमों को तेजी से चलाने और 'डी० पी० ए० पी०' के आधार पर वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में शुष्क भूमि पर खेती में सुधार और सिंचित क्षेत्रों में 'सी० ए० डी० पी की भांति जल और अन्य सामग्री का सर्वोत्तम उपयोग करके गहन खेती करने पर आधारित होने चाहिए। इसके अलावा, 'एस० एफ० डी० ए०' के दृष्टिकोण पर आधारित "निर्धन समूह" के परिवारों का आय स्तर ऊंचा उठाने के लिए लाभ भोगी कार्यक्रमों को क्षेत्रीय कार्यक्रमों के ऊपर रखा जाएगा। इसके अलावा, छठी योजना की अवधि के दौरान प्रति वर्ष 300 नए खंडों को गहन व समन्वित ग्रामीण विकास के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। राष्ट्र के वचन को पूरा करने के लिए खंड स्तर पर आयोजन इस प्रकार करना होगा जिससे 'विकास' और 'पूर्ण रोजगार' का दुहरा लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इस पृष्ठभूमि में और उपलब्ध सीमित जन-संसाधनों को देखते हुए इतने अधिक खंडों के लिए सार्थक खंड योजनाएं बनाना कोई आसान कार्य नहीं है।

## स्थानीय संसाधनों का आकलन

क्षेत्रीय योजना आरम्भ करने का एक व्यावहारिक तरीका यह होगा कि विकास में योगदान की क्षमता रखने वाले स्थानीय संसाधनों का मोटा अनुमान लगाया जाए, पिछले अनुभवों के आधार पर विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता लगाया जाए और चालू परियोजनाओं व कार्यक्रमों के सबल प्रभाव का अनुमान लगाया जाए और पूर्ण रोजगार दिलाने के अन्तिम लक्ष्य के साथ ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जाएं जिनसे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व अब तक लाभ से वंचित व्यक्तियों को लाभ पहुंचे। इस प्रकार के आकलन के आधार पर एक समुचित क्षेत्रीय योजना तैयार की जाए जिससे विकास व वितरणशील न्याय की आवश्यकता काफी सीमा तक पूरी की जा सके। संसाधनों के आकलन और इनके विश्लेषण को नवीनतम जानकारी और तकनीकों की सहायता से साथ ही नवीनतम बनाए रखा जा सकता है और कार्ययोजनाओं को इनके कार्यान्वयन के बीच में ही संशोधित किया जा सकता है। कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के बारे में हुई प्रगति का सतत अनुश्रवण और साथ साथ मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होगा क्योंकि इससे मध्यावधि में ही सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। प्रगति का अनुश्रवण केवल वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इससे यह भी पता चलना चाहिए कि कितना अतिरिक्त रोजगार पैदा हुआ है और घोर निर्धनता में रहने वाली जनसंख्या में से कितने लोगों को रोजगार मिला है और उनकी अतिरिक्त आय कितनी रही। प्रपत्र के अन्त में लेखक ने एक माडल प्रस्तुत किया है जो कि निर्धन समूह के एक ग्रामीण परिवार के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए "सिस्टम्स एप्रोच" पर आधारित है। जहां अनुश्रवण और साथ साथ मूल्यांकन करना कार्यान्वयन प्रणाली का एक भाग हो वहां उत्तर-मूल्यांकन का कार्य, कार्यक्रम को लागू करने वाली ऐजेंसी को न देकर किसी दूसरी ऐजेंसी को सौंपा जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष और स्पष्ट मूल्यांकन किया जा सके। अनुश्रवण और मूल्यांकन का कार्यक्रम के स्तर में सुधार लाने के साधनों के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय योजना प्राथमिक संसाधनों और क्षेत्र की आवश्यकताओं व आसपास के बाजारों के साथ इसके सम्पर्कों के आधार पर बनाई जानी चाहिए। योजना तैयार करते समय उत्पादन और बुनियादी सुविधाओं सम्बन्धी आवश्यकताओं ध्यान में रखा जाना आवश्यक होगा।

जिस प्रकार की परिस्थितियां भारत या इस क्षेत्र के अधिकांश विकासशील देशों में बनती जा रही हैं, उनमें क्षेत्रीय

योजनाएं तैयार करते समय फसल की उपज और पशुपालन सहित कृषि, भू व जल संरक्षण, भूमि को इकसार करने और सही आकार प्रदान करने, सिंचाई (प्रमुख, मझौली व लघु) और जल-मल निकासी कार्यों, वन रोपण व सामाजिक वन विज्ञान, चरागाह विकास आदि पर जोर दिया जाना बहुत आवश्यक है। ग्रामीण विकास विभाग ने 'एस० एफ० डी० ए०' कार्यक्रम को लागू करने समय हुए अनुभव के आधार पर लाभ-भोगियों के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं। खंड आयोजन की दिशा में तत्काल कार्य शुरू करने के लिए ये योजनाएं प्रारम्भिक बिन्दु हो सकती हैं। कृषि के साथ-साथ ग्राम व कुटीर उद्योगों व सेवाओं के क्षेत्र पर भी समान रूप से बल देने की आवश्यकता होगी।

## रोजगार क्षमता

रोजगार पैदा करने के मानदण्डों के बारे में विस्तृत और सही जानकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में पैदा होने वाली संभावित रोजगार क्षमताओं के बारे में वास्तविक मात्रात्मक अनुमान लगाना सम्भव नहीं होगा। ऐसा पता चला है कि योजना आयोग विकास के प्रमुख क्षेत्रों में ऐसे मानदण्डों का निर्धारण करने के काम में लगा है।

*शिवरमन कुछ अध्ययनों को उद्धृत करते हुए कुछ मोटे निष्कर्षों पर पहुंचे हैं। ये निष्कर्ष इस प्रकार हैं:---प्रत्येक 400 हैक्टर स्थानीय भूमि को सुधरी भूमि बनाने पर 15-20 जन-वर्षों के बराबर अतिरिक्त रोजगार पैदा होता है। एक फसल वाली प्रत्येक 400 हैक्टर भूमि में दो फसल बोने से 80-150 जन-वर्षों के बराबर अतिरिक्त रोजगार पैदा होता है, जो कि फसलों और मिट्टी व जलवायु सम्बन्धी शर्तों पर भी निर्भर होता है। फसल वाले सिंचित क्षेत्र में प्रति हैक्टर में खेती के लिए 115 जन-दिन की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षा पर निर्भर क्षेत्र में प्रति हैक्टर 64 जन-दिन की आवश्यकता पड़ती है। शुष्क भूमि में खेती करने की उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग से असिंचित क्षेत्रों में फसल बढ़ने की गति 1.16 से 1.30 तक तेज हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप एक हैक्टर में 64 से लेकर 80 जन-दिन अधिक श्रम की आवश्यकता होगी। एक हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई के लिए निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 1.2 जन-वर्ष श्रम की आवश्यकता होती है। इन्हीं क्षेत्रों में भूमि को समतल बनाने और सही आकार देने सहित भूमि विकास, जल-मल निकासी प्रणाली और सम्पर्क सड़क आदि बनाने के काम में एक वर्ष में इससे आधी रोजगार क्षमता की आवश्यकता होगी। दस हैक्टर में पानी के मार्गों को कतार-बद्ध करने के काम में एक आदमी को एक वर्ष के लिए रोजगार मिल सकता है। प्रति 1000 हैक्टर सिंचित क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली को चालू रखने और उसके रख-रखाव के लिए 10 व्यक्तियों को एक वर्ष के लिए रोजगार पर लगाया जा सकता है। पशुपालन क्षेत्र में इसी प्रकार के आंकड़ों से पता चलता है कि खेतिहर परिवार के एक सदस्य को 10 'नान-डेसक्रिप्ट' या सुधरी किस्म के पांच या संकर किस्म के तीन वयस्क पशुओं की देखरेख के लिए पूरी तरह रोजगार दिया जा सकता है। भेड़ बकरियों के बारे में यह अनुमान लगाया गया है कि एक व्यक्ति स्थानीय जातियों की 50 भेड़ों या 70 बकरियों या फिर उन्नत किस्मों की 20 भेड़ों या 40 बकरियों की देखरेख कर सकता है।

खेतों तक सभी सुविधाएं पहुंचाने की दृष्टि से आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए अभी आने वाले अनेक वर्षों तक काम जारी रखना पड़ेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि पूर्ण खेत विकास के लिए प्रति हैक्टर 180 जन-दिन श्रम की आवश्यकता होती है। मध्यावधि योजना (1978-83) में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 80 लाख हैक्टर में फील्ड चैनल बनाए जाने हैं और 30 लाख हेक्टर क्षेत्र में खेतों तक सुविधाओं का विकास किया जाना है। औसतन प्रति वर्ष 16 लाख हेक्टर में फील्ड चैनल तैयार किए जाएंगे। खेतों तक सुविधाएं पहुंचाए जाने का काम प्रति वर्ष 6 लाख हैक्टर में किया जाएगा। इन मानदंडों के आधार पर फील्ड चैनलों के निर्माण कार्य के लिए प्रति वर्ष 8 करोड़ जन-दिन और खेतों तक सुविधाओं के लिए प्रति वर्ष 10 करोड़ 80 लाख जन-दिन श्रम की आवश्यकता होगी।

कृषि कार्यों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप प्रति हैक्टर 45 जन-दिन के बराबर अतिरिक्त रोजगार पैदा हुआ है। इस प्रकार मध्यावधि योजना के अन्त तक कमान क्षेत्र विकास के 80 लाख हैक्टर क्षेत्र में प्रति वर्ष 36 करोड़ जन-दिन के बराबर रोजगार पैदा हो सकेगा।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले निर्माण कार्यों से मिलने वाले प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा कमान क्षेत्रों के अन्य विविध क्रियाकलापों से भी रोजगार सम्बन्धी गतिविधियां शुरू होंगी। ऐसा उत्पादन में वृद्धि, कृषि-उद्योगों के विकास और गौण व तीसरे क्षेत्र के विकास के परिणाम स्वरूप होगा।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विकेन्द्रीकृत सूक्ष्म स्तर पर खंड आयोजन, जो सीधे परिवार से ही सम्बन्धित हो और जिसमें अनुश्रवण और साथ-साथ मूल्यांकन की पर्याप्त व्यवस्था हो, एक निश्चित समय सीमा में "पूर्ण रोजगार" के "राष्ट्रीय लक्ष्य" को प्राप्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में घोर गरीबी में रहने वाले लोगों के स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से एक सही कार्य नीति है।●

आर० एन० आजाद
संयुक्त सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

अनुवादक---
श्रीमती सुरेश सैनी
277 हरि नगर आश्रम
पो० ओ० जंगपुरा भोगल
नई दिल्ली-110014

*शिवरमन, बी---"रोल आफ एग्रीकल्चर, एग्रो-खादी एण्ड अवर इंडस्ट्रीज इन प्रोवाइडिंग रिमुनिरेटिव रूरल एम्प्लायमेंट"

# समन्वित विकास में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की भूमिका

वी. बी.एल. माथुर

आगामी योजना में, विशेषकर भारत के गांवों में अधिकतम रोजगार की उपलब्धि, गरीबी तथा अभाव के उन्मूलन पर मुख्य रूप से बल दिए जाने की आशा है । इसे आर्थिक विकास के विकेन्द्रीकरण तथा समन्वित ग्राम विकास के विस्तृत कार्यक्रम बनाकर और कृषि औद्योगीकरण के माध्यम से प्राप्त करने का प्रस्ताव है । अब कमजोर वर्ग के लोगों को उत्पादक रोजगार के अवसर प्रदान करने और ग्रामीण स्तर तक उचित मूल्यों पर सामूहिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने पर अधिक बल दिया जाएगा ।

ऊपर दिए गए लक्ष्यों के संदर्भ में सहकारी विकास के लिए योजनाएं तथा कार्यक्रम बनाने होंगे ताकि सहकारी समितियां वास्तव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें । गांवों में रहने वाले अधिकांश जन-समूह की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए स्थानीय पहल शक्ति को प्रोत्साहित करने हेतु सहकारिता को एक साधन समझा गया था । दुर्भाग्यवश, पिछले कई वर्षों से यह योजनागत विकास हमें केन्द्रीकृत, शहरीकृत और पूंजी-प्रधान अर्थ-व्यवस्था की ओर ही ले गया है । इसने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किए, बल्कि इससे छोटे और सीमान्त किसानों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों में गरीबी और बढ़ गई । अतः अब विकेन्द्रीकृत मजदूर-प्रधान तथा ग्रामीकृत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की आर्थिक नीतियां तथा कार्यक्रम फिर से बनाने की आवश्यकता है ।

उद्योग के स्थान पर कृषि विकास पर बल को देखते हुए, सहकारी आन्दोलन को नए निर्देश प्रदान करने होंगे । अब सहकारी क्षेत्र पर नया उत्तरदायित्व है । सहकारी ढांचा स्वरूप में स्वभावतः विकेन्द्रीकृत है, क्योंकि इसका मूल आधार ग्राम सहकारी समितियां हैं । सहकारी ढांचा ऐसी समितियों से ऊपर की ओर बनता है जो खण्ड अथवा जिला स्तर पर और अन्त में राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सम्बन्द्ध हो जाती हैं । इस प्रकार सहकारिता तथा विकेन्द्रीकरण साथ-साथ चलते हैं ।

सहकारी आन्दोलन का लोकतांत्रिक स्वरूप उसके सदस्यों द्वारा आन्दोलन में प्रबुद्ध रूप से सक्रिय भाग लेने पर आधारित है । किन्तु, वास्तव में, सहकारी संस्थाओं की सदस्यता सब मिलाकर न तो प्रबुद्ध होती है और ना ही बहुत सक्रिय । राष्ट्रीय सहकारी नीति प्रस्ताव में जो देश के सामने बहुत शीघ्र ही आएगा, इस पहलू को अपनाने पर विचार किया गया है ।

## राष्ट्रीय सहकारी नीति

सहकारी आन्दोलन के लिए परिलक्षित ऊपर दिए गए लक्ष्यों के अतिरिक्त, सहकारी आन्दोलन को एक स्वायत्त आत्मनिर्भर आन्दोलन बनाने के प्रयास किए जाएंगे जो बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होगा । यह आत्म-निर्भरता केवल कुछ हद तक कार्य कर सकती है क्योंकि सहकारी समितियों को उत्पादन, विपणन, विधायन और अन्य गतिविधियों के लिए निधियों हेतु अधिकांशतः बाहरी पुनर्वित्तदायी संस्थानों पर निर्भर रहना होगा ।

सहकारी पद्धति को समन्वित ग्राम विकास में प्रभावी भूमिका अदा करने के लिए इस प्रकार बनाना होगा जिससे कि ग्रामीण, ऋण, कृषि निवेशों की आपूर्ति, कृषि उत्पादन जिसमें डेरी, मुर्गी-पालन, मत्स्य पालन, कृषि विपणन और विधायन शामिल हैं, ग्राम तथा कुटीर उद्योग और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के नीचे की कड़ी को उत्तरोत्तर मजबूत बनाया जा सके ।

सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को संभालना होगा और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए आड़ (बुलवार्क) के रूप में कार्य करना होगा । उपभोक्ता सहकारी समितियों को चाहिए कि वे सामूहिक उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करके अपनी गतिविधियों को बहुमुखी बनाएं और इस प्रकार मूल्य स्थिरीकरण के लिए एक साधन के रूप में कार्य करें ।

उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच एक सहज संबंध सुलभ करने की आवश्यकता वांछनीय नहीं है । इसे सहकारी कृषि-विधायन और औद्योगिक इकाइयों का जाल बिछाकर क्रमिक रूप से प्राप्त करना होगा । साथ ही सहकारी समितियों को सफल व्यापार संस्थानों के रूप में काम करना होगा और ये समितियां व्यावसायिक प्रबन्धकों द्वारा चलाई जाएंगी । उपयुक्त कार्मिकों की भर्ती और उनके सुव्यवस्थित प्रशिक्षण के सतत कार्यक्रम से व्यावसायिक प्रबंध का विकास किया जाएगा ।

सहकारी आन्दोलन की प्रगति में प्रमुख बाधाओं में से एक विभिन्न सहकारी क्षेत्रों की गतिविधियों में समन्वय की कमी रही है । यद्यपि इस बात पर कई वर्षों से जोर दिया दिया गया है लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है । कृषि क्षेत्र में किसान को उत्पादन के लिए निवेशों की आवश्यकता होती है और उसे पैदावार के लिए उचित

आय की प्राप्ति भी सुनिश्चित करनी होती है। कभी-कभी यदि किसान को आपात बिक्री नहीं करनी होती है तो उसे विधायन सुविधाएं भी प्रदान करनी होती हैं। ऋण तथा निवेशों की आपूर्ति और विपणन तथा विधायन के बीच संबंध स्थापित करने से ही किसान को उत्पाद की बिक्री की उचित आय सुनिश्चित की जा सकती है। इसी प्रकार विधायित या अविधायित उत्पाद की बिक्री को उपभोक्ता सहकारी समितियों के साथ संबंध स्थापित करने से ग्रामीण एवं शहरी आबादी को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। इन गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संघों को पहल करनी है।

## सहकारी ऋण

सहकारी आन्दोलन के आरम्भ से ही किसान के लिए ऋण सुलभ करना एक मुख्य कार्य के रूप में समझा गया। यद्यपि इस आन्दोलन का धीरे-धीरे विभिन्न क्षेत्रों में काफी विकास हुआ तथापि ऋण आधारित संरचना का मुख्य विषय रहा। निस्सन्देह ग्रामीण जनता का आर्थिक सुधार, उनके द्वारा प्राप्त वित्तीय एवं भौतिक निवेशों से संबन्धित है।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सहकारी समितियां किसी न किसी रूप में लगभग 6,000 करोड़ रु० के वार्षिक व्यापार में लगी हुई हैं। उन्हें न केवल कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक ऋण उपलब्ध करना होता है, वरन डेरी, पशुधन पालन, मुर्गी-पालन, मत्स्य पालन, बागवानी, वानिकी, ग्रामीण उद्योग आदि सहित ग्राम विकास के व्यापक ढांचे के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियों के लिए भी ऋण उपलब्ध करना होता है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार 1985 तक कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए 4,000 करोड़ रु० के अल्पकालीन ऋण और 5,400 करोड़ रु० के मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होगी। यह आशा की जाती है कि इसमें से सहकारी समितियां 2,350 करोड़ रु० के अल्पकालीन ऋण और 1,900 करोड़ रु० के मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों का वितरण करेंगी। यह लक्ष्य भी तभी प्राप्त किया जा सकता है जब प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत संवृद्धि दर से, आगामी 3 वर्षों में ऋण की कुल पूर्ति दुगुनी हो जाए। 1975-76 के दौरान 4 करोड़ की कुल सदस्यता में से प्राथमिक समितियों के केवल 1.5 करोड़ सदस्यों को ऋण प्राप्त हुआ। कमजोर वर्गों को दिए गए ऋणों का प्रतिशत और भी अपर्याप्त था। यदि सहकारी ऋण संस्थानों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो उनका लक्ष्य छोटे और सीमान्त किसानों के लिए 50 प्रतिशत ऋण का आवंटन होना चाहिए।

ऋण संवितरण की व्यापक प्रगति का मुकाबला करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक सहकारी ऋण समिति को बहु-उद्देशीय समिति में विकसित करना होगा जो किसानों के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में होंगी तथा कृषि ऋण, निवेशों, सदस्यों के कृषि उत्पाद के विपणन का काम करेंगी और साथ ही आवश्यक उपभोज्य वस्तुओं के एक विक्रय भण्डार को चलाएंगी। प्रत्येक प्राथमिक कृषि ऋण समिति को सक्षम होना चाहिए, वह प्रशिक्षित सचिव/प्रबन्धक द्वारा चलाई जानी चाहिए तथा उसके पास गोदाम सुविधाएं होनी चाहिए। आशा की जाती है कि पुर्नगठन के फलस्वरूप प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या 2 लाख से अधिक घटकर 1 लाख से भी कम रह जाएगी। अपने सदस्यों की समस्त आवश्यकताओं की देखभाल के लिए सुदृढ़ सक्षम संगठन होने चाहिए।

ऋण ढांचे को और भी सरल बनाने के लिए जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण आयोजन, परियोजना की तैयारी एवं पर्यवेक्षण का काम हाथ में लेना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक मध्यकालीन ऋणों की वर्तमान 5 वर्ष की अवधि के मुकाबले में इसे 7 वर्ष तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गया है। इसके अलावा बार-बार घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं तथा कमजोर वर्गों की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए अशोध्य ऋणों को छोड़ देना है। अब एक देशव्यापी व्यापक योजना की आवश्यकता है जिसे समाज के कमजोर वर्गों को सहकारी ऋण समितियों के शेयर खरीदने के लिए यदि ब्याज रहित ऋण नहीं, तो कम से कम ब्याज की निम्न दर पर ऋण प्रदान करने चाहिए।

ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट के अनुसार ऋण ग्राम अर्थ-व्यवस्था की गतिविधि का एक पहलू है। इस गतिविधि के कई स्तर हैं: कृषक द्वारा उत्पादित फसल को इन सभी स्तरों से होकर गुजरना होता है। इसके विधायन, भण्डारण, परिवहन तथा विपणन, ये चार महत्वपूर्ण स्तर हैं। इनसे मिलकर एक क्षेत्र बनता है जो कृषक को आर्थिक दृष्टि से लाभ पहुंचाने तथा फलस्वरूप उसको उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए प्रेरित करने हेतु ऋण से अधिक बुनियादी हैं। सहकारिता के आधार पर इन गतिविधियों के संगठन से किसान पर सहकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए जोर पड़ता है जिसके फलस्वरूप उसकी आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार होता है।

आरम्भ में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कृषि उत्पाद के विपणन, विधायन, भण्डारण तथा आपूर्ति के लिए संवर्धक तथा वित्तीय भूमिका निभाने वाला समझा जाता था। अब निगम का कार्यक्षेत्र, किसानों को कृषि निवेशों की आपूर्ति, सहकारी हथकरघा उद्योग तथा उपभोक्ता तक फैल गया है।

रा० स० वि० नि० ने कृषि उत्पादन के विपणन, विधायन, भण्डारण, तथा कृषि निवेशों की आपूर्ति से संबंधित सहकारी कार्यक्रमों के विकास के लिए एक सफल संवर्धक, समन्वयक और वित्तकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह निगम राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में सहयोग देता है और राज्य सरकारों तथा निगमों को विशिष्ट कार्यक्रम बनाने में सहायता प्रदान करता है। यह कार्य राज्य सरकारों तथा भारतीय पटसन निगम, भारतीय कपास निगम, वस्तु मंडलों आदि जैसी अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करके किया जाता है।

रा० स० वि० नि० को विपणन ढांचे के संवर्धन में राज्य सरकारों को बारे में भी सलाह देना है। विपणन ढांचे को सुव्यवस्थित करने, सदस्यता का विस्तार करने और हिस्सा पूंजी बढ़ाने, सहकारी क्षेत्र में ऋण गतिविधियों के साथ विपणन को सम्बद्ध करने, जिन क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक कृषि उत्पादन हो रहा है वहां विपणन समितियों का चयनात्मक आधार पर विकास करने, प्राथमिक विपणन समितियों के पुनर्गठन और पुनर्नवीकरण की योजनाएं बनाने और सहकारी विपणन की समन्वित योजना का विकास करना है।

## विपणन

सहकारी समितियों ने कृषि उत्पादन के विपणन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्ष 1973-74 में सहकारी समितियों ने चौथी योजना में कृषि उत्पाद के सहकारी विपणन के लिए निर्धारित 900 करोड़ के लक्ष्य से अधिक 1,100 करोड़ रु० के कृषि उत्पाद का विपणन किया। पांचवीं योजना में सहकारी समितियों के लिए 1,900 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके मुकाबले में पांचवीं योजना के पहले वर्ष अर्थात् 1974-75 में सहकारी समितियों ने 1,434 करोड़ रु० के कृषि उत्पादों का विपणन किया था जो 1975-76 में बढ़कर 1,564 करोड़ रु० तक हो गया। अनुमान है कि वर्ष 1976-77 के दौरान सहकारी समितियों ने 1,650 करोड़ रु० के कृषि उत्पाद का विपणन किया है।

जून 1975 के अंत तक गठित 3,127 प्राथमिक विपणन समितियों में से 1965 समितियां कृषि उत्पाद के विपणन का कार्य कर रही थीं, 2,097 पैदावार के वितरण का कार्य कर रही थीं और 1.988 ने उपभोग्य वस्तुओं के वितरण का काम संभाला। राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विपणन संघों को वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त रा० स० वि० नि० ने राज्यों में अनेक सहकारी विपणन संघों के बारे में वित्तीय प्रबंध के अध्ययन आरम्भ किए जिससे उनमें आवश्यक सुधार लाए जा सकें।

यह निगम आगामी योजना में सहकारी विपणन गतिविधियों के लिए एक नयी पहुंच अपनाने पर विचार कर रहा है। इनमें से कुछेक इस प्रकार हैं: वर्तमान प्राथमिक समितियों के कार्यकरण को समन्वित करना ताकि ये समितियां, कृषि उत्पाद के विपणन और कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति, इन दोनों प्रकार की सेवाओं को सुलभ कर सकें। विपणन समितियों की गतिविधियों को गेहूं और चावल की खरीद से अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुओं की बिक्री और खरीद में बहुमुखी बनाने के प्रयास किए जाएंगे। यह परिकल्पना की जाती है कि किसान को अपनी आवश्यकता की समस्त वस्तुएं जिनमें उपभोग्य वस्तुएं भी शामिल हैं, ग्राम सेवा समिति से प्राप्त करनी चाहिएं। सेवा और विपणन समिति के बीच पर्याप्त संबंध स्थापित किया जाएगा जिससे अविरत आपूर्ति सुनिश्चित होगी और किसानों के उत्पाद के लिए दुकानें सुलभ होंगी। प्राथमिक विपणन समितियों और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के संघों के कार्यकरण के बीच अधिक प्रभावशाली समन्वय स्थापित किया जाएगा।

## विधायन

रा० स० वि० नि० स्थानीय कृषि उत्पाद के आधार पर उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने तथा सम्भाव्यता रिपोर्ट बनाने में सहायता करता है। रा० स० वि० नि० के विशेषज्ञ, तिलहन, उद्योग, वस्त्र तथा कताई, फल व सब्जी, प्रशीतन, धान प्रक्रिया, डेरी उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने में, जानकारी उपलब्ध करते हैं। उसके पश्चात् यह निगम ऐसी चल सकने की संभाव्यता वाली कृषि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता तथा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करता है।

सहकारी चीनी कारखानों अथवा सहकारी कताई मिलों जैसी बड़े आकार की इकाईयों के लिए यह निगम राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है ताकि वे तत्संबंधी सहकारी समितियों की हिस्सा पूंजी में अंश दान दे सकें। मध्यम तथा छोटे आकार की इकाइयों के लिए यह निगम ब्लाक लागत का 65 से 80 प्रतिशत तक ऋण प्रदान करता है।

मार्च 1977 के अंत तक 2,204 गठित सहकारी विधायन इकाइयों में से 1,741 इकाईयां स्थापित की जा चुकी हैं। जनजातीय और दुष्कर क्षेत्रों में रा० स० वि० नि० राज्य सरकारों को परियोजना की ब्लाक लागत का 80 प्रतिशत तक की सहायता प्रदान करता रहा है। इसमें से 60 प्रतिशत तक लागत ऋण के रूप में और 20 प्रतिशत उपदान के रूप में प्रदान की जाती है।

सहकारी क्षेत्र चीनी उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मार्च, 1976 के अंत तक 181 सहकारी समितियों को लाइसेंस प्रदान किया गया है। 75.20 लाख मी० टन की कुल लाइसेंस शुदा क्षमता के मुकाबले में जून, 1977 के अंत तक सहकारी क्षेत्र में लाइसेंस शुदा चीनी उत्पादन क्षमता 38.88 लाख मी० टन थी। सहकारी क्षेत्र में संस्थापित क्षमता 24.28 लाख मी० टन है जो कुल संस्थापित क्षमता का 47 प्रतिशत है। रा०स०वि०नि० राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ और उसके संघटक सदस्यों को सहायता भी प्रदान करता रहा है।

यह सहायता उनके तकनीकी तथा संवर्धन कक्षों को चलाने के लिए दी जाती रही है जिसमें चीनी, प्रौद्योगिकी (टक्नोलोजी), इंजीनियरी तथा वित्त शामिल हैं।

कपास के विपणन में कपास ओटाई और प्रेसिंग एक आवश्यक पूरक हैं। सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने की दृष्टि से रा० स० वि० नि० इस प्रकार की प्रेसिंग इकाइयों की स्थापना तथा वर्तमान इकाईयों की क्षमता बढ़ाने के लिए निरन्तर मार्गदर्शन करता रहा है। 1975-76 के दौरान निगम ने 20 पुरानी व नई कपास ओटाई तथा प्रेसिंग इकाइयों को 75.79 लाख रु० की सहायता प्रदान की।

तिलहन के विधायन में सरकारी समितियों का हिस्सा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। सहकारी क्षेत्र में 207 तेल मिलें हैं जिनमें से 1976 तक 148 संस्थापित की जा चुकी थीं।

## कृषि निवेश

भारत में सहकारी विपणन ढांचे का एक महत्वपूर्ण कार्य किसानों को कृषि निवेशों की आपूर्ति रहा है जिनमें उर्वरक, बीज, नाशकीटमार/कीटनाशक दवाएं तथा कृषि उपकरण शामिल हैं। रा० स० वि० नि० का प्रयास है कि ऊपर दिए गए कृषि निवेशों से संबंधित वितरण व्यवस्था को सहकारी समितियों के माध्यम से सरल बनाया जाए ताकि वितरण की एक समन्वित प्रणाली विकसित हो सके। उर्वरकों के मुक्त व्यापार के संदर्भ में यह निगम, एक ओर सहकारी समितियों तथा दूसरी ओर केन्द्रीय पूल तथा उर्वरक विनिर्माताओं के बीच निकट संपर्क स्थापित करता रहा है। यह निगम सारे देश में सभाओं व गोष्ठियों का आयोजन करके उर्वरक तथा अन्य निवेशों के वितरण से संबंधित सामान्य समस्याओं का पता लगाने और उन पर चर्चा करने के लिए देश के शीर्ष विपणन संघों को एक सामान्य मंच भी प्रदान करता रहा है।

सहकारी समितियों ने गत वर्ष वितरित किए गए 61.7 करोड़ रुपये के उर्वरकों की तुलना में जून 1976 के अंत तक 716 करोड़ रु० के उर्वरकों का वितरण किया। देश में कुल वितरित किए गए नए उर्वरकों का यह लगभग 60 प्रतिशत है। अनुमान

है कि जून 1977 को समाप्त हुए सहकारी वर्ष में सहकारी समितियों ने 800 करोड़ रु० के उर्वरकों को वितरित किया होगा। आशा की जाती है कि वर्ष 1978-79 में सहकारी समितियां 1,100 करोड़ रु० के उर्वरकों का वितरण करेंगी।

सहकारी समितियों को उर्वरकों तथा अन्य निवेशों की अधिप्राप्ति स्टाक, तथा वितरण करने के लिए बैंक वित्त प्राप्त कराने के लिए उपान्त धन भी प्रदान करना होता है जो 10 से 20 प्रतिशत के बीच रहता है। उपान्त धन की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से यह निगम थोक विक्रेता के रूप में कार्य करने वाली विपणन समितियों को उपान्त धन प्रदान करता है। इस योजना के अधीन निगम ने चौथी योजना की अवधि के दौरान 12.36 करोड़ रु० स्वीकृत किए। निगम ने 1974 से 1976 तक के वर्षों के दौरान 468.24 लाख रु० और 1976-77 के दौरान 44 लाख रु० की राशि स्वीकृत की।

निगम कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों को बीज, खाद, कृषि उपकरण कीटनाशक दवाओं आदि की अधिप्राप्ति के लिए वर्ष 1975-76 में सहकारी समितियों द्वारा इस प्रकार की वितरित की गई वस्तुओं का मूल्य 102.39 करोड़ रु० था, जबकि वर्ष 1974-75 में यह मूल्य 94.28 करोड़ रु० था। अनुमान है कि 1976-77 में 125 करोड़ रु० के कृषि निवेश (उर्वरकों को छोड़कर) वितरित किए गए।

इसके अतिरिक्त, निगम के पास किसानों को एकमुश्त सेवाएं प्रदान करने के लिए सहकारी एग्रो-सर्विस-कम-कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना करने की भी योजना है। कस्टम हायरिंग के लिए पावर टिलर, पावर स्प्रेअर और डेस्टर, डीजल पम्प सैट, प्रेशर और ट्रेक्टर ट्रेलर भी प्रदान किए जाते हैं।

**भण्डारण**

कृषि उत्पादन के सफल विपणन और विधायन तथा वितरण के लिए सबसे आवश्यक पूर्वापेक्षित आवश्यकताओं में से एक सहकारी समितियों के पास भण्डारण सुविधा उपलब्ध होना है। यह निगम ग्राम तथा बाजार और रेल शीर्ष स्तरों पर छोटे भण्डारागारों का जाल बिछाने के लिए सहकारी समितियों को सहायता देता रहा है।

अनुमानित है कि पांचवीं योजना अवधि के अंत तक लगभग 68 लाख मी० टन की भण्डारण क्षमता बनाए जाने के लिए सहायता प्रदान की गई होगी। कुल अल्प-विकसित राज्यों में भण्डारण क्षमता में असंतुलन रहा है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए इस निगम ने विशेष योजनाएं आरंभ की हैं जिनके अधीन गोदामों के निर्माण के लिए अधिक उपदान दिया जाता है। अभी तक केवल 25.106 ग्रामीण गोदामों को सहायता दी गई है, जबकि देश में 1.3 लाख प्राथमिक कृषि सेवा समितियां विद्यमान हैं। अगली योजना के दौरान देश में गोदामों, सह-उपभोक्ता भण्डारों की स्थापना के लिए व्यापक कार्यक्रम हाथ में लेना होगा। इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने हेतु रा० स० वि० नि० की विश्व बैंक से बातचीत चल रही है।

ग्राम-वासियों, जिनकी मुख्य आजीविका कृषि और फार्म से संबंधित कार्यों पर निर्भर है, की आर्थिक स्थिति को सुधारने के सुनियोजित विकास के मूल उद्देश्य के अनुरूप, रा० स० वि० नि० ने समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए कई योजनाएं आरंभ की हैं। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को अब मुख्य रूप से कृषि और बेरोजगारी में वर्गीकृत किया गया है।

कृषि ऋण और विपणन जैसे सहकारी कार्यक्रमों से निस्सन्देह किसान तथा समाज के कमजोर वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं, किन्तु ऐसे कई व्यवसाय तथा कार्य और भी हैं जो इन कमजोर वर्गों द्वारा किए जाते हैं। इन व्यवसायों में कुछ मत्स्य पालन, मुर्गी-पालन, डेरी, हथकरघा, कोयर, कोशकीटपालन आदि से संबंधित हैं। इन व्यवसायों से लाभप्रद रोजगार में और उसके फलस्वरूप कमजोर वर्गों की आय की पूर्ति करने में बहुत लम्बा समय लगता है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन व्यवसायों को बढ़ावा देने और विकसित करने के विशेष कार्यक्रम तेजी से बनाए जाएंगे।

हथकरघा क्षेत्र में गरीब जनता को लाभ होता है, इस उद्योग में लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है, अतः कृषि के बाद हथकरघा उद्योग में ही अधिकतम संख्या में लोग लगे हुए हैं। इस प्रमुख क्षेत्र को विकसित करने की दृष्टि से रा० स० वि० नि० शीर्ष/क्षेत्रीय स्तर की हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को, अपने हिस्सा पूंजी आधार मजबूत बनाने, विधायन सुविधाओं का सृजन करने तथा शो-रूमों की स्थापना के लिए, सहायता प्रदान करता है।

मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी, जहां रोजगार की संभाव्यता बहुत है, रा० स० वि० नि० सभी स्तरों पर मछियारों की सहकारी समितियों की गतिविधियों के विस्तार और उनको बहुमुखी बनाने के लिए उदार रूप से सहायता प्रदान करता है। यह सहायता हिस्सा-पूंजी, परिवहन वाहनों और मशीनी नावों की खरीद, विधायन इकाइयों की स्थापना जिसमें प्रशीतन संयंत्र भी शामिल है, फिश क्योरिंग यार्ड, शीत गोदामों, मशीनी शुष्कन इकाइयों, सर्विस-रिपेअर केन्द्रों पट्रोल पम्पों आदि के प्रयोजनके लिए होती है। मछियारों के लिए शुष्क शैक्षिक कार्यक्रम भी हाथ में लिए जा रहे हैं। पांचवीं योजना के दौरान लगभग 70,000 मछियारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिस पर 20 लाख रु० का खर्च आएगा।

कृषि के क्षेत्र में मुर्गी पालन तथा डेरी उद्योग को महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवसाय के रूप में माना गया है। वर्तमान सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए रा० स० वि० नि० कुक्कुट चारा संयंत्रों की स्थापना, परिवहन वाहनों की खरीद और गोदामों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता है।

देश में श्वेत क्रान्ति में यह निगम सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। अब तक दो उत्पादक कारखानों, 9 तरल दुग्ध संयंत्रों और 17 द्रुतशीतन (चिलिंग) केन्द्रों की स्थापना के लिए 6.3 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। ये इकाइयां प्रतिदिन 5.5 लाख लिटर दूध का विधायन करेंगी।

आर्थिक दृष्टि से जनजातियां समाज का सबसे कमजोर वर्ग है और साहूकार तथा बिचौलियों द्वारा इनका शोषण किया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में ऋण की व्यवस्था कृषि तथा लघुवन उत्पाद के विपणन, उपभोग्य वस्तुओं के वितरण के लिए उचित और प्रभावशाली संस्थागत व्यवस्था के अभाव में ऐसा होता है। रा० स० वि० नि० ने 1972-73 में जनजातीय विकास

सहकारी निगमों, विपणन और विधायन समितियों तथा लैम्पस की हिस्सा पूंजी में वृद्धि करके, जनजातीय सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करने की योजनाएं आरंभ की थीं। परिवहन वाहनों की खरीद, गोदामों के निर्माण, कृषि, बागवानी तथा लघुवन उत्पाद के लिए विधायन इकाइयों, की स्थापना डेरी इकाइयों, शीत गोदामों और पुनः स्थापन विधायन इकाइयों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए सहायता दी जाती है।

## उपभोक्ता सहकारी समितियां

हमारी आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य एक उचित स्तर पर उपयोगी आवश्यक वस्तुओं, जिनमें खाद्य पदार्थ, वस्त्र, ईंधन और घरेलू चीजें शामिल हैं, का स्थिर मूल्य सुनिश्चित करना है। यह परिकल्पना की जाती है कि सहकारी समितियों को इस उद्देश्य को प्राप्त करने वाली मूल्य और वितरण की नीतियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने की इस चुनौती का सामना करने में वितरण लागत को कम करके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद व्यापार की पद्धति को अपना कर सहकारी समितियाँ सहायता कर सकती हैं।

ग्रामीण स्तर पर सेवा सहकारी समितियाँ और मंडी स्तर पर विपणन समितियों द्वारा उपभोग्य वस्तुओं का वितरण करना एक महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता है। 1975-76 के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 3,272 प्राथमिक विपणन समितियों में से 1,862 ऐसी समितियां और कुल 1,50,000 प्राथमिक सेवा सहकारी समितियों में से 54. 470 समितियां उपभोग्य वस्तुओं के वितरण का काम कर रही थीं। इस प्रकार प्राथमिक विपणन समितियों में 57 प्रतिशत और प्राथमिक सेवा समितियों में 37 प्रतिशत इस कार्य को कर रही थीं। 1975-76 में इन सहकारी समितियों ने 490 करोड़ रु० के मूल्य की उपभोग्य वस्तुओं का वितरण किया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सहकारीकरण बढ़ाने की आवश्यकता को व्यापक रूप से अपनाया गया। ग्रामीण उपभोक्ता सहकारी समितियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नीति के ढांचे में बहुमुखी विस्तार के दृष्टिकोण को ग्रहण किया गया है। इसमें ये सब सम्मिलित होंगे : विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवश्यक वस्तुओं की पहचान, वस्तु बजट तैयार करना, उपभोग्य वस्तुओं की खुदरा कीमतों का प्रभावी प्रबोधन, विशेष रूप से गरीब वर्गों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से योजनाओं को आरम्भ करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों का चयन, निरन्तर सहकारीकरण के आधार पर बल देते हुए वितरण प्रणाली को सरल बनाना, संवितरण के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित क्षेत्र में विनिर्मित वस्तुओं का निर्धारण, उच्च स्तर के सहकारी संगठनों का बाजार में विवेक सम्मत हस्तक्षेप, सहकारी विपणन और उपभोक्ता ढांचे के बीच निकट का संबंध, स्वैच्छिक एजेंसियों, विशेषकर महिलाओं की एजेंसियों तथा युवा संगठनों में घनिष्ठ सहयोग, इस प्रणाली के सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्थाएं तथा उपभोक्ता के संरक्षण के लिए बनाए गए विभिन्न वैधानिक उपायों को प्रभावी रूप से व्यवहार में लाना। सहकारी समितियों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अनेक कदम उठाने हैं। इस दिशा में परिकल्पित कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं।

सहकारी समितियों को नियंत्रित वस्तुओं में थोक तथा खुदरा मार्जिन सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि सामान्यतः इसी के अभाव में सहकारी समितियों के खुदरा कार्य-व्यापार अलाभकर होते हैं। पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में कीमतें बराबर बनाए रखने के लिए उचित परिवहन के लिए उपदान प्रदान करने होंगे। उपभोक्ता सहकारी समितियों को, दालें, खाने के तेल आदि जैसी विभिन्न मजदूरी वस्तुओं के वितरण के लिए खुले बाजार के कार्यकलापों में हस्तक्षेप करके अधिक प्रभावशाली भूमिका निभानी होगी। उद्देश्य यह है कि जिन वस्तुओं की कीमतें मंदे मौसम में मौसमी कमियों के कारण सामान्यतः बढ़ जाती हैं उनकी आपूर्ति जारी रखी जाए और विभिन्न स्तरों पर संरक्षित भंडार बनाकर कीमतों की इस वृद्धि में प्रति संतुलन स्थापित किया जाए।

उपभोक्ता सहकारी समितियों की व्यापार क्षमता को विकसित करना होगा ताकि वे गैर-सरकारी व्यापार का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। ऊपरी व्यय और रखाव लागत में कमी करके तथा स्थापना खर्चों के युक्तिकरण से ही बिक्री और सेवा कार्यों में इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सहकारी समितियों में प्रबंध के व्यवसायीकरण और ठोस व्यापार पद्धतियों के अपनाने से व्यापार-मनोवृति को विकसित करना आवश्यक है।

उत्पादक, विधायन और विपणन समितियों के साथ उपभोक्ता सहकारी समितियों का संबंध स्थापित करना होगा। इससे थोक विक्रेताओं/स्टाकिस्टों द्वारा लिया जाने वाला मार्जिन हटा दिया जाता है जिसका लाभ उपभोक्ता को मिल सकता है।

सरकार को इस बात पर विचार करना होगा कि कानूनी तौर पर विनिर्माताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि उनकी देश के विभिन्न भागों की इकाइयों से कुछ आवश्यक वस्तुओं की सीधे सहकारी समितियों को आपूर्ति की जाएगी। अतः आरम्भ में, विनिर्माता अपने कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत, वितरण के पहले बिन्दु पर नियत कीमतों पर, वितरित करेंगे।

रा० स० वि० नि० ने, चुनी हुई प्राथमिक विपणन समितियों और ग्रामीण सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से, ग्राम उपभोक्ता व्यापार बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने की एक योजना आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत पर्याप्त बैंक वित्त प्राप्त करने के लिए समितियों को 50,000 रु० तक की उपान्त धन सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता बिक्री कार्यक्रम तथा विकास की संभाव्यता के आधार पर प्रत्येक परियोजना के लिए अलग अलग होगी। यह निगम परिवहन वाहन खरीदने के लिए ऋण-सह-उपदान के रूप में 60,000 रु० तक की सहायता प्रदान कर सकता है। माध्यमिक समिति जो, मंडी स्तर पर खुदरा दुकान खोलना चाहती है, उसके ऋण-सह-उपदान के रूप में फर्नीचर आदि के लिए 12,000 रु० तक की सहायता दी जा सकती है। इसी प्रयोजन के लिए प्राथमिक सेवा समिति को 5,000 रु० तक का ऋण-सह-उपदान दिया जा सकता है। 1976-77 के दौरान, इस निगम ने 14 राज्यों को 260 लाख रु० की राशि स्वीकृत की :

# ग्रामीण क्षेत्र के लघु व कुटीर उद्योगों के विकास का आधार : जिला उद्योग केन्द्र

घरेलू उद्योग : महिलाएं डलियां व पंखे बनाते हुए

श्री वी० गणपति

जनता सरकार ने आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई अपनी औद्योगिक नीति को सफल बनाने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों को अपने विश्वास का आधार बनाया है। देश के विभिन्न भागों में ऐसे जिला उद्योग केन्द्र तेजी से स्थापित किए जा रहे हैं।

अब तक 215 जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने की मंजूरी दी जा चुकी है और कई केन्द्र स्थापित भी किए जा चुके हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जिला उद्योग केन्द्रों की महत्वाकांक्षी योजना की असफलता का अर्थ होगा पूरी नई औद्योगिक नीति की असफलता। केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर नजर रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यापक व्यवस्था की है। जिला, राज्य, प्रादेशिक और केन्द्रीय स्तरों पर उच्चस्तरीय समितियां लगातार निगरानी रखेंगी और देहाती इलाकों में उद्योगों के विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में केन्द्रों का मार्ग-निर्देशन करेंगी।

देहाती इलाकों में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना एक सही कदम है या नहीं या फिर वास्तव में वे वांछित सेवाएं प्रदान कर पा रहे हैं या नहीं, अभी इसका मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा। इस योजना को देश के 112 जिलों में पहली मई, 1978 से लागू किया गया है। राज्य सरकारों ने इस योजना में बहुत अधिक रुचि भी ली है। किसी अन्य केन्द्रीय योजना ने राज्यों को इतना अधिक आकर्षित नहीं किया जितना कि जिला उद्योग केन्द्रों की योजना न। राज्य भी केन्द्रीय उद्योग मंत्री, श्री जार्ज फर्नांडीज की भांति इस योजना को तेजी से लागू करने को लालायित है। वे चाहते हैं कि सभी जिलों में यथाशीघ्र जिला उद्योग केन्द्र स्थापित कर दिए जाएं। नई औद्योगिक नीति सात महीने पूर्व घोषित की गई थी। इस नीति के अन्तर्गत ही यह योजना आती है। सात महीनों में ही 200 से अधिक जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए जाना इस बात का द्योतक है कि इस योजना में बहुत रुचि ली जा रही है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्योगों और पिछड़े इलाकों में लघु उद्योगों और देहाती कारीगरों की सहायता करना है। देश में हजारों लघु और ग्रामीण औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें 60 प्रतिशत से भी अधिक इकाइयां बड़े शहरों और चार महानगरीय शहरों के आस-पास स्थापित हैं। लघु उद्योग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाएं अभी तक प्रायः उन्हीं उद्यमियों को मिली हैं जिन्होंने आधुनिक वस्तुओं के निर्माण के लिए कारखाने लगाए हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में सैकड़ों छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं जिन्होंने असंतुलन पैदा कर दिया है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों की योजना तैयार की गई है।

जिला उद्योग केन्द्रों को छोटे और कुटीर उद्योगों के विकास का दायित्व सौंपा गया है। छोटे और ग्रामीण उद्योगों की सभी जरूरतें इन केन्द्रों द्वारा पूरी की जाएंगी। ये केन्द्र एक ही स्थान पर इन उद्योगों के विकास के लिए सहायता देंगे और मार्ग दर्शन करेंगे। केन्द्र सभी प्रकार की स्वीकृतियां देने के लिए एक मात्र प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में काम करेगा। छोटे उद्यमियों को राज्य मुख्यालयों और विभिन्न एजेंसियों से सम्पर्क स्थापित नहीं करना पड़ेगा। इस कार्य के लिए राज्य सरकारें इन केन्द्रों को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दे रही हैं।

इसके अतिरिक्त, ये केन्द्र अपने क्षेत्रों में आने वाले उद्योगों की विकास क्षमता के बारे में उनका आर्थिक सर्वेक्षण करके पता लगाएंगे। छोटे उद्यमियों को ऋण, कच्चा माल, मशीनें, और उपकरण आदि दिलाने में भी इन केन्द्रों द्वारा सहायता देने की आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, ये केन्द्र छोटे उद्यमियों को अपने उत्पादों की बिक्री के बारे में सहायता देंगे और उन्हें बाजारों की सूचनायें आदि भी देंगे। उद्यमी इन केन्द्रों से किस्म, नियंत्रण, अनुसंधान, उद्यम प्रशिक्षण आदि के बारे में मार्ग निर्देशन प्राप्त कर सकेंगे।

इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि ये केन्द्र नौकरशाही और लालफीताशाही के केन्द्रों का रूप न ले सकें। केवल योग्य व कुशल व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जा रही है ताकि इन केन्द्रों का कुशलता पूर्वक संचालन किया जा सके। राज्य सरकारें न केवल अपने विभागों से इन कर्मचारियों का चयन कर रही हैं बल्कि बाहर से भी योग्य व्यक्तियों को लिया जा रहा है। जिन व्यक्तियों को चुना गया है, उन्हें विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जिला उद्योग केन्द्र में महाप्रबंधक के अतिरिक्त सात कार्यकारी प्रबंधक भी होंगे। ये प्रबंधक आर्थिक जांच-पड़ताल, मशीनरी और उपकरण, अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण, कच्चा माल, ऋण, विपणन और कुटीर उद्योगों का काम देखेंगे।

सारी व्यवस्था में ऋण से सम्बद्ध प्रबंधकों को मुख्य माना जाता है। इसके पद के लिए योग्य व्यक्ति के चयन के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकारों के अनुरोध पर, राष्ट्रीयकृत बैंक कुछ वर्षों के के लिए ऋण प्रबंधकों की नियुक्ति के लिए अपने विशिष्ट अधिकारियों की सेवाएं इन केन्द्रों को दे रहे हैं। इन केन्द्रों में बैंकों के अधिकारियों के कार्य करने से लघु और कुटीर उद्योगों को अधिक ऋण आदि दिया जा सकेगा। व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि जिला उद्योग केन्द्र के ऋण प्रबंधक द्वारा जांच कर भेजे गए ऋण प्रस्तावों की वित्तीय संस्थाओं में और जांच पड़ताल न की जाए और इन ऋण प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाए। इन छोटे उद्यम कर्ताओं को आसानी और शीघ्रता से धन मिल सकेगा।

बैंकों के अतिरिक्त, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का भी इन केन्द्रों के संचालन में सहयोग लिया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों ने भी इन केन्द्रों को अपनी सुविधाएं देने को कहा है।

हथकरघा, हस्तकला, नारियल जटा, रेशम खादी और ग्रामोद्योग से सम्बद्ध सभी एजेंसियों की गतिविधियों को जिला उद्योग केन्द्रों से जोड़ा जाएगा।

यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित की गई योजना है। केन्द्रीय सरकार प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए का अनावर्त अनुदान और फर्नीचर उपकरण, वाहन आदि खरीदने के लिए 3 लाख रुपये का अनुदान दे रही है। इसके अतिरिक्त, कार्यालय आदि के खर्चे के लिए केन्द्रीय सरकार आवर्ती अनुदान देगी जो वास्तविक खर्चे का 75 प्रतिशत होगा। एक वर्ष में केवल 3.75 लाख रुपए का आवर्ती अनुदान दिया जाएगा। राज्य सरकारें कुल खर्चे का 25 प्रतिशत भाग देंगी। चालू वित्तीय वर्ष में जिला उद्योग केन्द्रों पर 15 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है।

## समन्वय और निगरानी

राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति होगी जो जिला उद्योग केन्द्रों की प्रगति की देखरेख करेगी। इस समिति में योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, हथकरघा और हस्तशिल्प आयुक्त और खादी और ग्रामीण उद्योग के प्रतिनिधि होंगे। पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए समिति समय-समय पर इस नीति और जिला उद्योग केन्द्र के ढांचे की समीक्षा करेगी।

राज्यों में इन समन्वय समितियों के अध्यक्ष संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्री या उद्योग मंत्री हैं। जिला स्तर पर इन समितियों के अध्यक्ष जिला कलक्टर हैं।

केन्द्र और राज्य के बीच परामर्श को सरल बनाने के लिए, संयुक्त सचिव स्तर पर नियन्त्रण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस विषय में परामर्श देने के लिए प्रत्येक संयुक्त सचिव को एक या अधिक राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ●

---

व्यावसायिक शिक्षा के पीछे मुख्य विचार यह है कि बच्चों को जो दस्तकारी सिखायी जाए, उसी के माध्यम से उन्हें शरीर, मन और आत्मा तीनों की शिक्षा दी जाए। दस्तकारी की सभी क्रियाएं सिखाते हुए शिक्षक को, बच्चों में जो भी गुण है, उन सब को प्रकाश में ले आना है। इस शिक्षा का सीधा परिणाम यह होगा कि वे स्वावलम्बी बनेंगे।

**—महात्मा गांधी**

भारत जैसी ग्राम्य प्रधान अर्थव्यवस्था में सड़क तथा सड़क परिवहन के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। 38वें भारतीय सड़क कांग्रेस के कलकत्ता में हुए वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए, जहाजरानी तथा परिवहन के केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री चांद राम ने भी यह स्पष्ट किया है कि ग्रामीण विकास की दर में वृद्धि के लिए शासन ने सड़क विकास, विशेष रूप से ग्रामीण सड़कों के विकास को प्रमुख प्राथमिकता दी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि किसी भी कृषि प्रधान देश के आर्थिक विकास में सड़कों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इनसे ग्राम्य क्षेत्रों से कृषि उत्पाद और कच्चा माल फैक्टरी के क्षेत्र, कस्बों तथा नगरों तक आता है और निर्मित वस्तुएं बन्दरगाहों और फैक्ट्री क्षेत्रों से गांवों में पहुंचाई जाती हैं। देश के विभिन्न भागों के व्यक्तियों के बीच सड़कों के साधन से ही संसर्ग पैदा होता है जिससे वे आपस में एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित करने में समर्थ हो जाते हैं।

किसी देश में यदि नवीन कल्पनाएं एवं आशाओं का संचार है तो वहां की नियमित सड़कों से उनका ज्ञान हो सकता है। सड़कें किसी देश की धमनियां और शिराएं हैं जिनके द्वारा सुधार रूपी रक्त का परिभ्रमण होता है। कम से कम यह भारत जैसे देश के लिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यहां पड़ी हुई थी। यदि सड़कें अच्छी होंगी तो माल ढोने वालों के लिए संचालन व्यय तो बचेगा ही, उनके समय में भी बचत होगी। इसके अलावा, पशुओं पर बोझा ढोने तथा गाड़ियां खींचने से निरंतर पड़ने वाला कुप्रभाव भी कम हो जाता है। कार्य क्षमता की दृष्टि से भी वर्तमान समय में परिवहन के शीघ्रगामी साधन आवश्यक है और इसके लिए अच्छी सड़कें जरूरी हैं। रेलवे तथा वायु सेवा केवल बड़े केन्द्रों का काम चला सकते हैं लेकिन देश के दूरस्थ भागों में पहुंचने के लिए तथा अंतरंग-गांवों में जाने के लिए एक अच्छी सड़क व्यवस्था अपरिहार्य है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि सड़कों का निर्माण बेरोजगारी की समस्या के समाधान में सहायक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्रच्छन्न बेरोजगारी है जिसे दूर करने के लिए सड़क निर्माण पर बल दिया जा सकता है। सड़क निर्माण कार्य सर्वाधिक श्रम-प्रधान माना जाता है। एक इकाई का विनियोग यदि कृषि में 5200 व्यक्तियों, मकान निर्माण में 5200, व्यक्तियों रेलवे में 1900 व्यक्तियों तथा लघु और वृहद् उद्योगों में 1700 लोगों को काम दे सकता है तो यह सड़क परिवहन में 10,400 लोगों को रोजगार देने में सक्षम है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं कि सड़कों के विकास द्वारा देश के प्रत्येक कोने में आर्थिक समृद्धि के फलों को काटा जा सकता है।

# राष्ट्र की धमनियां हमारी सड़कें

आर० बी० एल० गर्ग

सड़कें गांव व शहरों को न केवल जोड़ती हैं अपितु यहां ये कृषि एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए अपरिहार्य हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सड़क तथा विकसित परिवहन होने से कृषक अपने उत्पादों (यथा अनाज, फल, दूध, घी, मक्खन आदि) को निकटतम बाजारों में अच्छी कीमत पर बेच कर लाभ कमा सकता है। इसके अतिरिक्त, वह उन्नत बीज, कृषि, यंत्र, रासायनिक खाद खरीद कर अपनी कृषि भूमि में आवश्यक सुधार कर स्थायी रूप से आय बढ़ाने में सफल हो सकता है। भारतीय ग्रामों में बहुत सी भूमि सड़कों के अभाव के कारण कृषि कार्य में प्रयुक्त नहीं हो रही क्योंकि इसके अभाव में वहां आना जाना तथा कृषि उपकरणों को लाना ले जाना बहुत दुरूह कार्य है। यदि इन क्षेत्रों में सड़कें बनाई जाएं तो कृषि भूमि की मात्रा 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

जनता शासन ने कुटीर और लघु उद्योगों के विकास को प्रमुख प्राथमिकता दी है जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क विकास और अधिक आवश्यक हो गया है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे यहां भी लघु एवं कुटीर उद्योगों के अपर्याप्त रूप से पनपने का कारण सड़क तथा परिवहन के साधनों के विकास का अभाव रहा है। अब हम ग्रामीण परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए बैलगाड़ी को आधुनिकीकृत करने में लगे हैं, जो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी आधारभूत परिवहन प्रणाली होने के बावजूद अब तक अपने मूल रूप में

भारत में सड़कों का निर्माण कोई आज की बात नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सड़कों का उल्लेख मिलता है। मोहन जो-दारो की खुदाई में भी सड़कें मिली थी। लेकिन लार्ड डलहौजी के समय में भारत की सड़कों के निर्माण का नया युग प्रारंभ हुआ। डलहौजी ने रेलों के निर्माण के साथ-साथ सड़कों के निर्माण के लिए भी कुछ शक्तिशाली नीति का अनुसरण किया। इस कार्य के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त (1855) प्रत्येक राज्य में सैनिक मण्डल (Military board) के स्थान पर सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी० डब्ल्यु० डी०) की स्थापना (1855) की।

भारत सरकार ने 1934 में सड़कों के विकास हेतु इन्जीनियरों की एक बैठक नागपुर में बुलाई जिसमें 10 वर्षीय सड़क योजना तैयार की जो नागपुर योजना के नाम से जानी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत पहली बार सभी क्षेत्र की सड़कों का नियोजनबद्ध तथा संतुलित विकास करना था। इस योजना में सड़कों का वर्गीकरण कर एक पृथक केन्द्रीय सड़क मण्डल की स्थापना की। इस योजना के अनुसार वास्तविक कार्य 1947 से प्रारम्भ हुआ तथा 1950-51 तक पक्की सड़कों की लम्बाई 82,000 से बढ़ाकर 97,000 मील तथा कच्ची सड़कों की लम्बाई 1,30,000 मील से बढ़ाकर 1,51,000 मील हो गई।

1951 से पंच वर्षीय योजनाएं प्रारंभ हुईं और वास्तविक रूप से सड़कों का विकास योजना काल में ही हुआ। 1951 में 3,99,942 किलोमीटर सड़कों की लम्बाई से बढ़कर 1975 तक यह 12,15,337 कि० मी० हो गई। इस अवधि में पक्की सड़कों की लम्बाई 1,57,019 किलो मीटर से बढ़कर 4,93,111 किलोमीटर हो गई है। राज्यवार सड़कों की वर्तमान स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है :—

तालिका (1)

विभिन्न राज्यों में सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर में)

| राज्य/संघराज्य क्षेत्र | पक्की सड़कें | कच्ची सड़कें | कुल |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 47,866 | 32,943 | 80,809 |
| असम | 6,474 | 24,359 | 30,833 |
| बिहार | 31,752 | 79,184 | 1,10,936 |
| गुजरात | 24,283 | 11,247 | 45,530 |
| हरियाणा | 13,526 | 11,250 | 24,776 |
| हिमाचल प्रदेश | 2,983 | 10,216 | 13,199 |
| जम्मू और कश्मीर | 5,748 | 8,599 | 14,317 |
| कर्नाटक | 50,999 | 34,434 | 85,433 |
| केरल | 27,712 | 96,520 | 1,24,232 |
| मध्य प्रदेश | 34,544 | 53,027 | 87,571 |
| महाराष्ट्र | 46,939 | 55,558 | 1,02,497 |
| मणिपुर | 1,245 | 7,406 | 8,651 |
| मेघालय | 1,065 | 8,241 | 9,306 |
| नागालैण्ड | 1,965 | 4,275 | 5,340 |
| उड़ीसा | 11,615 | 34,411 | 46,326 |
| पंजाब | 15,106 | 6,409 | 21,515 |
| राजस्थान | 23,830 | 19,947 | 43,777 |
| सिक्किम | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध |
| तमिलनाडु | 57,603 | 41,008 | 96,611 |
| त्रिपुरा | 974 | 2,879 | 3,853 |
| उत्तर प्रदेश | 37,644 | 86,217 | 1,23,861 |
| पश्चिम बंगाल | 23,395 | 33,251 | 54,646 |
| संघ राज्य क्षेत्र | 9,339 | 8,500 | 17,839 |

स्रोत: भारत वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ-1976

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है दुर्भाग्य से अभी तक 70 प्रतिशत सड़कें कच्ची हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को नगरों तथा अर्ध नगरों से जोड़ती हैं।

नवीनतम अनुमान के अनुसार भारत में 13 लाख किलोमीटर से अधिक लम्बी सड़कें हैं। सड़कों का इतना विस्तार बहुत कम देशों में है परन्तु जब हम क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के संदर्भ में भारतीय सड़कों का मूल्यांकन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिमी विकसित देशों की तुलना में भारत में सड़कों का विकास पर्याप्त नहीं है। निम्न तालिका से भारत में सड़कों का अल्प विकास स्पष्ट हो जाता है।

तालिका (2)

## विभिन्न देशों में सड़कों की लम्बाई (1970)

| देश | सड़कों की लम्बाई प्रति 100 वर्ग कि० मी० | सड़कों की लम्बाई प्रति 1000 व्यक्ति |
|---|---|---|
| जापान | 272 | 9.71 |
| इंग्लैण्ड | 146 | 6.41 |
| फ्रांस | 143 | 15.45 |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | 64 | 29.07 |
| भारत | 36 | 2.71 |

तालिका से स्पष्ट है कि भारत में प्रति 100 वर्ग कि० मी० तथा प्रति 1000 व्यक्ति के हिसाब से जापान, इंग्लैण्ड फ्रांस व अमेरिका से बहुत कम है। यदि भारत की ग्रामीण सड़कों की लम्बाई तथा उनकी स्थिति का अध्ययन करें तो स्थिति अधिक संतोषजनक नजर नहीं आएगी।

### सड़कों की समस्याएं

इसमें कोई शक नहीं कि सड़कों पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में 147 करोड़ रुपए के व्यय से लेकर पांचवीं पंच वर्षीय योजना में 1348 करोड़ रुपए तक व्यय-वृद्धि हुई है। लेकिन वास्तव में ग्रामीण सड़कों को इनका बहुत अधिक लाभ नहीं मिला है। अधिकांशतः ग्रामीण सड़कें अभी भी कच्ची या आधी पक्की हैं (आधी कच्ची) हैं जिन पर वर्ष भर मोटर नहीं चलाई जा सकती तथा वे बैलगाड़ियों के लिए भी अनुपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, सड़कें, अपर्याप्त भी हैं जिसकी वजह से कई मामलों में कृषि, योग्य भूमि पर नहीं हो पा रही क्योंकि सड़कों के न होने के कारण वहां तक यंत्रादि नहीं पहुंच पाते। ग्रामीण सड़कों पर बहुत सी जगह नदी नाले पड़ते हैं जिससे वर्षा काल में बाढ़ आ जाती हैं, जिसकी वजह से सड़क यातायात बंद रहता है। यह स्थिति विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रति वर्ष देखने को मिलती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर पुलियों का नितान्त अभाव है जिसकी वजह से निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं। ग्रामीण सड़कों को और भी खराब करने का उत्तरदायित्व प्राचीन ढंग की बैलगाड़ी पर है। हकीकत यह है कि इन खराब सड़कों से स्वयं बैलगाड़ियां तथा पशु भी सुरक्षित नहीं रह पाते।

यह प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान शासन ग्रामीण सड़क तथा सड़क परिवहन को अधिक उपयोगी बनाने के पक्ष में है। योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्रो के आर्थिक विकास की गति में वृद्धि करने के लिए रेलवे लाइनें बिछाने के स्थान पर सड़क तथा सड़क परिवहन के विकल्प को अधिक सशक्त करने में विश्वास व्यक्त किया हैं। वैसे भी यह सुस्पष्ट है कि रेलवे परिवहन अपने आप में आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। ●

# प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ मनोविज्ञान

**रूप नारायण कालरा**

महात्मा गांधी ने कहा था --'भारत गांवों में निवास करता है। यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत भी नष्ट होता है, गांव पनपते हैं तो पूरा देश विकास करता है।' प्रौढ़ शिक्षा शहर की अपेक्षा गांवों में ज्यादा आवश्यक है जो बहुत पीछे हैं, उन्हें भी तो हमें साथ लेकर चलना है।

प्रौढ़ शिक्षा का आशय केवल साक्षरता से नहीं है। साक्षरता से तो इसका एक अंश मात्र है। प्रौढ़ शिक्षा में ही सम्पूर्ण शिक्षा की निष्पत्ति है। यह तो एक अत्यन्त व्यापक विचार है जिसमें सभी कार्यरत या कार्य कर सकने योग्य वयस्क स्त्री-पुरुषों के व्यावसायिक, सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक विकास से संबंधित शिक्षण को सम्मिलत किया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न नाम हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं जैसे क्रियाशील साक्षरता, प्रयोजनशील शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षा, जीवन पर्यन्त उदारशिक्षा समाज शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा, अनवरत शिक्षा, तथा व्यावसायिक शिक्षा आदि इसके लोकप्रिय स्वरूप हैं। ज्ञान और विज्ञान के निरन्तर विस्तार के साथ मानव का जीवन भर सीखते रहना अनिवार्य हो गया है। चाहे कोई कृषक हो या व्यवसायी या व्यापारी, शिक्षक हो या चिकित्सक, श्रमिक हो या मिल मालिक, कानून विशेषज्ञ हो या जनसाधारण, पढ़े लिखे हों या अनपढ़, प्रत्येक के लिए अपने अपने क्षेत्र की नवीनतम गतिविधि एवं ज्ञान से परिचित होना आवश्यक हो गया है। जो सीखने में सुस्त हैं वे पिछड़ जाते हैं। शिक्षा कोई पांच या दस वर्ष की स्कूल, कालेज या विश्वविद्यालय तक की प्रक्रिया ही नहीं है, यह तो जीवन भर चलती है।

प्रौढ़ शिक्षा अथवा समाज शिक्षा का कार्यक्रम आज कोई नया नहीं है। यह तो सभ्यता के प्रारंभ से ही चला आ रहा है, जैसे कथावचन, कीर्तन, नाटक, रास, रामलीला, गायकमंडली इत्यादि पर आज के युग की गति से तालमेल रखकर बढ़ने के लिए इन्हीं साधनों के भरोसे न बैठकर अन्य स्रोत एवं अन्य उपाय भी काम में लेने होंगे।

प्रौढ़ शिक्षा बिना प्रौढ़ **मनोविज्ञान** के अध्ययन के प्रभावी नहीं हो सकती। प्रौढ़ों में की अभिरुचि, इच्छा, प्रेरणा और क्षमता के संदर्भ में ही इसका आयोजन होना अपेक्षित है अतः यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत मानस की संरचना का अध्ययन किया जाए। इसके बिना सीखने के लिए उत्प्रेरण सही और सम्यक् नहीं हो सकेगा।

किसी भी व्यक्ति की आधारभूत इच्छाएं निम्न होती हैं :

1. भौतिक आवश्यकताएं तथा भोजन, आश्रय, वस्त्र एवं सुरक्षा।
2. सन्तानोत्पत्ति की इच्छा, यौन आवेग व बच्चों की देख भाल
3. कौतूहल व उत्सुकता अर्थात् जिज्ञासा और खोज की इच्छा। खेल की इच्छा विभिन्न प्रकार के मनोरंजन एवं कलात्मक अभिव्यक्तियों को जन्म देती है।
4. समूह में अथवा समाज में रहने की इच्छा और मैत्री।
5. अहं से संबंधित इच्छाएं जो कई रुपों में प्रकट होती रहती हैं। वातावरण पर अधिकार, समाज में मन, प्रतिष्ठा यश की कामना, सत्ता एवं शक्ति की इच्छा तथा भौतिक एवं समाजिक सुरक्षा। अपने अंह को महत्व देना ही किसी व्यक्ति की सफलता एवं असफलता के प्रति विशेष संवेदनशील बनाता है।
6. उच्च श्रेणी के प्रबुद्ध व्यक्तियों में दो विशेष प्रबल प्रवृत्तियां होती हैं। प्रथम तो विश्व एवं ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराई में जाना। दूसरे नैतिकता एवं न्याय के आधार पर व्यक्ति समूह व राष्ट्रों के हितों एवं दिलचस्पियों में समन्वय स्थापित करना।

ये ही हैं मुख्य इच्छाएं, प्रेरणाएं व प्रबल प्रवृत्तियां जो सामान्यतः सभी मनुष्यों में होती हैं। कौन सी प्रवृत्ति कब प्रबल होती है, क्या रूप लेगी यह व्यक्ति के पूर्व इतिहास एवं वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित होती है और ये परिस्थितियां अथवा उपादान निम्न हो सकते हैं :--

1. आयु का प्रभाव :--जब कोई व्यक्ति प्रौढ़ होता है तो शारीरिक खेलकूद में अथवा क्रियाशील मनोरंजन में उसकी रुचि कम होती है और अपने अवकाश का उपयोग व बैठे-बैठे ही कुछ करके करना चाहता है जैसे पत्र, पत्रिकाएं पुस्तकें व समाचार पत्र पढ़ना। एक प्रौढ़ सीखने के स्थान को स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण देखना चाहता है। वह इस प्रकार की भौतिक परिस्थितियों के प्रति अत्यन्त सचेष्ट एवं जागरूक रहता है।

2. वातावरण का प्रभाव :--आवास व्यवस्था, रहन-सहन इत्यादि का भी पर्याप्त प्रभाव रहता है।

3. आर्थिक स्थिति का प्रभावः--प्रत्येक की इच्छा होती है कि वह अपने धंधे में अच्छा चले और उसे उससे अधिकतम उपलब्धि हो और प्रौढ़ों में यह भावना प्रबल होती है। इस क्षेत्र में उत्पन्न निराशा के दूरगामी परिणाम होते हैं।

4. राजनैतिक स्थिति का प्रभावः-- इसका प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। भाषा, सम्प्रदाय, पंचायत किसी भी क्षेत्र में राजनैतिक हलचल से विभिन्न परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं और व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है।

5. सामाजिक स्थिति का प्रभावः--एक विवाहित व्यक्ति की दिलचस्पी अपनी पत्नी, बच्चों एवं मित्रों में होती है। एक बालक एंव प्रौढ़ के व्यवहार में विशेष अन्तर इसलिए होता है कि एक प्रौढ़ का अहं बालक से कहीं अधिक प्रबल होता है। अतः यह ज्यादा संवेदनशील होता है, अपने इर्द-गिर्द के सामाजिक वातावरण के प्रति। यह ठीक है कि अनुकूल वातावरण में तो एक बालक भी ज्यादा अच्छा सीख पाता है। बालक की अपेक्षा प्रौढ़ों को सामाजिक स्वतंत्रता विशेष उपलब्ध होती है। अतः अनुकूल परिस्थितियां प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

एक प्रौढ़ का अपना जीवन दर्शन होता है। उसका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु उसको

इस बात का विश्वास दिलाना अत्यन्त आवश्यक है कि अमुक कार्यक्रम उसके लिए लाभप्रद है। अतः एक प्रौढ़ शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह अपने विद्यार्थियों में सीखने की सच्ची इच्छा जाग्रत करे।

सफलता एवं असफलता के प्रति भी एक प्रौढ़ किसी भी बालक की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता है और किसी भी क्षेत्र में वह पूर्ण दक्षता प्राप्त करना चाहता है, वह प्रभुता चाहता है। अतः यह उत्तम होगा कि उन्हें समय-समय पर ऐसे अनुभव होने दिए जाएं कि जो उन्हें सफलता का आनन्द एवं अनुभूति दे सकें और साथ ही उन्हें उनकी प्रगति से अवगत कराते रहना भी आवश्यक है।

एक प्रौढ़ के सीखने की प्रवृत्ति एवं सम्मान उसके व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमते हैं। अतः प्रौढ़ शिक्षार्थी के मानस में उसके व्यवसाय के माध्यम से प्रवेश किया जाए। अपने व्यवसाय से संबंधित बातों को सीखने की उसकी रुचि विशेष होती है। यदि उसे यह विश्वास हो जाए कि जो कुछ उसे सिखाया जा रहा है, वह उसके व्यवसाय की प्रगति में परिवार की देख-रेख में, जीवन को जीने में उपयोगी होगा तो वहीं सीखना यथार्थ एवं स्थायी होगा, रुचिकर होगा। बालक की उपेक्षा प्रौढ़ में उत्तरदायित्व की भावना भी विशेष प्रबल होती है। अतः सीखने की प्रक्रिया एवं प्रक्रम में उसे कोई दायित्व दिया जाना हितकर एवं प्रभावी होता है।

बालकों की अपेक्षा प्रौढ़ों के मनोभाव प्रबल एवं स्थायी होते हैं। परिवार, समाज, एवं राष्ट्र के प्रति उसकी भावना का उचित उपयोग उसको कुछ भी सिखाए जाने की दिशा में सहायक होता है।

प्रौढ़ शिक्षा के आयोजन में अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियां संक्षेप में निम्न हैं:

(अ) प्रतिकूल परिस्थितियां :—

(1) अवकाश का अभाव :—प्रौढ़ों को कई जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। परिवार की देख-रेख, धंधा, एवं विश्राम के बाद बहुत कम समय बच पाता है। जितनी पिछड़ी हुई आर्थिक स्थिति होगी उतना ही कम समय मिलेगा शिक्षा हेतु और इस प्रकार पिछड़ा हुआ प्रौढ़ और भी पिछड़ता चला जाएगा शिक्षा के अभाव में। लेकिन पिछड़ी आर्थिक स्थिति वालों को भी समय तो मिलता ही है। उनको जब अवकाश मिलता है उसी का उपयोग किया जाए। उदाहरण के तौर पर किसानों को एक फसल काटने के पश्चात् और दूसरी बोने के पूर्व के बीच का समय पर्याप्त अवकाश का होता है। इसका लाभ उठाया जाना चाहिए और शिक्षार्थी को शिक्षा रूचिकर एव उपयोगी बनाने लगे तो वह स्वयं ही समय निकाल लेगा। प्रौढ़ शिक्षा का प्रथम पाठ तो यही है कि लोग अपने को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उन्हें अवकाश मिल सके।

(2) अवकाश का दुरुपयोग :—जिनको अवकाश मिलता है वे भी उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। आलस्य और गपशप सबसे बड़े शत्रु हैं। महत्वाकांक्षा के अभाव में अवकाश होते हुए भी वे समय की कमी की शिकायत करते हैं। अतः प्रौढ़ शिक्षा की कला का यह भी एक अंग है कि प्रौढ़ों की महत्वाकांक्षा को आग्रत किया जाए।

मनोरंजन सभी चाहते हैं पर गलत मनोरंजन में फंसकर न केवल समय अपितु धन एवं कार्यक्षमता का नुकसान भी कर बैठते हैं। जुआ, शराब, अत्यधिक ताश-चौपड़ और अन्य बुरी आदतों के चक्कर में प्रायः वे नुकसान उठाते रहते हैं केवल इसीलिए कि स्वस्थ मनोरंजन का अभाव रहता है। यदि प्रौढ़ शिक्षा के साथ-साथ स्वस्थ मनोरंजन की सुविधा का प्रबन्ध कर दिया जाए तो कितने ही प्रौढ़ गलत आदतों और व्यसनों से बचकर अपने समय का सदुपयोग कर सकेंगे।

व्यक्ति की भांति ही किसी समुदाय या कौम की भी अपनी सामूहिक गलत आदतें होती हैं। गलत रीति-रिवाज, शादी-गमी की गलत रस्में इत्यादि में बहुत सारा समय, शक्ति, धन तथा प्रतिभा बहुत कुछ नष्ट हो जाती है। अतः समाज शिक्षा का लक्ष्य बड़ी कुशलता पूर्वक समुदाय या व्यक्तियों को इन गलत आदतों से दूर करना भी हैं।

(3) मानसिक शान्ति का अभाव :—मानसिक शान्ति के अभाव में जो भी अवकाश मिलता है उसका भी सही उपयोग नहीं हो पाता है। एक अशान्त व्यक्ति सदैव थका-थका महसूस करता है और पढ़ने की क्या, अपने मुख्य व्यवसाय की ओर भी पूरा ध्यान नहीं दे पाता। ऐसा व्यक्ति यदि कुछ सीखने आता भी है तो उसका चित्त एकाग्र नहीं होता और वह बस कुछ करके भी असफलता व निराशा का शिकार होता है।

मानसिक अशान्ति का मूल है सामाजिक विषमता। कोई व्यक्ति अपने शिक्षक को या अपने सहपाठियों को नापसन्द कर सकता है, वह ऐसी कक्षा में नहीं जाएगा और जाएगा भी तो कुछ सीख नहीं पाएगा।

गांवों में छोटे-मोटे झगड़े जमीन जायदाद, शादी एवं अन्य विवादों के होते हैं और दलबन्दी अथवा मुकदमाबाजी भी हो जाती है। समाज शिक्षा हेतु एक स्वच्छ एवं स्वस्थ सामाजिक वातावरण अत्यन्त आवश्यक है और इसी कारण प्रौढ़ शिक्षा को भारत व चीन में समाज शिक्षा भी कहते हैं। कोई भी पाठ पढ़ाने से पहिले व्यक्ति को उसके मानसिक तनाव से मुक्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(4) भौतिक सुविधाओं का अभाव :—मानसिक अशान्ति के अतिरिक्त कक्षा का कोलाहल पूर्ण वातावरण, लोगों का विशेष आना-जाना, प्रकाश एवं स्वच्छता की कमी इत्यादि किसी भी बालक की अपेक्षा एक प्रौढ़ को अधिक परेशान करते हैं। कक्षा जितने सुन्दर वातावरण में हो उतनी ही उत्तम।

सामञ्जस्य की कमी :—यदि शिक्षा अर्थ हीन हुई अर्थात् व्यक्ति के जीवन से शिक्षा का तालमेल नहीं बैठ पाए तो वह सीखने के प्रति उत्साहित नहीं होगा। जो कुछ भी उसे सिखाया जाए उसका संबंध रूस, अमेरिका, अथवा अन्तरिक्ष व चांद-सितारों से न होकर उसके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से हो।

ग्रामीण प्रौढ़ों का ज्ञान सीमित होता है, अतः उसके परिवार, व्यवसाय, उसका गांव, उसका समाज एवं स्वयं उससे परे की कोई बात करने के पहिले पूरा सोच लेना चाहिए। अनावश्यक, असम्बद्ध बातें अरुचि पैदा करती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें कूपमंडूक ही बने रहने दें, पर तात्पर्य यह है कि ज्ञान का विकास एवं पाठ्यक्रम ऐसा हो जो उसकी आवश्यकता एवं क्षमता से मेल खाता हो। शिक्षा जितनी दृश्य हो उतनी ही अच्छी। दूरदर्शन इस दिशा में बहुत ही सशक्त एवं प्रभावी माध्यम है।

(6) ऊब :—जो रात-दिन पढ़ते हैं उन छात्रों एवं बालकों की अपेक्षा एक प्रौढ़ शीघ्र ही ऊब भी जाता है। कक्षा का समस्त कार्यक्रम ऐसा हो कि कोई भी न ऊबे। अर्थात् समाज शिक्षा में मनोरंजन एवं आमोद-प्रमोद का सम्यक् सम्मिश्रण हो। यह अत्यन्त आवश्यक है।

(ब) अनुकूल परिस्थितियां :—(1) कक्षा का वातावरण :—कक्षा में शिक्षक एवं साथ के सहपाठी अपनी रुचि एवं पसन्द के तो हो ही लेकिन एक अच्छे शिक्षक के सभी शिक्षार्थियों के बीच 'हम' भावना का विकास करना चाहिए, और तभी एक समाज शिक्षा केन्द्र सामुदायिक केन्द्र बन जाता है। कक्षा उत्तम साज-सज्जा ,पठन-पाठन के उपकरण, वातावरण, स्थान, प्रकाश, हरियाली, पौधे फूल, गमले इत्यादि का अपना ही महत्व है, सीखने की क्रिया के सजग एवं जीवन बनाने की दिशा में।

(2) अच्छा-शिक्षण :—शिक्षण के कितने ही साधन हों जैसे :—रेडियो, टेलीविजन टेप रिकार्डर, प्रोजेक्टर इत्यादि और इन सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक की भूमिका। केवल पर्याप्त विषय ज्ञान से ही कोई अच्छा शिक्षक नहीं हो जाता अथवा शैक्षिक विधियों के पांडित्य से या शैक्षिक सामग्री से सम्पन्न होने से ही नहीं। मुख्य रूप से तीन बातें हैं किसी अच्छे शिक्षक के लिए :—

(अ) एक अच्छा शिक्षक उत्साही शिक्षक होता है। वह अपने विषय, शिक्षण एवं कर्तव्य के प्रति उत्साही होता है और उसका उत्साह एवं अनुराग दूसरों को भी उत्साहित करता है।

(ब) एक अच्छा शिक्षक कक्षा में न केवल स्वयं सभी को पसन्द करता है बल्कि अपने शिक्षार्थियों को सभी को पारस्परिक सहयोग एवं प्रेम की ओर प्रेरित करता है। इससे न केवल कक्षा का भावात्मक वातावरण स्वस्थ होता है अपितु भ्रातृ भावना की पृष्ठ-भूमि में सीखने की इच्छा और क्षमता भी बढ़ती है।

(स) एक अच्छा शिक्षक प्रौढ़ मनोविज्ञान का जानकार तो हो ही पर यह पूरा ज्ञान हो कि अपने छात्रों का मनोबल कैसे ऊंचा रखे। मनोबल की महिमा किससे छिपी है। अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करता है और ऐसे अवसर पैदा करता है कि सफलता की अनुभूति उसके छात्रों को होती रहे और वे हौसले बुलन्द रखते हुए आगे बढ़ते रहें।

प्रोत्साहन के अतिरिक्त मनोबल ऊंचा रखने का तरीका है कि उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। किसी को जिम्मेदारी देने से उसके अहं की तुष्टि होती है। इससे उसको विश्वास होता है कि वह भी कुछ योग्यता रखता है।

कक्षा की व्यवस्था, प्रबन्ध एवं संचालन में उनका सहयोग आमन्त्रित किया जाना अपेक्षित है।

(3) प्रभावशाली उत्प्रेरणा :—सीखने की दिशा में सहायक तीसरी प्रमुख बात है छात्र का उत्प्रेरण। यह किसी भी प्रौढ़ छात्र की विशेष आवश्यकता है। यह उत्प्रेरण भी अपने आप में शिक्षा का ही परिणाम है। व्यवसाय से संबद्ध सफलता, पारिवारिक सुख, धार्मिक भावना इत्यादि से मेल खाती शिक्षा ही उत्प्रेरक हो सकती है।

प्रौढ़ शिक्षा, जिन्होंने शिक्षा नहीं ली, बीच में छोड़ दी अथवा पूर्ण करके छोड़ दी, सभी तरह के व्यक्तियों के लिए है। सदियों से व्याप्त निरक्षरता एवं पिछड़ापन दूर किया जा सकता है कुछ चुने हुए निष्ठावान कार्य-कर्ताओं की लगन से। हमें इस चुनौती का सामना करना है और हजारों वर्ष के अंधियारे को दूर करने हेतु नई रोशनी प्रज्वलित करनी है।*

वरिष्ठ अध्यापक,
राज० उ० मा० विद्यालय,
जोबनेर (जयपुर) राजस्थान

# कुरुक्षेत्र के बारे में पाठकों की राय

मैं कुरुक्षेत्र का नियमित पाठक हूं। यह पत्रिका ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसमें प्रकाशित सभी लेख, कहानी, कविता, ज्ञानवर्द्धक शिक्षाप्रद एवं मनोरंजक होते हैं।

मैं इसके प्रत्येक अंक का बड़ी बेसब्री से इन्तजार किया करता हूं।

अगस्त, 1978 के अंक में प्रकाशित श्री देवेन्द्र उपाध्याय की कहानी 'परायी जात' ने हमें बहुत प्रभावित किया—'श्रम जीवन' कविता बहुत पसन्द आई। लघु कथा—कोमल हाथ भी पसन्द आई। अन्य स्तम्भ जैसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, मानवजीवन के लिए वनों का महत्व, हमारे स्वास्थ्य का मुख्य आधार भोजन, ग्रामीण विकास के लिए साक्षरता जरुरी क्यों, ग्रामीण रोजगार की नयी योजना, पहला सुख निरोगी काया आदि स्तम्भ भी अच्छे हैं।

कुरुक्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण किसान सस्ते तरीकों से अपनी स्वास्थ्य रक्षा करने में सफल हो सकता है। इसके द्वारा ही किसान अन्ध विश्वासों से छुटकारा भी पा सकता है।

कृपया इसमें नियमित एक हास्य कविता प्रकाशित किया करें और बच्चों के लिए भी कुछ सामग्री प्रकाशित किया करें।

मैं कुरुक्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। अनेकानेक शुभकामनाओं सहित।

—प्रबोध कुमार पंडित
इलाहाबाद (उ० प्र०)

"कुरुक्षेत्र" का अगस्त 1978 अंक मिला। उन्नत कृषि और कृषि उद्योगों की यह मार्ग-निर्देशक पत्रिका भारत में हो रही कृषि प्रगति की परिचायक है। इसमें प्रकाशित होने वाली सामग्री वैज्ञानिक जानकारी से पूर्ण होने के कारण हमारे कृषकों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं का मार्ग निर्देशन करती है। "ग्रामीण रोजगार की नई योजना" "आवर्ती योजनाओं के कारण "ग्रामीण विकास" ऐसे ही लेख हैं। वास्तव में इसके लेख इतने उपयोगी होते हैं कि इसमें प्रकाशित जानकारी कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक होती है। नए बीजों के उपयोग की प्रेरणा "कुरुक्षेत्र" के द्वारा प्राप्त होती है। "हरित क्रांति" "श्वेत क्रांति" "नए रोजगार" 'कुरुक्षेत्र के नए पक्ष हैं।

सुझाव है कि "कृषकों की कठिनाइयों" विषयक स्तम्भ प्रारम्भ करें और उनकी समस्याओं का हल (समाधान) दिया करें।

आपके प्रयत्नों की निरंतर सफलता के लिए शुभकामनाएं।

चुन्नीलाल मलुजा,
शिवपुरी (म० प्र०)

# पूर्ण ग्रामविकास का नया कार्यक्रम

**एस० के० राव**

भारत गांवों का देश है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद गांव के लोगों का जीवन-स्तर सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति की प्रक्रिया को तेज करने के विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। नियोजित सामाजिक और आर्थिक विकास के निमित्त बहुत से संस्थान और बहुत सी नीतियां चालू की गईं, परन्तु इनमें जो धन लगाया गया और इनके लिए जो प्रयास किए गए, नतीजा उसके समकक्ष नहीं रहा। इस समय जरूरत इस बात की है कि देश में नगदी और खाद्य फसलों, दोनों का ही, कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए, जिससे गांवों के लोगों का आर्थिक-स्तर ऊंचा उठे। इस दृष्टि से कृषि के बारे में राष्ट्रीय आयोग के विचारणीय विषयों में एक बात यह भी थी कि गांवों के लोगों की भलाई के लिए देश की कृषि में सुधार लाने और उसका आधुनिकीकरण करने की सिफारिशें प्रस्तुत की जाएं।

पूर्ण ग्रामविकास कार्यक्रम कृषि के बारे में राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों का ही परिणाम है। पूर्ण ग्रामविकास परिकल्पना की खास बात यह है कि सम्पूर्ण समुदाय के लिए विकास कार्यक्रम का निर्माण करना है। यह महसूस किया गया है कि यदि सारे समुदाय में विकास कार्यों के लिए उत्साह और प्रेरणा पैदा कर दी जाए तो विकास के संभाव्य साधनों का उपयोग आसानी से और जल्दी से होगा और सारे समुदाय को इससे लाभ पहुंचेगा।

पूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम के पीछे मुख्य विचार यह है कि सामूहिक प्रयासों द्वारा सम्पूर्ण ग्राम समस्याओं को सुलझाया जाए जिससे सारी विकास-कार्यवाहियों को एक समन्वित ढांचे में लाया जा सके। कार्यक्रम इस बात पर आधारित है कि यदि समुचित नेतृत्व, सामुदायिक सहमति और संगठनात्मक समर्थन, पूर्ति और सेवाएं उपलब्ध हों तो यह संभव है कि लोगों के प्रयास द्वारा उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को बहुत बड़ा स्थायी लाभ पहुंचाया जा सकता है।

इस कार्यक्रम के बारे में आयोग ने योजना आयोग, विकासशील ग्रामदान समाज और सर्वसेवा संघ के साथ विचार-विमर्श किया। आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि इसका परीक्षण खास तौर से ग्रामदान क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर किया जा सकता है, जहां पर ग्रामीण जमीन पर पहले ही सभी लोगों का समान रूप से अधिकार है और सामान्य कार्य के लिए उचित वातावरण पहले से ही विद्यमान है। अपने-अपने क्षेत्रों में ग्रामदान संगठन से यह आशा की जाती है कि इस कार्य में वे आवश्यक समर्थन देंगे। यह भी सोचा गया था कि यदि इस कार्यक्रम को स्वीकृति मिली तो इन कार्यक्रमों में पड़ोसी गांवों को भी भाग लेने का आकर्षण होगा।

पूर्ण ग्रामविकास की परिकल्पना और उपादेयता का अध्ययन करने और वास्तविक आर्थिकी, सामयिक दौर और प्रशासन समस्याओं की जांच पड़ताल करने के निमित्त अध्ययन दल केन्द्र और राज्यों में कायम किए गए, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में इनको देखा-भाला जा सके।

केन्द्रीय दल की सिफारिशों पर, चार राज्यों में फैली चार परियोजनाओं वाले 38 गांवों का पता लगाया गया। (बिहार-25 गांव, उड़ीसा-6 गांव, उत्तर प्रदेश-5 गांव और तमिलनाडु-4 गांव)। केन्द्रीय दल की सिफारिशों पर बिहार में पांचवीं परि-योजना (14 गांव) बाद में जोड़ दी गई। इस तरह कुल 52 गांव इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं।

कार्यक्रम में प्रमुख स्थान कृषि विकास को दिया गया है जिसमें सिंचाई की व्यवस्था करना, भूमि का रूप सुधारना और कृषि कार्यक्रम आते हैं। इसके बाद, पशुपालन और ग्रामीण उद्योग कार्यक्रमों का स्थान है, जिससे भूमिहीन मजदूरों, सीमान्त किसानों और गांव के दूसरे गरीबों को सहायक धन्धा मिल सके।

एक द्विस्तरीय संगठनात्मक व्यवस्था का परीक्षण किया जा रहा है। ग्राम स्तर पर हर गांव में एक कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है और उसे समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत किया गया है जिससे इसे कानूनी अस्तित्व प्राप्त हुआ है। यही एक आधारभूत निकाय है जो कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगा। जिला स्तर पर, एक परियोजना कार्यान्वयन यूनियन का गठन किया गया है जो एक केन्द्रीय संगठन है और जो हर परियोजना में ग्राम-समूहों का समन्वय करेगा। इस क्षेत्रीय अभिकरण से यह आशा की जाती है कि वह कार्यक्रम के लिये आवश्यक नेतृत्व मुहैया करेगा और प्रत्येक ग्राम समिति की रहनुमाई करेगा। यह भी एक पंजीकृत और लाभ न कमाने वाला विकास निकाय होगा। राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय स्वीकृति समिति का गठन किया गया है जो कार्यान्वयन की देखभाल करेगी और कार्यक्रम के सम्बन्ध में दिशा निर्देश भी देगी।

चूंकि कार्यक्रम मूलरूप से गांवों पर आधारित है, इसलिए स्वयंसेवी संगठनों को, जो विकास के क्षेत्र में कार्यशील हैं, शामिल किया जा रहा है जिससे कार्यक्रम में लोगों का अधिक से अधिक सहभाग मिल सके। पांच परियोजनाओं में से तीन परियोजनाएं ऐसे ही संगठनों द्वारा अपने हाथों में ली गई हैं। ये संगठन हैं——उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बनवासी सेवा आश्रम और बिहार में अघौरा विकास खण्ड में बनवासी सेवा केन्द्र तथा मुसहरी विकास खण्ड में मुजफ्फरपुर विकास अभिकरण।

विकास के परिणाम बेकार न जाएं, इस लिए कार्यक्रमों के समुचित निरीक्षण की योजना भी बनाई जा रही है। इस सम्बन्ध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से दी जाती रहेगी और क्षेत्रों में जाकर भी निरीक्षण किया जाता रहेगा। यह निर्णय करने के लिए कि क्या रिपोर्टों में दिए गए तरीकों पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है या नहीं, एक स्वतन्त्र अभि-करण के जरिए कार्यक्रम की मध्यकालीन समीक्षा करने का भी विचार है। यह काम नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद को सौंप दिया गया है।

कार्यक्रम की सफलता को आंकना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि केवल गत वर्ष की अवधि के लिए 1.98 करोड़ रु० के प्रावधान में से 58.247 लाख रु० अब तक दिए जा चुके हैं। चालू वर्ष के लिए प्रावधान 50 लाख रु० है। ❖

# गरीबी के अंधेरे से उभरती उजली रेखा : अन्त्योदय योजना

[पत्र सूचना कार्यालय के कुछ अधिकारियों ने अन्त्योदय योजना की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए हाल ही में राजस्थान के कुछ गांवों का दौरा किया था और सम्बन्ध अधिकारियों तथा लाभान्वित व्यक्तियों से बातचीत की थी। प्रस्तुत लेख उसी बातचीत व प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है।]

जगमोहन लाल माथुर

राजस्थान के मरुक्षेत्र में जोधपुर से जैसलमेर की वीरान सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई जीप 40 मील के बाद बायीं ओर कच्चे रास्ते पर मुड़ जाती है। कुछ देर हिचकोले खाने के बाद हम चरती हुई भेड़ों के बीच मिले कुछ ग्रामीण। कानों में पीतल की छोटी बालियां पहने और सिर पर फटा सा सफेद साफा लपेटे 55 वर्षीय भूरे राम की जर्द आंखों में बीते दिनों का दर्द छलछला रहा था, जब वह गांव की गायें चराता था। 30-40 गायों की रखवाली के लिए उसे प्रति गाय मात्र दो-ढाई आने मिलते थे और मुश्किल से अपने परिवारों के लिए दो जून की रोटी जुटा पाता था। पर अब दिन बदल गए हैं। अन्त्योदय के अन्तर्गत उसे तीस भेड़ें और एक मेढ़ा मिला है। भेड़ें खरीदने के लिए 3515 रु० मिला जिसमें से 33 प्रतिशत यानी 1171 रु० अनुदान के रूप में था और 2344 रु० कर्ज। पांच महीनों में वह ऊन की बिक्री से 194 रु० और खाद से 140 रु० कमा चुका है। इसके अलावा मेमनों को बेच कर वह और कमाएगा। वह दो किलो दूध भी प्राप्त करता है। उसकी आंखों और उसकी बातों में हमें आत्म-विश्वास की झलक दिखाई दी।

पेय जल की पूर्ति : नई नीति—नये प्रयास

कुछ मील दूर अगोलाई गांव के नरसिंह राम ने अपनी आधी जिन्दगी जूतियां बनाने में बिता दी। उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि वह इस जन्म में कभी जमीन का मालिक भी बनेगा। पर अब उसे 25 बीघा जमीन मिली है (रेगिस्तान में कम उत्पादकता को देखते हुए यह जमीन ज्यादा नहीं है) नरसिंह इस जमीन पर अब बाजरा और ग्वार आदि बोने के सपने संजो रहा है। एक और बात जो हमें वहां के भूतपूर्व सरपंच त्रिलोकराम ने बतायी, वह यह कि जमीन होने के कारण अब गांव में नरसिंह की इज्जत है। कोई दुकानदार उसे उधार देने में हिचकता नहीं है।

इसी तरह की कुछ झलक हमें अरावली पहाड़ियों की गोद में बसे उदयपुर जिले में

मिली। हल्दीघाटी जाने वाली सड़क पर लोहिरा गांव में 35 वर्षीय अम्बा लाल ने 1200 रु० के ऋण से साइकिलों की दुकान खोली है। वह पहले नगारची था और शादी ब्याह पर या अन्य खुशियों के मौके पर ढोल बजाता और उसके बदले में उसे मक्की या मक्की का आटा हर घर से मिल जाता था। अब उसके पास 4 साइकिलें हैं जिन्हें वह किराए पर देता है। अपना गुजारा चलाने के अलावा 55 रु० महीने के हिसाब से बैंक ऋण की किश्तें चुका रहा है। चित्तौड़ जाने वाली सड़क पर 60 वर्षीय भील किसान हमेरो से हमारी मुलाकात खेमली गांव में हुई। वह उस बागरिया जाति का है जिसे जरायम पेशा समझा जाता था और जिसे गांव के लोग न तो अपने कुंए से पानी भरने देते, न ही ऋण प्राप्त करने के लिए उसकी जमानत देने को तैयार थे। सदियों से त्रस्त और उपेक्षित बागरिया जाति के इस किसान को मदद की वहां के ग्राम सेवक लक्ष्मण सिंह ने 4000 रु० ऋण के लिए अपनी जमानत देकर। हमेरो न तो अपनी सही उम्र जानता है और न ही अपनी जमीन का रकबा। पर वह कुएं का महत्व खूब जानता है और अपने खोदे कुएं से अपनी धरती सींचन का संकल्प लिए बैठा है। 40 हाथ तक खुदाई कर चुका है और कुछ पानी छलक भी आया है। वह आशा लगाए है कि 5-6 हाथ की और खुदाई होने के बाद ही पूरी तरह पानी निकलेगा और उसकी मन की मुराद पूरी होगी। हमेरो के समान ही हिम्मत वाला युवक है तेजा, जो तुलसीदास की सराय में रहता है। वह 8 साल से बराबर कुंआ बनाने के लिए संघर्ष करता आ रहा है। अब उसे अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 2000 रु० का कर्ज मिला है जिससे वह पक्का कुआं बनाएगा। उधर थूर गांव का सलीम, जो पहले नौकरी के रूप में तांगा चलाकर 4-5 रु० रोज पाता था, अब 20-25 रु० रोज कमाने लगा है। उसे 3000 रु० का कर्जा तांगा व घोड़ा खरीदने के लिए मिला है और वह उदयपुर शहर में तांगा चला रहा है। सलीम 120 रु० महीने की किश्तें लगातार चुका रहा है।

अन्त्योदय योजना के मानवीय करुणाजनक पक्ष की झलक तब मिली जब हमने वयोवृद्ध 9 बेसहारा स्त्रियों से बातचीत की। थूर गांव में कराहती हुई मोती बाई, जिसका कोई सहारा नहीं, उसे 40 रु० मिल रहा है। दुआएं देती है। इसी तरह तुलसीदास की सराय में कन्नो, दुली, अमेरो तथा जोधपुर जिले के आगोलाई गांव में पूरा बाई, बालेसर गांव में 100 वर्षीय गजरो तथा अन्य वृद्धाएं मिलीं जिनका रोम रोम पेंशन के लिए आशीष दे रहा था। 24,000 वृद्ध व असहाय लोगों को पेंशन दी जा रही है।

भले ही जोधपुर या उदयपुर जिले के हों, पर गरीबी की समस्या केवल राजस्थान में ही नहीं समस्त देश में व्याप्त है। 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में भी यह स्वीकार किया गया है कि योजना निर्माण के 25 से अधिक वर्ष की अवधि में भारत के आर्थिक विकास के इस मूल्यांकन से कुछ मूलभूत असफलताएं स्पष्ट हुई हैं और उन्ही के कारण विकास नीति के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता हुई। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि योजना निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए। ये उद्देश्य भारत के लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकृत हैं। पूर्ण रोजगार प्राप्ति, गरीबी का निवारण और अधिक समान समाज का निर्माण। भारत में गरीबी की स्थिति को नापने के प्रयत्न किए गए हैं और प्रयुक्त किए गए मानकों के आधार पर जनसंख्या के 40 से 60 प्रतिशत लोग न्यूनतम स्वीकार्य स्तर से भी नीचे हैं। कैलोरी मानक के उपयोग करते हुए हाल ही में एक अनुमान लगाया, जिसके अनुसार 1977-78 में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 48 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 41 प्रतिशत है। इस प्रकार की गई व्याख्या के अनुसार गरीबों की संख्या लगभग 29 करोड़ हो गई है। इसमें से करीब 16 करोड़ व्यक्ति गरीबी के स्तर के 75 प्रतिशत से भी नीचे आते हैं। गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए जहां सारा राष्ट्र प्रयत्नशील है, वहां राजस्थान ने अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत समाज के निर्धनतम वर्ग को ऊपर उठाने का बीड़ा उठाया है। जैसा कि 1978-83 के प्रारूप में भी स्वीकार किया गया है, आधारभूत व्यवस्था से होने वाले अधिकांश लाभ अपेक्षाकृत समृद्ध वर्ग को अधिक प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में तो गरीबी का और भी उग्र रूप है। अन्त्योदय योजना शुरू करने से पहले राजस्थान में जो पाइलट जांच कराई गई थी उससे पता चला कि अधिकांश परिवारों की आय 20 रु० प्रतिमास से भी कम है। कुछ परिवारों में 30 रु० प्रति व्यक्ति है। पर ये दोनों स्थितियां राजस्थान के लिए मानी गई औसत गरीबी रेखा 55 रु० प्रति मास से भी काफी कम है। अन्त्योदय योजना अपने ढंग की एक विशेष योजना है। इसमें प्राथमिकताओं का क्रम बदल दिया गया है और विकास की शुरूआत उस व्यक्ति से की जा रही है जो पंक्ति के अन्तिम में खड़ा है। गांधीजी का कहना था कि राष्ट्र की उन्नति गरीब के हर आंख से आंसू पोंछे बिना नहीं हो सकता। उसी को ध्यान में रखकर इसका नाम अन्त्योदय रखा गया है।

राज्य के मुख्य मंत्री, श्री भैरोंसिंह शेखावत इस कार्यक्रम को, अमीर और गरीब के बीच विषमता घटाने, गांव और शहरों की दूरी कम करने, सरकार और जनता को एक दूसरे के अधिक करीब लाने और गरीबों का शोषण रोकने का माध्यम मानते हैं। वे मानते हैं कि राज्य के खजाने पर सबसे पहला अधिकार गरीबों का है और उनकी मदद करके सरकार एहसान नहीं करती, अपना कर्तव्य निभाती है।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 26 जिलों के 32,638 गांवों से हर गांव के 5 निर्धनतम परिवार चुने हुए हैं। सितम्बर, 1977 में पेश किए गए राज्य के बजट में पहली बार इस योजना का उल्लेख किया गया था और 2 अक्तूबर से यह योजना प्रारम्भ कर दी गई। यह अपने प्रकार की ऐसी योजना है जिसके पहले कोई दस्तावेज तैयार नहीं हुए और इसे तुरन्त व्यावहारिकता के धरातल पर उतार दिया गया। इसके अमल के लिए जिला अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। अधिकारी गांव-गांव गए। हर गांव में ग्राम सभा बुलाकर सब की राय से 5 निर्धनतम परिवार चुने गए। इस प्रक्रिया में ऐसे भी मौके आए जबकि चुने गए व्यक्ति ने ही कुछ दिन बाद आकर यह कह दिया कि गांव में उससे भी अधिक गरीब अमुक है। ऐसे ही अवसर आए जबकि निर्धनतम होते हुए भी व्यक्ति ने कोई सहायता लेने से इन्कार कर दिया।

इस योजना के अन्तर्गत अब तक 1,60,517 परिवारों का चयन पूरा कर लिया

गया है। इनमें से जून मास के अन्त तक 89,000 परिवारों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। अब तक 27,315 परिवारों को जमीन दी गई है, 12,673 परिवारों को विभिन्न धन्धों के लिए ऋण दिलाए गए हैं। कुछ परिवारों की भेड़, बकरी दुधारू पशु दिलाए गए हैं तो कुछ को ऊंट गाड़ियां, बुनाई के करघे, चमड़े का काम जैसे धन्धे चलाने में मदद दी गई है। जिला स्तर पर एस० एफ० पी० ए० लघु व सीमान्त किसान अभिकरण (एस० एफ डी० ए०) और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०) की मार्फत जो कि केन्द्रीय योजनाएं हैं, सहायता की जा रही है। जिन जिलों में दोनों में से कोई संस्था नहीं थी, वहां जिला विकास संस्था बना दी गई है। अब राज्य के सभी विकास कार्यक्रम अन्त्योदय के लिए समन्वित ढंग से कार्य कर रहे हैं और अपने कार्यक्रमों में अन्त्योदय परिवारों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

सभी जिलों में प्रगति की रफ्तार समान नहीं है। सिरोही जिले का प्रथम स्थान है, जहां 2584 परिवारों की यानी शत-प्रतिशत को लाभ पहुंचाया जा चुका है। दूसरा स्थान उदयपुर का है, जहां कि 97 प्रतिशत से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। जोधपुर जिले के 3613 परिवारों में से 92 प्रतिशत को लाभ पहुंच चुका है। इस योजना पर अमल करने में भीलवाड़ा व अलवर जिलों का स्थान सबसे नीचे है, जिसमें अब तक केवल 31 प्रतिशत परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है।

राजस्थान जैसे विशाल राज्य के लिए, जहां 56 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है, कोई योजना केवल एक साल की दृष्टि में रखकर चलाना उचित नहीं है। अन्त्योदय के लिए पांच वर्ष का परिप्रेक्ष्य तैयार किया गया है, जिसके अनुसार पांच साल में 6 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाने की परिकल्पना है। इनसे 2.90 लाख परिवारों को ऋण सुविधा देकर लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 105.25 करोड़ पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। इसमें 31 करोड़ रु० सहायता के रूप में चाहिए और 74 करोड़ रु० ऋणके रूप में।

अब तक के कार्यक्रम से पता चलता है कि ऋण सुविधा में सहकारी बैंक जहां, बिना किसी हिचक के योग दे रहे हैं वहां व्यावसायिक बैंक अभी हिचक रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनके कर्ज की वसूली खतरे में न पड़ जाए। पर जिन 30-40 परिवार से हमने बातचीत की उनसे यही पता चला कि वे अपने ऋण की किश्तें बराबर चुका रहे हैं। चाहे तांगे वाला सलीम हो, साइकिल वाला अम्बा लाल, कुंआ खोदने का उत्सुक हमेरो या भेड़पालक भूरा राम, सभी अपना कर्जा नियमित रूप से चुका रहे हैं। गरीब लोग कर्जा चुकाने में अमीरों से आगे हैं, इस बात की पुष्टि खेमली स्थित यूनियन बैंक के शाखा प्रबन्धक 28 वर्षीय श्री गौरीशंकर मेहता ने भी की। उनका कथन है कि गमेटी जाति के भील सरीखे निर्धन व्यक्ति नियमित रूप से अपनी किश्त अदा कर रहे हैं। गमेटी जाति के इन लोगों ने श्री मेहता का विश्वास अधिक अर्जित किया है और वे इन लोगों को और अधिक ऋण देने के जोखिम उठाने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में भी अन्त्योदय योजना की शुरूआत की गई है वहां हर जिले में विकास कोष के अन्तर्गत कुछ राशि रखी जा रही है और एक स्थान से ही ऋण, सहायता आदि मिल सकेगी, यह ग्रामीणों के लिए अधिक सुविधाजनक व्यवस्था प्रतीत होती है।

दूसरी बात यह देखने में आई कि अन्त्योदय में हर साल 1.6 लाख परिवारों का चुनाव करना कुछ जल्दबाजी है। चुनाव का क्रम अगर हर साल की बजाए एक साल छोड़कर होता तो संभवतः एक वर्ष में चुने गए अन्त्योदय परिवारों की देखभाल की अच्छी व्यवस्था हो सकती थी। लाभांवित परिवारों की निरन्तर देखभाल अत्यावश्यक है। अगर वे फिर भटक गए तो सारी मेहनत व्यर्थ जा सकती है।

एक अन्य कठिनाई लोगों का भाग्यवादी होना है। वे समझते हैं कि गरीबी विधाता ने हमारी तकदीर में लिख दी है। उन्हें समझा-बुझा कर काम धन्धा करने के लिए राजी करना आसान नहीं है। अन्त्योदय परिवार की सुधरी हालत अब वे स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे तो जरूर उनका दृष्टिकोण बदलेगा।

इस योजना का मूल प्राण जिला प्रशासन, है जिसके उत्साह और सूझबूझ पर ही इस योजना की पूरी सफलता निर्भर है। समस्याओं का निदान जिलाधीश व अन्य अधिकारी अपनी सूझबूझ से निकाल रहे हैं। वे अपने अनुभवों के आधार पर योजना में सुधार के लिए भी तैयार हैं।

गरीबों को ओर ऊपर उठाने का यह अभिनव कार्यक्रम चुनौतियों से भरा है। भारत के इस दूसरे विशालतम राज्य में जो यह प्रयोग हो रहा है, उसकी ओर समस्त देश के निवासियों की आंखे लगी हैं। देश भर में अन्धकार में डूबे अनेक हमेरो, अनेक नरसिह, अनेक भूरा राम और अनेक सलीम इस उजली रेखा की ओर आशाभरी निगाहों से देख रहे हैं। ●

---

**मेरा विश्व मेरे आसपास का वातावरण है। अगर मैं अपने आसपास के लोगों की सेवा करता हूं तो विश्व अपनी सम्भाल खुद कर लेगा। यही आत्मसाक्षात्कार है। दरिद्रनारायणों के जरिए मनुष्य का अन्तिम उद्देश्य ईश्वर का साक्षात्कार करना बताया गया है ताकि उसकी अनुभूति प्राप्त हो सके।**

**महात्मा गांधी**

# मुर्गीपालन से पोषण भी और रोजगार के अवसर भी

बसन्त कुमार

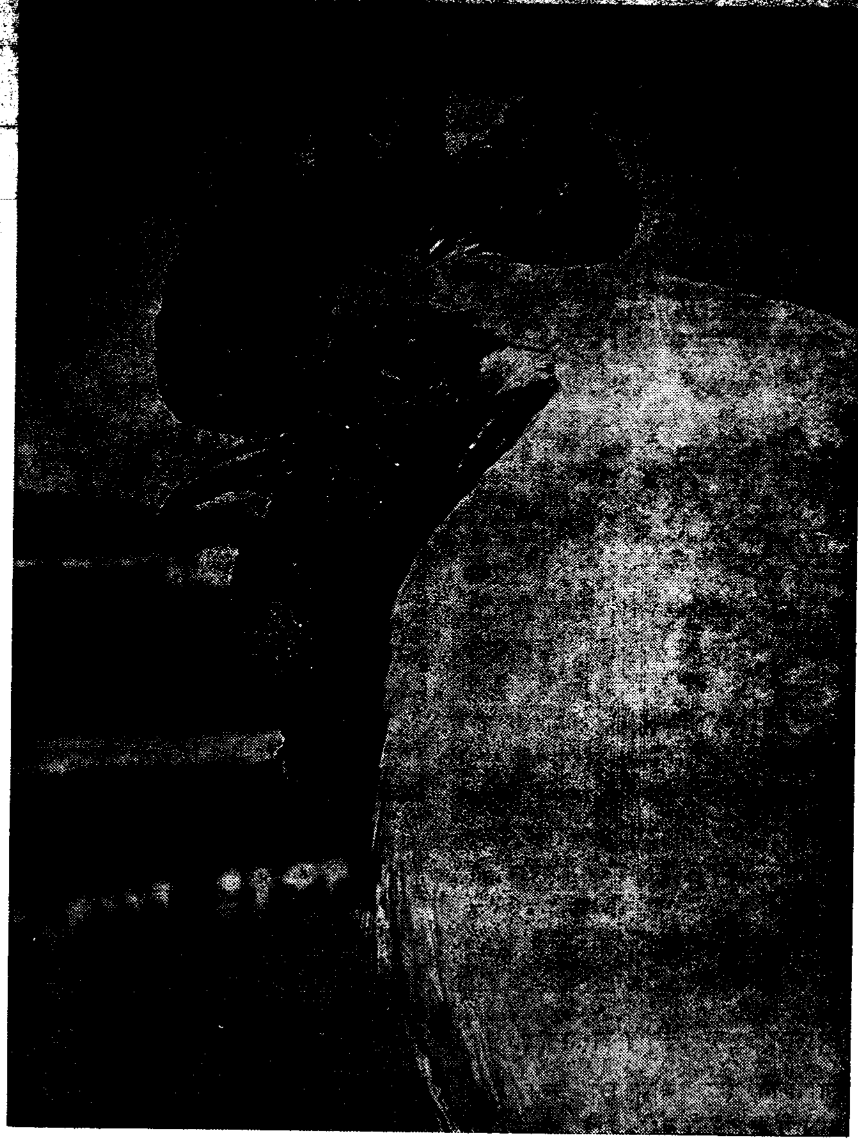

गर्वीला ह्वाइट रौक मुर्गा

'घर की मुर्गी दाल बराबर' कहावत आज पुरानी पड़ चुकी है और अर्थ भी लगभग भ्रमक सा हो गया है। देखा जाय तो न आज मुर्गी ही सस्ती है और ना ही दाल। बाजार में दाल खरीदने जाएं तो आपको दाल आटे का सब भाव पता पड़ जाएगा। कोई भी दाल 4,5 रु० प्रति किलो से कम भाव पर न मिलेगी। हालांकि देश में दाल उत्पादन बढ़ाने की अनेक सरकारी योजनाएं चल रही हैं, मगर फिर भी वे दिनों दिन मंहगी होती जा रही हैं। अत: आज जरूरत इस बात की है कि ऐसे आहार खोजे जाएं जो पोषण की दृष्टि से बेहतर हों और आपकी जेब के भी अनुकूल हों।

प्रोटीन की पूर्ति के लिए मुर्गी के अण्डे आदर्श स्रोत हैं। पोषण सलाहकार समिति के अनुसार स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन की दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आहार में कम से कम मुर्गी का आधा अण्डा तो प्रतिदिन सम्मिलित करना ही चाहिए। ऐसा नियम बनाने से कुपोषण की समस्या काफी हद तक हल हो सकेगी। इस हिसाब से भारत को प्रतिदिन लगभग 30 करोड़ अंडों की जरुरत होगी और इसी आवश्यकता की पूर्ति के अनुसार हमें अपने मुर्गीपालन उद्योग को विकसित करना पड़ेगा। देश में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने की दिशा में मुर्गीपालन धंधे का विकास काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। मुर्गीपालन ऐसा धंधा है जिसे थोड़ी सी पूंजी, मामूली सा प्रशिक्षण और छोटी-मोटी आर्थिक सहायता से सफल रूप से चलाया जा सकता है। आवश्यक नहीं कि धंधे को शहरों में ही चलाया जाय, दूर-दराज स्थानों में मामूली किराए पर जमीन लेकर अच्छी मुर्गीशाला स्थापित की जा सकती है।

## अण्डे सभी मौसमों में गुणकारी

कुछ लोगों का ख्याल है कि अण्डे सिर्फ सर्दी के मौसम में ही खाने चाहिए क्योंकि गर्मी के मौसम में अण्डे खाने से लाभ के बजाय स्वास्थ्य को हानि अधिक पहुंचती है। यह धारणा बेकार है, असल में अंडे सभी मौसमों में समान रूप में गुणकारी होते हैं। साथ ही अनेक लोगों की यह धारणा कि अण्डा खाने से जीव हत्या होती है, सही नहीं है। मुर्गियों के जिन समूहों में मुर्गा रखा जाता है

तथा नर मुर्गा व मादा मुर्गियों के समागम के परिणामस्वरूप मुर्गियां जो अण्डे देती हैं उनमें जीवन रहता है अन्यथा ऐसे अण्डे जो बिना मुर्गे मुर्गी के समागम द्वारा प्राप्त होते हैं उनमें जीव नहीं होता और उन्हें खाली या निर्जीव अण्डे कहा जाता है। अतः कुपोषण को दूर करने में इस धारणा को भी निर्मूल करने की जरूरत है कि मुर्गी का अण्डा खाना भी एक प्रकार का मांस भक्षण है। निर्जीव अथवा खाली अण्डों का सेवन उसी प्रकार से करना चाहिए जैसे आप पकौड़े अथवा आलू के व्यंजनों का इस्तेमाल करते हैं।

दूसरी बात यह कि अंडों को केवल सर्दी के मौसम में खाने से लाभ होता है, भ्रामक है। हमें यह देखना चाहिए कि अंडों से हमारे शरीर को कितनी शक्ति मिलती है। खोजों से पता चला है कि एक अण्डा खाने से शरीर को लगभग 80 कैलोरीज ऊर्जा मिलती है जो आपके आहार में चावल की कुल मात्रा या रोटियों की कुल संख्या का एक अंश है। आमतौर से स्वस्थ सामान्य मनुष्य को आहार में प्रतिदिन 2000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हां अंडों से शरीर की प्रोटीन संबंधी आवश्यकता की काफी हद तक पूर्ति अवश्य होती है जो चावल तथा रोटी से इतनी नहीं हो पाती।

## मुर्गीपालन उपयोगी व लाभकर

मुर्गीपालन एक लाभकारी धन्धा है। इस धन्धे में आरंभ में बड़ी पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही लंबे चौड़े स्थान या विशेष अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। आरम्भ में कुछेक दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य है ताकि आपको अपनी मुर्गियों की देखभाल करने तथा उनके स्वास्थ्य को सामान्य बनाए रखने में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस न हो।

मुर्गीपालन का कार्य कुछेक मुर्गियों से आरम्भ करना अच्छा रहता है। पूंजी के अभाव में पूर्ण विकसित मुर्गियों के बजाय व्यवसाय को एक दिन के चूंजों से शुरू किया जा सकता है। ऐसे चूजे किसी भी मान्यता प्राप्त अथवा सरकारी हैचरी से प्राप्त किए जा सकते हैं। चूंजों को लंबे समय तक पालने के झंझट से बचने के लिए एक माह के चूजे खरीद कर धंधा आरंभ करना हितकर होता है। अच्छा आहार और स्वस्थ वातावरण मिलने पर ढाई मास के चूजों को मांस के लिए बेचा अथवा स्वयं प्रयुक्त किया जा सकता है। 160 से 180 दिन की आयु वाली मुर्गी अंडा देने योग्य हो जाती है। ऐसी मुर्गियां जब तक अंडे देती रहें, उनसे अंडे प्राप्त किए जा सकते हैं, बाद में अंडों के उत्पादन में कमी होने पर उन्हें मांस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार मुर्गी की उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही उक्त कहावत कभी गढ़ी गई होगी।

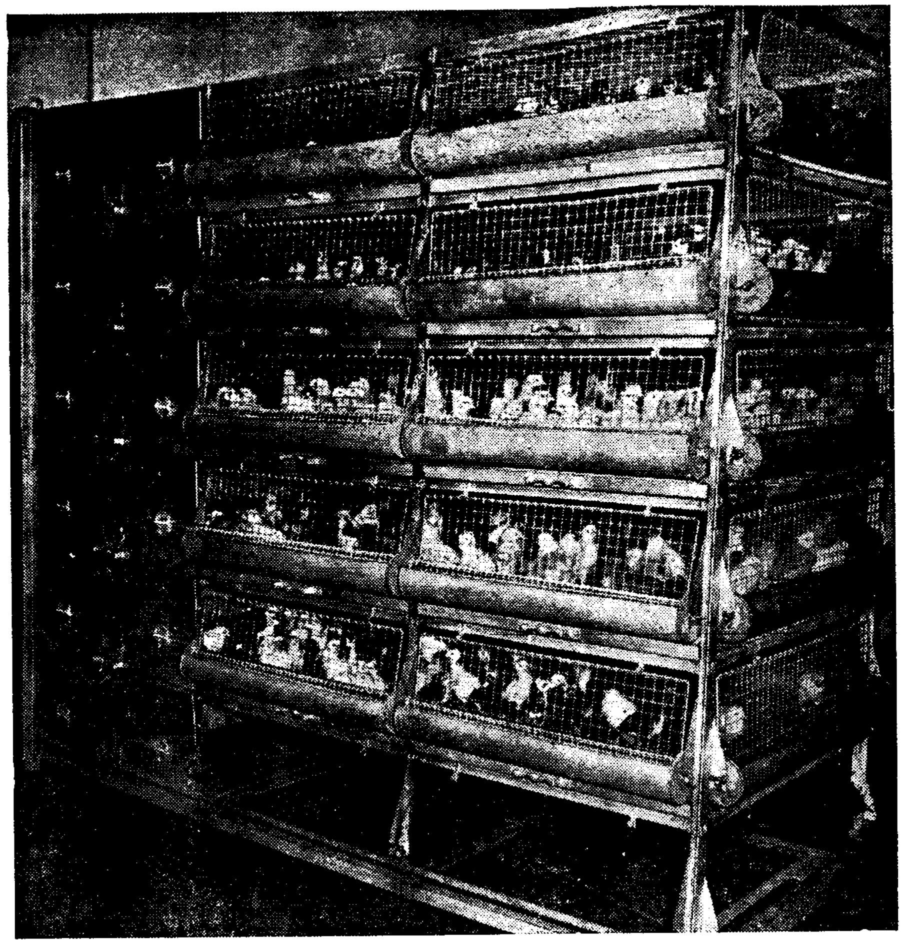

**मुर्गियों के ये चूजे केवल सात दिन के हैं।**

अण्डों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बढ़िया नसल की मुर्गियां पालनी चाहिए। 'व्हाइट लैग हार्न' तथा 'रोड आईलेंड' नस्ल की मुर्गियां अधिक अण्डा देने के लिए अच्छी मानी जाती हैं। इस नस्ल की मुर्गियों से एक वर्ष में लगभग 200 तक अण्डे प्राप्त होते हैं बशर्ते कि उनकी आहार तथा स्वस्थ वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे।

## मुर्गी का आहार

अण्डों के उत्पादन के लिए मुर्गी-आहार का विशेष महत्व है। मुर्गियों को संतुलित आहार देने के लिए मक्का, धान, जौ, गेहूं का चोकर, चावल की भूसी, मूंगफली की खली, मछली व हड्डी का चूरा बुझे हुए चूना नमक इत्यादि को निश्चित अनुपात में मिलाकर पौष्टिक आहार तैयार करने चाहिए। समय समय पर मुर्गियों को पेड़ पौधों की हरी पत्तियां आदि भी खिलाते रहना चाहिए। आहार उत्पाद भी मिलते हैं जिनसे चूजों की नियमित वृद्धि में सहायता मिलती है तथा वे स्वस्थ बने रहते हैं। अतिरिक्त अण्डा उत्पादन तथा मांस के लिए व ब्राइलर तैयार करने के लिए बाजारों में प्राप्त होने वाले संतुलित आहार बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

आहारों के अतिरिक्त समय समय पर मुर्गियों के स्वास्थ्य की परीक्षा कर उन्हें विटामिनों से भरपूर गैलिनैक्स, गैलिसोल फुलाकसेड आदि रासायनिक यौगिक भी देते रहना चाहिए।

## नई भारतीय नस्लें

उत्तर प्रदेश में इज्जतनगर स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में मुर्गियों की नयी नस्लें विकसित की गई हैं। ये नस्लें अण्डे और मांस उत्पादन में विदेशी मुर्गियों

से बेहतर हैं। अनुमान है कि स्वदेश में विकसित ये नस्लें शीघ्र ही विदेशी की मुर्गियों की जगह ले सकेंगी। इनके अतिरिक्त मांस के लिए ब्राइलर की एक नस्ल भी तैयार की गयी है। ऐसी मुर्गियां केवल 10 सप्ताह में तैयार हो जाती हैं। इतनी अवधि में उनका शारीरिक वजन लगभग एक किलोग्राम हो जाता है। ब्रांइलर की यह नई नस्ल आज व्यापारिक उत्पादन के लिए उपलब्ध है। अधिक अण्डे देने वाली मुर्गियों की विकसित नस्लों से प्रति वर्ष 220-230 तक अण्डे प्राप्त होते हैं। इन पर कुछ और परीक्षण चल रहे हैं। व्यावसायिक उत्पादन के लिए ये नस्लें शीघ्र ही मिल सकेंगी।

भारत सरकार ने विदेशी मुर्गियों के जर्मप्लाजम के आयात को इसी वित्तीय वर्ष से बंद करने का निर्णय किया है। ऐसी व्यवस्था में मुर्गियों की उक्त नस्लों का विकास और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में कुछ समय पहले तक अमेरिका, कनाडा, इंगलैंड आदि से विदेशी नस्लों की मुर्गियों का आयात किया जाता रहा है।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मुर्गीपालन पर अखिल भारतीय अनुसंधान समन्वित प्रायोजना का मुख्य केन्द्र है। इसके अंतर्गत मुर्गीपालन पर अनुसंधान कार्य तेजी से हो रहा है, जिसका उद्देश्य मुर्गीपालन को देश में निर्धनता और कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में महवपूर्ण हथियार बनाना है।

### मुर्गियों से उपयोगी खाद

अण्डे और मांस के उत्पादन के अतिरिक्त मुर्गियों के पंखों और बीटों से उपयोगी खाद तयार होती है। मुर्गीघरों में सफाई रखने के लिए उनमें भूसे अथवा धान के पुआल लकड़ी के चूरे आदि की 25 से 30 से०मी०मोटी विछाली बिछाई जाती है। विछाली में ताप व वायु का संचार समुचित रहने तक जीवाणु फफूंदी आदि का प्रभाव नहीं होता। मगर जैसे जैसे बिछाली में मुर्गियों का मल मूत्र एकत्रित होता जाता है, नमी की मात्रा नीचे की ओर बढ़ती जाती है, फलतः जीवाणु और फफूदियों आदि का प्रभाव बढ़ जाता है। इनकी प्रतिक्रिया से बिछाली सामग्री का विघटन आरम्भ हो जाता है। लगभग एक वर्ष की अवधि में विछाली सामग्री का पूर्ण विघटन हो जाता है और अच्छी खाद तैयार हो जाती है। इस प्रकार तैयार खाद कम्पोस्ट खाद से भी बेहतर होती है। मुर्गियों की खाद में लगभग 3 प्रतिशत नाइट्रोजन, 2 प्रतिशत फास्फोरस तथा 2 प्रतिशत पोटाश होते हैं। अनुमान लगाया गया है कि 80 मुर्गियों वाली मुर्गी शाला से एक वर्ष की अवधि में बढ़िया किस्म की एक टन खाद बन कर तैयार हो जाती है जिसे जैविक खादों के रूप में फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ✱

---

# बाल श्रमिकों के हितों की सुरक्षा

डा० राम कृपालसिंह

औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समझौते का उद्देश्य विभिन्न व्यवसायों में बाल श्रमिकों के शोषण को रोकना है। इस समझौते के अनुरूप ही वर्ष 1938 के अंत में बाल रोजगार अधिनियम लागू कर दिया गया था। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि इस अधिनियम के लागू किए जाने के 40 वर्ष बाद भी बाल श्रमिक कष्ट पा रहे हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार एक करोड़ सात लाख से भी अधिक बालक जीवनयापन के लिए काम कर रहे थे। इनमें से अधिकांश बच्चे या तो अनाथ थे अथवा उनके अपंग माता-पिता उन पर आश्रित थे। इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों के दबाव में उनको काम करना पड़ रहा था।

भारतीय बाल कल्याण परिषद् द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार विभिन्न संस्थानों में 14 वर्ष की आयु से कम के बालक पूर्णकालिक अथवा अंश-कालिक श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। केवल दिल्ली में ही ऐसे बच्चों की संख्या 21,000 से अधिक थी। दिल्ली दुकान और संस्थान अधिनियम के नियमों का घोर उल्लंघन करके इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक बालकों को प्रतिदिन 12 घंटे से भी अधिक समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दर से भी कम वेतन दिया जाता है। बाल श्रमिकों की संख्या इतनी ही बड़ी है जितनी कि संगठित क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों की। अधिकतर मामलों में बाल श्रमिकों को न्यूनतम वेतन से कम वेतन पर काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। अगर हम इसके साथ उन बालकों की संख्या को भी जोड़ दें, जो किसी भी संस्थान में वेतन भोगी कर्मचारी नहीं हैं और इस कारण उनके बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती, तो समस्या की जटिलता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है। इन आंकड़ो में जेब काटने, वेश्याओं के लिए ग्राहक फंसाने, नकली शराब बेचने, भीख मांगने और तस्करी जैसे जघन्य अपराधों में लगे बच्चों की संख्या शामिल नहीं है। और न ही ऐसी संख्या का पता लगाना संभव ही है।

बाल रोजगार पर श्रमिक दल की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि वर्तमान अधिनियम को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए, सभी खतरनाक काम-धंधों में बच्चों को रोजगार देने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए और इस अधिनियम के अन्तर्गत सब धंधों में रोजगार की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए। बाल कल्याण परिषद् द्वारा किए गए एक अध्ययन में भी बाल श्रमिकों की कार्य दशाओं में सुधार के लिए अधिनियम के सही कार्यान्वयन के महत्व पर बल दिया गया है। अप्रेंटिस अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु को 14 वर्ष से कम करके 12 वर्ष कर दिया जाना चाहिए ताकि बाल श्रमिक कुशलता प्राप्त कर सकें।

बड़े संगठित उद्योगों में बाल रोजगार का अस्तित्व ही नहीं है परन्तु इस बुराई पर ग्रामीण क्षेत्रों, घरेलू सेवाओं तथा दुकानों और संस्थाओं एवं उद्योग के छोटे और गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। 1971 की जनगणना के अनुसार देश के कुल बाल श्रमिकों में से लगभग 87 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में

कृषि और रोपण, मछली उद्योग और पशु-पालन श्रमिकों के रूप में कार्यरत हैं। जहां तक कुटीर उद्योग का संबंध है, एक बड़ी संख्या में बाल श्रमिक घड़ी निर्माण, चूड़ियां बनाने, कालीन बुनाई, काजू संसाधन, बीड़ी निर्माण, हथकरघा और बिजली चालित करघा उद्योगों में कार्यरत हैं।

बाल श्रम का एक मूल कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी का व्याप्त होना है। गरीबी को समाप्त किए बिना बाल श्रम का उन्मूलन करना बहुत कठिन होगा। श्रम से संबंधित सब कानूनों का उद्देश्य श्रमिकों की कठिनाइयों को दूर करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि रोजगार के विभिन्न अस्वास्थ्यकर धंधों में बालकों को रोजगार देने पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। इसमें निर्माण कार्य, खान-पान सेवा तथा पटरियों का कार्य आदि विशेष रूप से शामिल हैं।

इस प्रस्तावित संशोधन में यह भी व्यवस्था की गई है कि उन नियोजकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए जो बाल रोजगार से संबंधित सूचना को प्रदर्शित नहीं करते। इस संशोधन में सक्षम अधिकारियों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे नियम बनाएं और इन नियमों को संसद् में पेश करने की व्यवस्था भी करें।

अधिकतर बाल श्रमिक उस वर्ग के हैं जो सदियों से सामाजिक असमर्थता के बोझ से दबे आ रहे हैं। इस कारण यह कानून केवल औद्योगिक श्रम क्षेत्र में ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक कानून है। केवल कानून बना देने से ही विभिन्न प्रथाएं और प्रणालियां समाप्त नहीं हो जातीं जोकि विशेष रूप से ग्रामीण और बागवानी क्षेत्रों में व्याप्त हैं। कई बार उनकी तरफ अपराध के रूप में देखा जाता है। यहां पर बाल रोजगार बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करता है। नियोजकों को ऐसे कानूनों के बारे में जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है। स्थानीय अधिकारियों के साथ-साथ भूमिहीन श्रमिकों को इससे संबंधित, विशेष रूप से बाल रोजगार से संबंधित कानून की विभिन्न नियमित, संरक्षणात्मक और कल्याणकारी धाराओं के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

कई बार ऐसे रोजगार एक या उससे अधिनियमों की धाराओं का उल्लंघन करते हैं। न तो नियोजकों को ही और न कर्मचारियों को इस अपराध की जानकारी होती। इस कारण इस कानून की विभिन्न धाराओं को समझने और कार्यान्वित करने के लिए जनता को जागरूक करना होगा। इस संदर्भ में श्रमिकों की शिक्षा और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। आम तौर पर बाल श्रमिकों का शिक्षा स्तर बहुत ही नीचा पाया जाता है। सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे कि युवा श्रमिकों को उनकी आवश्यकतानुसार रोजगार, सलाह और व्यावसायिक निर्देश उपलब्ध कराए जा सकें। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा मंडल और राष्ट्रीय श्रम संस्थान ग्रामीण श्रमिकों को सब प्रकार के गैर-कानूनी शोषण से बचाने के लिए उन्हें शिक्षित और संगठित करने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। केवल इसी प्रक्रिया से ग्रामीण श्रमिकों को शिक्षित और संगठित किया जा सकता है जो धीरे-धीरे आने वाले वर्षों में बाल श्रम का उन्मूलन कर देगा। सरकार अपनी तरफ से इन परिश्रमी बालकों के आंसू पोंछने के लिए कृत संकल्प है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल मंडल की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने बाल कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने और पांच वर्षों के भीतर जरुरतमंद बच्चों के कष्टों को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय आन्दोलन का आयोजन करने का आह्वान किया है। ●

# सर्दी ने मेहनत के खोले हैं द्वार

**जगदीशचन्द्र शर्मा**

सर्दी ने मेहनत के
खोले हैं द्वार—
जन-बल में आया है
जीवन का ज्वार।

पनपा है सृजन का
नूतन व्यवसाय—
धन्य हुई क्षमताएं
धन्य हैं उपाय।

आकर्षक लगता है
मौसम का रंग—
दिग्मंडल विकसा है
सर्दी के संग।

गेंदे के फूलों-सी
पीली है धूप;
चम्पा-सा निखरा है
धरती का रूप

नदियों में बहता है
सर्दी का प्यार—
देती हैं खेतों को
नहरें उपहार।

अभ्युदय पाता है
नए-नए मोड़—
ले सकता कौन यहां
सर्दी से होड़?

—पो० गिलूंड-313207
(राजस्थान)

# गांवों में शिक्षा तो चाहिए, पर ऐसी नहीं

क्षितीश वेदालंकार

सन् 1947 में जब देश की दासता के बंधन टूटे थे तभी गांधी जी ने चेतावनी दी थी कि राजनीतिक आजादी केवल पहला चरण है, हमारा असली ध्येय तो इस राजनीतिक आजादी के माध्यम से, सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति से प्रारंभ करके सम्पूर्ण समाज को आर्थिक, सामाजिक और नैतिक उत्थान की मंजिल तक पहुंचाना है। शोषण, विषमता और गरीबी सारी दुनियां की सर्व-सामान्य समस्याएं हैं, क्योंकि इनका संबंध केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं, प्रत्युत मनुष्य की स्वार्थ-वृत्ति से है, जो सदा सर्वत्र विद्यमान है।

पिछली एक-दो शताब्दियों में वैज्ञानिक और औद्योगिक सभ्यता का जितना विकास हुआ है उससे इन समस्याओं में और वृद्धि ही हुई है। कारण यह कि समस्त साधनों का शहरों में ही केन्द्रीकरण हो गया और वे वैज्ञानिक उपलब्धियां गांवों तक नहीं पहुंच पाईं। अब तक सारी दुनियां इन समस्याओं से निपटने का एक ही मार्ग जानती रही है—और वह है हिंसा तथा पशुबल से तत्कालीन सत्ता का—अर्थात् यथास्थिति का परिवर्तन और फिर उस परिवर्तित सत्ता के द्वारा समाज का नवनिर्माण। परन्तु अब तक का अनुभव यह है कि यह केवल भ्रम है।

महात्मा गांधी ने सुझाया था कि समाज परिवर्तन हिंसक साधनों और राज्यशक्ति से नहीं, बल्कि सचाई, प्रेम और सहयोग की भावना से तथा स्वयं जनता की अपनी शक्ति से ही संभव है। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए हमें समाज के मूल घटक-व्यक्ति को इस सांचे में ढालना होगा कि वह सत्य, प्रेम और अहिंसा तथा सहयोग की भावना में दीक्षित होकर स्वयं अपने उद्धार के लिए कटिबद्ध हो जाए। व्यक्ति को बदले बिना समाज को बदलने की कल्पना ही व्यर्थ है। व्यक्ति को बदलने की यह प्रक्रिया केवल शिक्षा द्वारा ही संभव है।

आजादी के बाद से देश में शिक्षा की ललक बड़ी तीव्रता से पैदा हुई और स्थान-स्थान पर स्कूल और कालिजों की भरमार हो गई। अब भी नित्य नई शिक्षा संस्थाएं खोलने की प्रवृत्ति जारी है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी धन खर्च किया गया है। शासन ने भी अपनी ओर से शिक्षा के प्रसार में भरपूर सहयोग दिया है। आजादी से पहले की स्थिति से तुलना की जाए तो निस्सन्देह शिक्षा प्रसार में कई गुना वृद्धि हुई है। पर ज्यों ज्यों शिक्षा का प्रसार होता गया है, त्यों त्यों जनता में और विशेष रूप से युवा वर्ग में, असन्तोष की भी निरन्तर वृद्धि होती गई है। प्राचीन शास्त्रकार कहते थे—"सा विद्या या विमुक्तये"—विद्या वह है जो मनुष्य को मुक्ति दिलाए। मुक्ति किस चीज से? रूढ़ियों से, परावलम्बन से और मानसिक दासता से। पर स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात् यह विचित्र तथ्य भी उभर कर सामने आया है कि जनता का अपना अभिक्रम प्रायः समाप्त हो गया है, सरकारी नौकरियों की छीना झपटी की होड़ लगी है और प्रत्येक व्यक्ति परमुखापेक्षी हो गया है। स्वावलम्बन के बजाए परावलम्बन का मोह ही अधिक उभरा है। मानसिक दासता में भी कमी नहीं आई। प्रत्येक काम में सरकार का मुंह देखने की प्रवृत्ति हद से अधिक बढ़ गई है। क्या स्वराज्य प्राप्ति का यह अर्थ है कि जनता अपना पुरुषार्थ और अभिक्रम भूल कर सरकारी तंत्र की दासता स्वीकार कर लें?

यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमने उनके द्वारा प्रचलित शिक्षा प्रणाली के ढांचे को ज्यों का त्यों स्वीकार करके बहुत बड़ी भूल की है। आज देश का प्रत्येक विचारक इस बात को स्वीकार करता है कि इस शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए। पर परिवर्तन का वह साहस न 'लोक' में है, न 'तंत्र' में और उसके अभाव में हमारा लोकतन्त्र पंगु हो गया है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल असन्तोष पैदा करती है, वह श्रम से जी चुराना सिखाती है। आज भी उसका उद्देश्य केवल कलम घिस्सू क्लर्क पैदा करना है। वह नई पीढ़ी को कोई नया मार्ग दिखाने के बजाए उसे और पथ-भ्रष्ट करती है। अंग्रेजों की दासता के समय देश में जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी और उससे जैसे नवयुवक तैयार होते थे, उसे लक्ष्य करके महाकवि अकबर इलाहाबादी ने कभी अपनी व्यंगपूर्ण शैली में कहा था—

क्या कहें, अहबाब क्या  
कारें नुमायां कर गए।  
बी०ए० किया, नौकर हुए,  
पेंशन मिली, और मर गए।।

उस समय के शिक्षितों पर कसी गई यह फब्ती आज के नवयुवकों पर भी ज्यों की त्यों सटीक फबती है।

आज जो लोग शिक्षितों की बेरोजगारी की शिकायत करते हैं, वे भी केवल सरकारी नौकरियां प्राप्त करने की ही कोशिश में रहते हैं, क्योंकि उसमें सुरक्षा है, सुविधा है और आराम है। वे खतरा उठाने को तैयार नहीं। उनमें साहस का नितान्त अभाव है। अच्छी शिक्षा का मतलब है ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को भावी जीवनसंघर्ष में विजयी बना सके, न कि याचक बना कर द्वार-द्वार पर भटकने के लिए छोड़ दे।

निष्कर्ष यह है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, समाजवाद की स्थापना के लिए, सामाजिक विषमता मिटाने के लिए और ग्रामों को विकसित कर उन्हें स्वावलम्बन के पथ पर आरूढ़ करने के लिए शिक्षा तो आवश्यक है, पर वह वैसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए जैसी आजकल सर्वत्र प्रचलित है। उससे तो हम शहरों की बुराइयों को ही गांवों तक पहुंचाते हैं।

गांधी जी का मत था जिस प्रकार का जीवन हमारा लक्ष्य है, जब तक विद्यार्थी जीवन में उसी ढंग से नहीं रह पाता, तब तक यह सोचना व्यर्थ है कि शिक्षा के बाद जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। जिस छात्र को अपने अध्ययन-काल में सबसे अधिक चिन्ता इस बात की रहती हो कि कहीं उसकी पैंट की क्रीज खराब न हो जाए, क्या उससे यह आशा की जा सकती है कि वह आगे जाकर कभी खेत में हल चलाएगा? गांधी जी का

आदर्श था—"जीवन के लिए दैनिक जीवन द्वारा शिक्षा।" सामाजिक और नैतिक मूल्यों में आज जो गिरावट आ गई है, कथनी और करनी में जो आज इतना अन्तर आ गया है, उसे देखते हुए गांधी जी का दृष्टिकोण कितना सही था। गांधी जी ने उस बात का उपदेश कभी नहीं दिया जिसका स्वयं उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव न कर लिया हो। दक्षिण अफ्रीका के अपने टाल्सटाय फार्म में और सेवाग्राम में शिक्षा के जिन सिद्धान्तों को उन्होंने परखा और व्यावहारिक दृष्टि से सही पाया, उन्हीं को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने की सलाह दी। उनका विश्वास था कि बुनियादी तालीम की पद्धति से छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होगा, वे श्रम की महत्ता समझेंगे, स्वावलम्बन का पाठ पढ़ेंगे और अपनी जीविका के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि इससे उनके आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचेगी।

परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में जितनी उपेक्षा बुनियादी तालीम की हुई है, उतनी और किसी चीज की नहीं। आज हम सत्ता के विकेन्द्रीकरण, लोकतन्त्र और समाजवाद, बेरोजगारी उन्मूलन, गृहोद्योग और कुटीरोद्योग, गरीबी निवारण और ग्रामोद्धार आदि की बात करते हैं, पर हमारी सभी शिक्षा प्रणाली में ऐसा कोई तत्व नहीं है, जिससे उपरोक्त में से किसी एक को भी सहारा मिले।

गांधी को केवल राजनीतिक नारेबाजी का आधार न बना कर यदि ग्रामों में शिक्षा-प्रसार के क्षेत्र में भी स्थान दिया जाए, तो निस्सन्देह ग्राम-विकास को नई दिशा मिलेगी और लोकतंत्री जीवन-पद्धति का भी सुदृढ़ स्तम्भ तैयार हो सकेगा।

आधुनिक विज्ञान और तकनीक का बुनियादी तालीम से विरोध नहीं है। हां, जिस यंत्र से मानव श्रम का इस हद तक शोषण होता हो कि उससे बेरोजगारी बढ़ती हो, उसे तो रोकना होगा। यदि कुटीरोद्योगों को प्रोत्साहन देना है तो बड़े उद्योगों पर किसी हद तक अंकुश लगाना ही होगा।

खेती, बागवानी और पशु-पालन के क्षेत्र में जो नई वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, उन्हें शिक्षित ग्रामीण जितनी सहजता से ग्रहण कर सकेगा उतनी सहजता से अशिक्षित व्यक्ति नहीं। पर यदि कोई शिक्षा खेती और पशुपालन के प्रति ही अरुचि या हीनभावना पैदा कर दे, तो वैसी शिक्षा हमारे ग्रामों को नहीं चाहिए। ग्रामों में शिक्षा प्रसार करते हुए इतना विवेक तो बरतना ही पड़ेगा।

हिन्दुस्तान दैनिक,
कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली-1

# ग्राम सुधार में कृषि का योग

डा० रामगोपाल चतुर्वेदी

ग्रामों में सुधार लाने के लिए कृषि तथा कृषि उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है। वास्तव में ग्रामों की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था खेती पर आधारित है। इसीलिए हाल में छठी योजना बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि ग्रामों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाए। अभी कुछ समय पूर्व कृषि मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने कहा था कि यह ग्रामीण विकास योजना देश के पांच हजार से अधिक विकास खंडों में अमल में लाई जाएगी। हर विकास खंड को इसे अमल में लाने के लिए पांच लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी साल यह योजना दो हजार तीन सौ विकास खंडों में लागू की जा रही है। बाद को हर साल इसे 300 नए विकास खंडों में लागू किया जाएगा।

"संकर ज्वार"—सुधरी किस्म—बेहतर उपज

**इसके अलावा, अगले आठ वर्षों में मवेशियों की नस्ल सुधार और डेरी विकास कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए चार अरब 83 करोड़ रुपए की लागत** से एक समन्वित डेरी विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है। आशा है इससे पांच करोड़ दूध के धंधे में लगे ग्रामीण लोगों की आय बढ़ेगी। योजना के पहले चरण में अब तक 186 दूध की डेरी चालू की जा चुकी हैं। ये दोनों योजनाएं समुचित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन अमल में लाई जा रही हैं। यह सचाई है कि कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को काम दिलाकर ही ग्रामों की उन्नति की जा सकती है। इसी प्रकार कृषि में विकास के साथ परिवहन, भंडारण और कृषि-उत्पादन के कार्य में भी अधिक तेजी से काम किया जाएगा। कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही सिंचाई की सुविधाएं बढ़ायी जाएंगी तथा खेती, पशुपालन, मछली पालन और वन रोपण के काम को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसे कार्यक्रमों का सीधा प्रभाव यह पड़ेगा कि ग्रामीण भाइयों की आमदनी बढ़ेगी और रोजगार के अधिक अवसर मुहैया हो सकेंगे। सूखा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी विकास कार्यक्रम चालू किए जा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम विकास खंडों और ग्रामों तक फैलाए जाएंगे जिससे उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ गांव के लोगों के रहन सहन में सुधार होगा।

हाल में सरकार ने काम के लिए अनाज देने की योजना भी शुरू की है। इसके लिए 6 लाख टन अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की जा चुकी है। इससे गावों के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार इस वर्ष 24 करोड़ वृक्ष लगाने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा, सम्पर्क स्थापित करने के लिए सड़कों का निर्माण, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्रों में भी योजनाओं का सूत्रपात किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सकेगा। प्रयत्न यह किया जा रहा है कि कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में काम को व्यापक रूप में आगे बढ़ाया जाए।

वैसे तो देश की आजादी के बाद से अनाज उत्पादन में बराबर बढ़ोत्तरी करने के प्रयत्न किए जाते रहे हैं। इस दिशा में जो प्रयास किए गए, उनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो सकी है। इस दौरान जब मानसून ठीक नहीं रहा तो देश को विदेशों से भी अनाज प्राप्त करना पड़ा था। परन्तु उस सूखे का सामना करने के बाद देश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को **प्राप्त** करने के लिए लगातार कोशिश करता रहा है। इसी वर्ष 1977-78 में अनाज का उत्पादन करीब 12 लाख टन बढ़ गया है। इस तरह अन्न के मामले में देश की पैदावार में बराबर बढ़ोत्तरी होती रही है।

**डेरी विकास : देश में फिर से दूध-घी की नदियाँ बहने लगेंगी।**

अब प्रश्न यह उठता है कि अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए, जिसकी वजह से आज हम यह सफलता प्राप्त कर सके हैं? सिंचाई की सुविधा अधिक से अधिक क्षेत्र में मुहैया की जाती रही है और हर साल यह कोशिश की गई है कि कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी की जाए। इसके अलावा, सुधरे बीज किसानों को व्यापक रूप से बांटे गए हैं। बोने गेहूं की उपज अधिक होती है, अतः इस दिशा में बोने गेहूं की खेती को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया गया है। इसी प्रकार खाद और उर्वरक अधिक मात्रा में मुहैया किए गए, जिससे किसानों को समय पर मिल सके। उर्वरक का उत्पादन भी देश में प्रति वर्ष बढ़ा है और किसान इतने जागरूक हो गए हैं कि उर्वरक की खपत भी अधिक होती रही है। इन सबके अलावा भूमि सुधार के जो प्रयास किए गए उसके कारण उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है। यही नहीं बड़े पैमाने पर भूमिहीनों को राज्य सरकारों द्वारा भूमि दिलाई गई है और छोटे किसानों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद भी मुहैया कराई गई है। इस तरह कुल मिलाकर हर ढंग

से यह कोशिश की जाती रही है कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए सभी उपाय किए गए। जहां-जहां प्रशासनिक कठिनाइयां सामने आई हैं, उनको दूर किया गया है और खेती करने के लिए आवश्यक साज-सामान किसानों को तत्परता से जुटाए गए हैं।

सन् 1977-78 में खेती की उपज में में जो बढ़ोत्तरी हुई है, उसे आत्मविश्वास जागा है और सन् 1978-79 के लिए सरकार ने उपज बढ़ाने के लक्ष्य को और अधिक बढ़ा कर कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बनाई है। सन् 1978-79 में अनाज का उत्पादन लक्ष्य 12 करोड़ 60 लाख टन रखा गया था। अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि 13 करोड़ टन तक खेती की पैदावार बढ़ायी जाए। इसी प्रकार तिलहन कपास और पटसन की उपज में भी बढ़ोत्तरी करने का निश्चय किया गया है। तिलहन की उपज 1 करोड़ 80 लाख टन और कपास और पटसन का उत्पादन क्रमश: 70 लाख 50 हजार और 70 लाख 60 हजार गांठे पैदा करने का रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह कोशिश की जा रही है कि 1 करोड़ 70 हेक्टर में अगले 5 सालों में सिंचाई की सुविधा मुहैया की जाए। इस वर्ष के लिए यह लक्ष्य रखा गया है कि 30 लाख 40 हजार हेक्टर में सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा जुटाई जाए, जिससे पैदावार में बढ़ोत्तरी हो सके। इसी प्रकार सन् 1977-78 में जहां 43 लाख टन उर्वरक का इस्तेमाल हुआ था, वहां इस वर्ष 50 लाख टन उर्वरक का प्रयोग किए जाने का विचार रखा गया है। इसी तरह अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत 40 लाख हेक्टर भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाएगा। कीटनाशी दवाओं के इस्तेमाल में भी बढ़ोत्तरी की जाएगी और इस वर्ष 65 हजार टन कीटनाशी दवाओं का प्रयोग किया जाएगा, जबकि पिछले वर्ष 59 हजार टन कीटनाशी दवाओं का प्रयोग किया गया था।

इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इस वर्ष क्षेत्रीय और कई राज्यों की सरकारों से सलाह-मशविरा किया गया और यह जानने की कोशिश की गयी कि ग्राम सुधार और खेती के काम में जो कठिनाई आती है, उन्हें कैसे दूर किया जाए? इसके लिए राज्य सरकारों से कहा गया कि जिला और ब्लाक के स्तर पर जो साधन मुहैया हैं और जो परेशानी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाए जाएं।

जिन चीजों की खपत देश में अधिक है और जिनकी सप्लाई कम पड़ जाती है, ऐसी जिंसों को उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के प्रयत्न किए गए हैं। अब सरकार ने यह तय किया है कि किसानों से 1976-77 में जहां गल्ला 105 रुपए क्विंटल खरीदा गया था, उसे बढ़ाकर 77-78 में 110 रुपए क्विंटल से लगाकर 119 रु० 50 पैसे तक लेने का तय किया गया। इसके फलस्वरूप आशा है कि सन् 1977-78 में गल्ले में 10 लाख टन का इजाफा होगा और उपज 3 करोड़ टन तक हो सकेगी। इसी तरह धान का वसूल मूल्य 74 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 77 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है और दालों की उपलब्धि ठीक ढंग से होती रहे, इस दृष्टि से चने के मूल्य में स्थिरता लाने के लिए 80 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है। इसी प्रकार कपास, तिलहन और पटसन के समर्थन मूल्यों में वृद्धि की गई।

पटसन और मेस्टा की उपज बढ़ाने के लिए 24 जिलों में 3 लाख 94 हजार हेक्टर भूमि में खेती की गई। उपज बढ़ाने के उद्देश्य से ही पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में उर्वरक और यूरिया का व्यापक प्रयोग 91 हजार हैक्टर भूमि में किया गया। गेहूं की पैदावार में जो बढ़ोत्तरी हुई है, उसका मुख्य कारण अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्मों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना रहा है, इसके साथ ही खेती के सुधरे तरीके काम में लाए गए। धान की उपज में भी बढ़ोत्तरी लाने के लिए ऐसे प्रयत्न किए गए, जिनसे उपज हासिल करने में आने वाली रुकावटों को दूर किया जा सके। जहां सिंचाई का पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध है, वहां पर सामूहिक रूप से नर्सरियां स्थापित की गई, जिससे किसानों को धान की रोपाई में सुविधा मिल सके और रबी के मौसम में गेहूं की दूसरी फसल भी उगा सकें।

साथ ही धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का की उपज में बढ़ोत्तरी लाने के लिए मिनीकिट कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इसका असर यह हुआ है कि किसान अच्छी उपज देने वाली फसलों का इस्तेमाल कर सकें और नई तैयार की गई किस्में किसानों ने शीघ्रता से अपना लीं।

तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। तिलहनों को रोगों और कीटाणुओं से रक्षा करने के लिए उपाय किए गए और खासकर मूंगफली, सरसों और तारामीरा (रेपसीड) की उपज को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। फासफेट वाले उर्वरक मूंगफली की खेती के लिए मुहैया किए गए और आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में इन फसलों के बीज अधिक मात्रा में तैयार करने के लिए कदम उठाए गए। इनका प्रयोग सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। सूरजमुखी और सोयाबीन की फसलों की ओर ध्यान दिया गया और ऐसा कार्यक्रम लागू किया गया कि सूरज-मुखी की खेती 4 लाख 30 हजार हेक्टर भूमि में की जा सके और सोयाबीन की खेती 2 लाख 56 हजार हेक्टर भूमि में सन् 1977-78 में भलीभांति हो सके।

कुल मिला कर सन् 1977-78 में खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किए गए हैं उनके फलस्वरूप उपज में काफी बढ़ोत्तरी हुई है और इसीलिए आगामी वर्ष सन् 1978-79 के लिए उपज के लक्ष्य को और अधिक बढ़ाकर अधिक पैदावार हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश में वैज्ञानिक, प्रशासक, नीति-निर्माता और कृषि-कर्मचारी तो लगे ही हुए हैं, किसान भी भरपूर सहयोग दे रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की लगभग दो दर्जन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केन्द्रों तथा लगभग 20 कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि अनुसंधान की गति पहले से तेज कर दी गई है। रेडियो, दूरदर्शन और खेती-बाड़ी की पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा नई खोजें किसानों तक पहुंचाई जा रही है। कृषि प्रसार विभाग ने गांव-गांव में ग्राम सेवकों के द्वारा किसानों को नई टेक्नोलोजी की जानकारी देने का अभियान चलाया हुआ है। उम्मीद है कि बाढ़ से हुए विनाश पर काबू पाने के बाद कृषि उत्पादन में स्थिरता बनी रहेगी।

प्रधान सम्पादक—खेती तथा फलफूल
331, कृषि भवन
नई दिल्ली

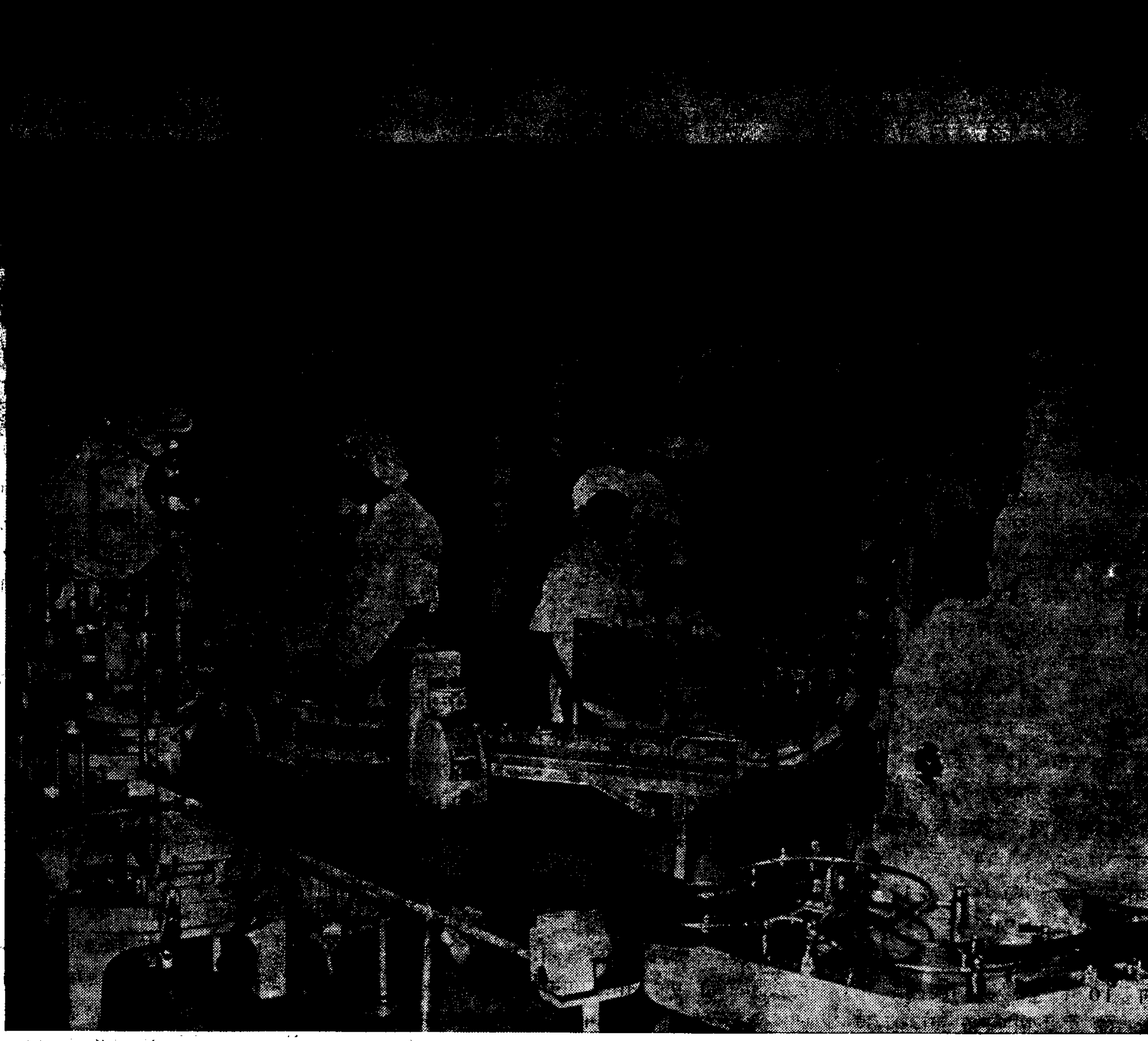

वैज्ञानिक बीजों का निरीक्षण करते हुए

# कृषि उत्पादन के नए क्षितिज

जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ उस समय देश में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग ...50 लाख मीट्रिक टन था और आज स्थिति यह है कि हमने 1977–78 वर्ष के दौरान 12 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया है। यह तब है जब कि इस वर्ष के लिए खाद्यान्न उत्पादन का हमारा लक्ष्य 11 करोड़ 86 लाख मीट्रिक टन था। [illegible] से एक करोड़ 40 लाख मीट्रिक टन अधिक है। गत तीस वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में यह तिगुनी वृद्धि कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। इस सफलता का श्रेय सर्वप्रथम किसानों के कठिन परिश्रम और लगन को है। उन्होंने अधिक उत्पादन का यह करिश्मा सिंचाई की अधिक सुविधाओं और आधुनिक प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल में लाने के परिणामस्वरूप कर दिखाया है। कृषि की [illegible] में और जो बातें सहायक हुई हैं वे हैं—सिंचाई की सुविधाओं का [illegible] 28 लाख हेक्टेयर भूमि में विस्तार किया गया है। [illegible] सिंचाई सुविधाओं का एक वर्ष में इतना अधिक विस्तार कभी नहीं हुआ। दूसरे, तीस लाख हेक्टेयर भूमि में अधिक उपज देने वाली किस्में बोई गईं और फिर उर्वरकों की खपत में भी काफी वृद्धि हुई। जहां 1975–76 में 20.9 लाख मीट्रिक टन और 1976–77 में 34.1 लाख [illegible] वहां वर्ष 1977–78 [illegible]

हैं। किसानों की मदद करने में सहकारी और व्यावसायिक बैंक भी पीछे नहीं रहे हैं। यह इस बात से जाहिर है कि उन्होंने किसानों को दो हजार करोड़ रु० अग्रिम ऋण के रूप में दिए हैं। कृषि अनुसंधान के परिणामों को किसानों तक पहुंचाने के लिए अधिक मुस्तैदी के साथ काम किया गया है। इसके लिए कृषि अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रम सुदृढ़ बनाए गए हैं। कृषि के क्षेत्र में अन्य चमत्कारिक बात यह हुई है कि जिन क्षेत्रों में गेहूं की परम्परागत रूप से खेती की जाती थी उन क्षेत्रों में चावल की भी खेती की जाने लगी है। इसी तरह जहां चावल की परम्परागत रूप से खेती की जाती थी वहां गेहूं की खेती भी की जाने लगी है। उदाहरण के तौर पर पंजाब और हरियाणा ने, जो गेहूं उत्पादन के लिए लोकप्रिय, हैं चावल उत्पादन में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है और इसी प्रकार पश्चिम बंगाल ने, जो पहले चावल पैदा करने वाले राज्य के रूप में जाना जाता था, गेहूं का प्रमुख फसल के रूप में उत्पादन शुरू कर दिया है। फिर व्यावसायिक फसलों जैसे मुख्य तिलहन, रूई, आलू, और तम्बाकू के उत्पादन में लगभग 10 से 12% वृद्धि हुई है। यह अब तक के किसी एक वर्ष में हुई सर्वाधिक पैदावार है। तिलहन के सघन विकास के कार्यक्रम दस राज्यों में शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के अधीन इन राज्यों में 21.90 लाख हैक्टेयर भूमि में तिलहन की पैदावर की गई है जबकि इसके लिए निर्धारित लक्ष्य 19.4 लाख हैक्टेयर भूमि का था। इस क्षेत्र में लगभग 2.70 लाख हैक्टेयर भूमि गैर-परम्परागत तिलहनों के विकास के लिए, केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन लाई गई है। सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और कर्नाटक में की गई जहां लगभग दो लाख हैक्टेयर भूमि इस उपज के अधीन है।

तिलहनों के लिए घोषित समर्थन मूल्य इस प्रकार हैं :– मूंगफली 160 रु० प्रति क्विंटल, सोयाबीन 145 रु० प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 165 रु० प्रति क्विंटल और सरसों 225 रु० प्रति क्विंटल।

कृषि संबंधी प्रौद्योगिकी को खेतों तक पहुंचाने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया है। इसमें कृषि अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को नई प्रणालियों की जानकारी देते हैं और उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय बात यह है कि काम करके सिखाने की तकनीक पर आधारित कृषि विज्ञान केन्द्रों अथवा फार्म विज्ञान केन्द्रों का जाल बिछाया गया है। इस बार गांव की महिलाओं की भी उपेक्षा नहीं की जा रही है ताकि ग्रामीण विकास में वहां की महिलाएं सक्रिय योगदान कर सकें।

राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्रणाली का उल्लेख किए बिना इस क्षेत्र में लक्ष्यों और उपलब्धियों का वर्णन अपूर्ण रहेगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपनाए गए हैं। जैसे परिस्थितिगत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सुरक्षा। कृषि के क्षेत्र में प्रगति को स्थायी कर देने के लिए इन तीनों कार्यक्रमों को समन्वित किया जा रहा है।

सरकार ने जिन्सों का, विशेष रूप से जिनकी किल्लत है, उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहन कीमतें देने की एक नीति अपनाई। 1977–78 के दौरान कई फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाए गए। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 112.50 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया है और धान का समर्थन मूल्य गत वर्ष बढ़ाकर 77 रु० प्रति क्विंटल किया गया था। दूसरे, चने के समर्थन मूल्य में 30 रु० की वृद्धि की गई है और यह अब 125 रु० प्रति क्विंटल है। यह इसलिए किया गया है ताकि देश में दालों का उत्पादन और उपलब्धि बढ़ाई जा सके। सरकार जहां कृषकों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाना चाहती है और उनके लिए समर्थन मूल्यों में वृद्धि की गई है और खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, वहां उपभोक्ताओं की भी उपेक्षा नहीं की गई है। गेहूं और चावल के बिक्री मूल्य पुरानी दरों पर रखे गए हैं। खाद्यान्न की सहज उपलब्धि और खाद्यान्न पर लगे प्रतिबंध के हटाए जाने के परिणामस्वरूप महानगरों और दूर-दराज क्षेत्रों में इन खाद्यान्नों की कीमतें नियंत्रित रखने में सहायता मिलती है।

आशा है कि इस वर्ष चीनी का उत्पादन लगभग 64.7 लाख मीट्रिक टन होगा। गत वर्ष इसका उत्पादन 48.43 लाख मीट्रिक टन हुआ था।

खाद्यान्न संबंधी सुखद स्थिति का श्रेय सरकार द्वारा कृषि में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनाई गई बहुद्देशीय नीति को है। एक समय था जब हम खाद्यान्न का आयात करते थे और आज हम इसका निर्यात करने की स्थिति में हैं। उदाहरण स्वरूप 1974 में 48 लाख मीट्रिक टन का और 1975 में 70 लाख 40 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न का आयात किया गया था जिस पर लगभग 1058 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी है। आज खाद्यान्न का आयात बिल्कुल बंद है और इसके स्थान पर खाद्यान्न के निर्यात की दिशा में विचार किया जा रहा है। ●

हर पल नवीनता लिए दिखाई दे, यही सुन्दरता एवं प्रगति का सूचक है।

ग्रामीण स्वास्थ्य : लेडी डाक्टर बच्चे के रोग की परीक्षा करते हुए

# ग्राम स्वास्थ्य योजना : कार्यान्वयन और मूल्यांकन

समाचार पत्रों में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2 अक्तूबर, 1977 को शुरू की गई जन-स्वास्थ्य रक्षक योजना के संबंध में कुछ प्रेस रिपोर्टें और सम्पदाकीय छपे हैं। ये आर्थिक विकास संस्थान (इन्स्टिट्यूट आफ इकानामिक ग्रोथ) की मूल्यांकन रिपोर्ट के कुछ अंशों पर अधिकतया आधारित हैं। वस्तुत: आर्थिक विकास संस्थान से स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह अनुरोध किया था कि वह ग्राम स्वास्थ्य योजना के मूल्यांकन का काम शुरू करे।

आर्थिक विकास संस्थान (इन्स्टिट्यूट आफ इकानामिक ग्रोथ) ने पंजाब और हरियाणा के 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में और इन 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रशिक्षित 94 जन-स्वास्थ्य रक्षकों द्वारा किए जा रहे काम का अध्ययन किया। इस समय यह योजना 741 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चल रही है जिनके अन्तर्गत लगभग 74 हजार गांव आते हैं। इस महीने के अन्त तक इस योजना में 44 हजार से भी ऊपर जन-स्वास्थ्य रक्षक उपलब्ध हो जाएंगे। इस मूल्यांकन रिपोर्ट के अंशों में इस योजना की कमियों पर प्रकाश डाला गया है लेकिन स्वयं रिपोर्ट में दिए गए इस योजना के अच्छे पक्ष के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। डा० आशिष बोस ने स्वयं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा था कि "मुझे आपको यह बतलाते हुए हर्ष होता है कि ग्रामीण लोगों ने आपकी योजना का स्वागत किया है। हमने रिपोर्ट में यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि डाक्टरों की भ्रांतियों का कोई औचित्य नहीं है।

यह स्वाभाविक ही है कि इतनी बड़ी किसी भी योजना में जो प्रारम्भिक अवस्था में 741 से भी अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चल रही हो, शुरू-शुरू में कुछ कठिनाइयां तो होंगी ही। इस योजना का मूल्यांकन केवल आर्थिक विकास संस्थान द्वारा ही नहीं किया गया है बल्कि 5 अन्य जनांकिकी (डेमोग्राफिक) अनुसंधान केन्द्रों और अन्य शिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थाओं के एक वर्ग द्वारा भी किया गया है जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद, भारतीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान और ग्राम स्वास्थ्य गांधी ग्राम संस्थान आते हैं। ऐसा अक्सर अन्य योजनाओं में कम ही देखने को मिलता है। इस वर्ष के बाद के संस्थानों ने अधिक विस्तृत मूल्यांकन किया है जिसके अन्तर्गत उन्होंने इन प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्रों के दस प्रतिशत से भी अधिक केन्द्रों को नमूने के रूप में लिया है, जिनमें इस योजना का प्रशिक्षण चल रहा है, जबकि आर्थिक विकास संस्थान ने अपने मूल्यांकन में केवल 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ही लिया है।

अब तक प्राप्त सभी रिपोर्टों से जिनमें आर्थिक विकास संस्थान की रिपोर्ट भी सम्मिलित है, यही संकेत मिलता है कि ग्राम स्वास्थ्य योजना का आमतौर पर "ग्रामवासियों ने स्वागत किया है"। पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में लोगों को जन-स्वास्थ्य रक्षकों के चयन में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है जबकि दूसरी ओर बहुत से राज्यों में वहां के लोगों ने इस काम में अपनी अत्यधिक रुचि दिखाई है। अधिकांश रिपोर्टों से पता चलता है कि 50 रुपये प्रति माह का पारिश्रमिक और 50 रुपये प्रति माह की दवाइयां शायद पर्याप्त नहीं होंगी। इस समय इस योजना में रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य सुधार के पक्षों पर अधिक जोर दिया गया है। चूंकि कुछ रिपोर्टों में यह बतलाया गया है कि इन पक्षों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त जोर नहीं दिया गया है, अतः इस दिशा में आवश्यक सुधार के उपाय किए जाएंगे।

इसी प्रकार इस योजना के बारे में चिकित्सकों में कुछ भ्रांतियां हैं। आर्थिक विकास संस्थान की रिपोर्ट में एक पूरे का पूरा अध्याय चिकित्सकों की इन भ्रांतियों के बारे में दिया गया है। उन्हें भय है कि ये जन स्वास्थ्य रक्षक नीम-हकीम बन जाएंगे, स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों पर जोर देंगे, जन स्वास्थ्य रक्षकों के ऊपर नियन्त्रण की कमी होगी। अन्त में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चिकित्सकों की सभी प्रमुख भ्रांतियों के विचार करने के बाद "हमारा दल पूर्णतः इस बात से सहमत नहीं है कि उनकी भ्रांतियों में कुछ दम हो। निश्चय ही इस नयी ग्राम स्वास्थ्य योजना की सही और सम्यक् परख होनी ही चाहिए। इस रिपोर्ट के अन्त में कहा गया है कि सब मिलाकर "नई ग्रामीण स्वास्थ्य योजना से अनुसूचित जातियों और कम आय वाले लोगों को लाभ पहुंच रहा है।" इसमें यह बात अवश्य कही गई है कि यदि किटें, मेनुअल, दवाइयां, आदि समय पर नहीं पहुंचती तो इस योजना के विफल हो जाने की संभावना है। सरकार इस बात से पूर्णतः सहमत है और हजारों जन स्वास्थ्य रक्षकों को किटें, मेनुअल, दवाइयां तथा पारिश्रमिक समय पर देने की बात सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों से निरन्तर सम्पर्क बना हुआ है ताकि सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यकुशलता से आयोजित किए जा सकें, अध्यापन की पर्याप्त सहायक सामग्री उपलब्ध की जा सके और लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सूझ-बूझ से काम लिया जा सके। इस मंत्रालय की न यह मंशा है अथवा ना ही इच्छा है कि लोगों के प्रभावकारी सहयोग के बिना इसे केवल प्रशासनिक कार्यक्रम ही बनाए रखा जाए।

इस रिपोर्ट में इस योजना को सुधारने के लिए जो अनेक सुझाव दिए हैं, वे इस बारे में हैं: पंचायतों से कारगर ढंग से सम्पर्क स्थापित करना, ग्राम स्वास्थ्य समितियां बनाना, पंचायत के सदस्यों के लिए विषय परिचायक पाठ्यक्रम चलाना, जन स्वास्थ्य रक्षकों का दर्जा बढ़ाना, वजीफे पारिश्रमिक का भुगतान और दवाइयां समय पर देना, प्रशिक्षण के विषय कम करना, सभी स्थानीय स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण देना, रिफ्रेशर कोर्स चलाना, वर्किंग ग्रुप द्वारा विकल्प सुझाना, ऐसे व्यापक कार्यक्रम को मानीटर करना और उसकी समीक्षा करना। इन सुझावों की ओर उन सुझावों की, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान तथा अन्य संस्थानों द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन से प्रस्तुत किए जाएंगे, गंभीरतापूर्वक छानबीन की जाएगी और इस योजना को अगले अक्तूबर में आगे जारी रखने से पहले इसमें आवश्यक सुधार कर लिए जाएंगे।

इस योजना ने विश्वव्यापी दिलचस्पी पैदा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक, डा० एच० महलर ने हाल ही में पंजाब के दौरे के बाद जहां उन्होंने जन-स्वास्थ्य रक्षकों को क्षेत्र में काम करते हुए देखा, कहा है कि यह प्रयत्न लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक क्रान्तिकारी कदम है। ●

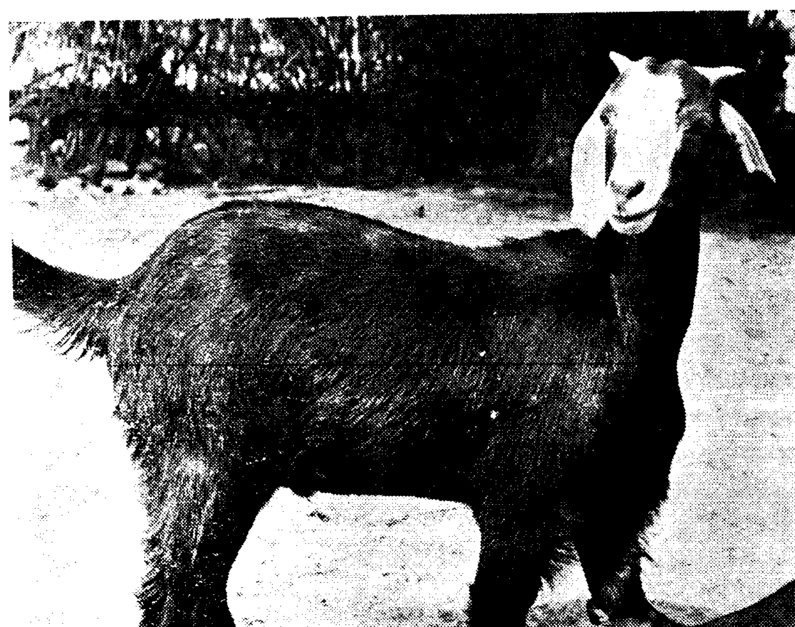

**बकरी का दूध स्वास्थ्य रक्षा के लिए रामबाण है।**

कहानी

# प्रेरणा के स्रोत

**श्रीराम शर्मा 'राम'**

भारत में ब्रिटिश राज्य का वह अस्त-काल था। चर्मकार मंगतू शरीर से भले ही मनुष्य कहा जाता हो, परन्तु जितनी यातना, जीवन की व्यथा और उत्पीड़ा उसने सहन की थी, उससे वह जर्जर हो गया था। फलस्वरूप, वह नाम मात्र का इन्सान था। उसमें न तो जीवन को सहे जाने की क्षमता थी, न आत्म गौरव का माप। मानो वह ठण्डी लावा हो, जिसे बरबस, झिंझोड़ा जा रहा था। काश, वह भी जानता कि कोई परमात्मा है। वह सृष्टि का रचयिता है। जिन्दगी में आंख खोलते ही, मंगतू ने पाया अपने नए समाज का आक्रोश, उपेक्षा और ग्लानि। मानो वह समाज का अंग नहीं था। अतएव, इन्सान का दुर्दांत और वर्णन पक्ष ही, उसे आतंकित करता था। फलस्वरूप वह सहमा था, एक अजीब प्रकार की नीरस और उदास आंखों से समाज का वैभव और गुरुत्व देखता था ······।

दुर्दिनों के उस अन्धड़ में ही, मानो अनायास, मंगतू की छाती से आ लगी वह नवोढ़ा दुलहन रमिया। लगा कि दो दुर्भाग्य एक जगह आकर जुड़ गए। वह रमिया यौवन का भार उठाए, जब मंगतू के घर में आ बैठी, तो उन्हें आभास हुआ, जैसे दोनों ही, किसी राह चलते-चलते छूट गए थे। आगे पीछे हो गए थे। इस जन्म में फिर आ मिले थे। मंगतू के समान रमिया भी अभावों की दुनिया में पली थी, जीवन की पीड़ाओं से भरी थी, लेकिन जब उसका विवाह हुआ, पति के घर में पदार्पण हुआ, तो नियति ने नया उत्साह, नया जोश उसके प्राणों में भर दिया था। वह हुलस-हुलस कर अपने पिया की दुनिया में खो गई थी और उसी के आंगन में महकते फूलों की कल्पना करने लगी थी ······।

किन्तु मंगतू ने कहा—'क्या करूं—रमिया। यह गांव का समाज बड़ा निर्दय है। यहां इन्सान ही, जानवर हैं।'

'रमिया तुनक पड़ी—सभी निर्दय हैं। स्वार्थी हैं। कहीं और चलो। रास्ता बदलो। दुनिया तो बड़ी है।'

तब मंगतू ने सांस भरी—'हमारे लिए सब ओर कांटे बिछे हैं। रास्ते बन्द हैं। सोच नहीं पाता कि क्या करूं। मैं निरुपाय हूं।'

एकाएक रमिया चौंकी—'आखिर क्या।'

मंगतू अपने मन का दर्द निकाल बैठा—'अपनी इस अन्धेरी दुनिया में—इस कूड़े करकट के ढेर पर—तुझे लाकर नहीं बैठाना था। इससे दोनों का भला था। तेरा अधिक था। तुझे तो किसी अच्छे घर जाना था।'

सुनकर, रमिया ने सांस भरी और छोड़ दी। तदनुरूप वह अपने सलोने पति को इंगित करके बोली—, 'सुनोजी तुम मुझे कुछ दो या नहीं, मगर इस तरह का अपशब्द मुंह से मत निकालो।' मुझे जो कुछ पाना था, पा चुकी। मैं पराजित नहीं। भाग्य की हेठी भी नहीं। तुम अपनी जानो' उसने अपूर्व ममतामय मनुहार प्रकट किया। यहां न आती तो भला कहां जाती। क्या राज-महलों में? यह समझ लो, कुएं की माटी कुएं में लगेगी।

इतना सुना तो मंगतू निहाल हो उठा। उसका रोम-रोम खिल गया। मानो उसने रमिया से कोई दार्शनिक उपाख्यान सुन लिया।

लेकिन उस समय तो रमिया के हृदय तंत्री के तार झनझना गए थे कि जब मंगतू ने उसे अपने पास खेंच लिया और आलोड़ के साथ बोला,—'सचमुच! ठीक कहा तूने। हमने जैसा बोया, वैसा काटा।'

तब भी रमिया आन्दोलित हो उठी। वह तड़प कर बोली—'नहीं, हमने अच्छा बोया है, अच्छा काटेंगे। तुम हिम्मत से काम लो। "उसने कहा क्यों न आती, मैं तुम्हारे जीवन में। फिर कौन आती? तुम को छोड़, तुम्हारा प्यार कौन पाती। सुना नहीं, यह जोड़ा भगवान् बनाता है, इन्सान नहीं।' यह कहते ही, उसका स्वर अवरुद्ध हो उठा। ममता आंखों में उतर आई। मोती सरीखे दो बूंद उसके गोरे गालों पर ढलक आए, उसने तड़प कर कहा—'और तुम इतना भी कहते हो। तुम भी इस रमिया को हीन और तुच्छ मानते हो।'

स्पष्ट था, उस समय रमिया के समान, मंगतू भी कातर बना था। वह बस, पत्नी के समक्ष अपनी हीनता का बखान कर बैठा था। तभी बोला—'मुझे गलत मत समझो, रमिया। बात नारी के सम्मान की है। उसकी रक्षा की है। यह गांव तो जाहिल और कमीना है। सच मान, तू मेरे हृदय की रानी है। तू आ गई है तो मैं सम्बल पा गया। एक से दो हो गए। बस, इतना सोचता हूं, तू यहां न आती, तो सुख पाती। उसने कहा, देख तो, तेरे सुख के लिए जूतियां गांठने का काम छोड़ कर जमींदार के यहां काम करना शुरू किया है। परन्तु वहां भी मेरी मौत है। जमींदार भी इन्सान नहीं, शैतान है। काम अधिक लेता है, देता कम है। गुजारा भी नहीं होता। देखता हूं तेरे बदन पर ठीक से कपड़ा भी नहीं। एक वह जमींदारनी काली-कलूटी और रेसमी साड़ी पहनती है। दिन भर बकरी की तरह पान चबाती है। कितना बड़ा महल है, जमींदार का। सलीके की झोंपड़ी भी नहीं। वहां दूध-घी पानी की तरह बहता है। अन्न सड़ता है। यहां दो समय रूखी-सूखी पेट भरने को रोटियां भी मयस्सर नहीं। बोल तो, यह मेरा पाप नहीं है क्या। तुझे भी इस दलदल में खेंच लाया। मेरे मन में जब तक यह बात उठती है, तो स्वयं सिकुड़ जाता हूं। छाती पर घूंसा-सा खाकर तड़प जाता हूं। रमिया। तब मैं अपने को धिक्कारता हूं।'

किन्तु पति से इतनी बड़ी बात सुनकर भी, रमिया चुप थी। जैसे अज्ञात बनी

थी । वह घुटनों पर मुंह रखे धुंधले हो गए अन्तरिक्ष की ओर देख रही थी। मानों वह भी यह समझने का प्रयत्न करती हो कि इस धरती और आसमान के मध्य जब इतना दुख है, इतना कटाव है, तब भगवान् कहां है । एक बिना श्रम के खाता है, गुलछर्रे उड़ाता है और एक खून-पसीना एक करके भी भूखा मरता है । निःसन्देह उसका मन सुकड़ गया । जैसे खून जम गया । वह तड़प उठी, इस धरती पर तो आग है और पैर जलते हैं। यदि कोई ऐसा स्थल हो कि जहां वह पति को लेकर छुप जाए, तो वहां से भाग सकती है । परन्तु रमिया अब नादान बच्ची नहीं थी । सब समझती थी । उसे पता था, कहीं ठौर नहीं । सब जगह इन्सानियत के चोर हैं, खूनी हैं । जब भेड़िया किसी जानवर को मार कर खाता है तो आदमी भी आदमी को हलाल करता है ·······।

मंगतू ने उसे टंकोरा—'क्या सोचती है रमिया ।

रमिया जैसे चौंक पड़ी—कुछ भी तो नहीं ।'

मंगतू बोला—'यह जिन्दगी नहीं, बोझ है । जैसे बदबूदार कोढ़ ।'

सुनते ही रमिया तुनक पड़ी—'ओह । कहां से सुन आए हो, यह सब । यह भगवान की देन है । उसी का प्रसाद है ।'

मंगतू ने मुंह पिचकाया—यह तो पेट भरों की बात है । ससुर पण्डित से सुना होगा । वह यही सब बताता है, लोगों को । सब्ज बाग दिखाता है। स्वर्ग नर्क की की बात करता है ।'

धीरे स्वर में रमिया बोली—'वह झूठ नहीं कहता । कर्म करो, किए जाओ ।'

मंगतू विपाक्त भाव से मुसकराया । मीठी बात थी तो वह चुप रह गया ।

रमिया ने कहा—'मैं तो औरत जात हूं । कमजोर भी हूं । लेकिन इतनी समझती हूं, मेरे आधार तुम हो । जब तुम्हीं रोते रहे, तो मैं क्या इस जीवन में ठहर सकती हूं, कदापी नहीं ।

उन दिनों देश में सत्याग्रह का जोर था । सरकार—पसन्दों में जमींदार और साहूकारों का बाहुल्य था । फिर भी एक जादू सबके सिर पर चढ़ कर बोल रहा था—इन्कलाब, जिन्दाबाद । महात्मा गांधी की जय हो । व्यक्ति और समाज पर यह जादू अपना प्रभाव डाल रहा था । उस सम्मोहन मंत्र का प्रभाव चर्मकार मंगतू पर भी पड़ चुका था । जिस जमींदार के यहां वह नौकर था, वह गांधी आन्दोलन, के विरुद्ध था । इसलिए एक ही स्थान पर गांधी का शत्रु था और मित्र । यद्यपि मंगतू मन से दुर्बल था, परिस्थितिवश क्षुद्र और हीन भाव लिए था, परन्तु उसकी आत्मा में जिस पुरुषत्व का भाव ठठाके मार रहा था, तो उससे प्रभावित होकर मानों वह नव-जीवन पा रहा था । महात्मा जी की जादू भरी वाणी ने उस व्यक्ति के मन में समाविष्ट अन्धकार को चीर दिया था । वह दो बार शहर आकर गांधी जी का भाषण सुन आया था । फलस्वरूप, मंगतू ने अपनी दीनता और हीनता की भावना को पहचान लिया था । उसने समझ लिया था, पाप उसका है, वह स्वयं अन्धकार में पड़ा है । वह क्षुद्र या अन्त्यज नहीं, केवल इन्सान है । धरती उसकी मां है । वह उठे, बल प्राप्त करे, तो उसका मार्ग प्रशस्त होगा । जीवन का बन्द द्वार खुलेगा । उसका भी विश्व आवाहन करेगा ।

परन्तु हाय ! मंगतू के मानस में तो ईर्षा थी । तुच्छ भाव था । ऐसे वह नहीं चला सकता था । भगवान की भावना को पाने के लिए उसे अकिंचन नहीं, चिन्तक बनना था ।

लेकिन अब मंगतू ने गांधीजी के उपदेश सुने, तो लगा, वह किसी पुनीत गंगा में गोता लगा बैठा । भीड़-की भीड़, जब गांव से गांधीजी का भाषण सुनने गई, तो मंगतू तटस्थ नहीं रहा । रमिया को लेकर शहर पहुंचा । जाहिर था कि गांधी जी ने अपने भाषण के सन्दर्भ में हरिजनों, को भी सम्बोधित किया था । उन्होंने कहा था—'अधिकार कोई देता नहीं, लिया जाता है । हरिजन अपने को समझें । स्वयं को सच्चा इन्सान सिद्ध करें । अछूतपन का तो कलंक उनके माथे पर लगा है, अपने कर्म से उसे स्वयं मिटाना होगा ।

यह कल्पनातीत था कि मंगतू स्वतः ही जमींदार का काम छोड़ कर नगर के कारखाने में भर्ती हो गया कि जहां उसे सिखाने-पढ़ाने के साथ जीविका के निमित्त कुछ प्राप्त होता था । रमिया को भी उसी कारखाने में भर्ती करा दिया ।

स्पष्ट था, मंगतू की इस गति-विधि से जमींदार को हानि पहुंची । इसलिए कि वह मेहनती और सस्ता था । फलस्वरूप जमींदार प्रतिशोध लेने पर उतारु हुआ । प्रमाद में सामान्य शिष्टता को छोड़ बैठा । उसके द्वारा न केवल मंगतू अपमानित किया गया, अपितु गांव से निष्काशित करने का भी भय दिखाया गया । जमींदार ने गांव भर में यह ऐलान करा दिया, यदि कोई गांधीजी का भाषण सुनेगा तो उसका नाम पुलिस में दिया जाएगा ।

लेकिन मंगतू सामाजिक और मानसिक रूप से भले ही दुर्बल था, वह शरीर से बलिष्ठ था । यदि वह चाहता तो जमींदार की गर्दन मरोड़ देता । किन्तु वह तो उन दिनों गांधीघट से अमृत पी रहा था । अतएव उस विषय की ओर उसका ध्यान नहीं था । वह उस अपमान को पी गया ।

किन्तु जमींदार के मस्तिष्क पर जब एक बार विपरीत प्रतिक्रिया हुई, तो वह रुकी नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ती गई । उसकी यह भी धारणा थी कि गांधीवाद ने समाज की व्यवस्था मिटा दी है । ऊंच-नीच की दीवारें टूटने लगी हैं। जहरीला धुआं घुट गया है, इस देश के आंगन में । यूं जमींदार उसके प्रभाव से अछूता नहीं था । उसका सन्तुलन जा चुका था । उसका विस्फोट उस समय हुआ कि जब जमींदार के घर डाका पड़ा । उसमें कई ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखवाए गए, जो गांधीवादी विचार रखते थे । मंगतू भी उनमें एक था । जमींदार की धारणा थी कि यह गांधीवादी का काम है ···उनमें चोर और डाकू भी आ मिले हैं······ऐसे व्यक्तियों पर मुकदमा चला कर दण्ड दिलाना उस जमींदार का अभिप्राय था···

परन्तु जमींदार की चिंता का विषय यह था कि स्वयं उसकी पत्नी और पुत्र गांधी आन्दोलन से प्रभावित हो गए थे । पति की नीति का पत्नी ने विरोध किया । मंगतू और उसके साथियों पर जो आरोप लगाया गया, वह मां-बेटे की दृष्टि में

अमानवीय था । उस घटना से कुछ दिन पूर्व ही, मंगतू गांव के कई व्यक्तियों के साथ सत्याग्रह आन्दोलन में सक्रिय रहा और पांच मास की जेल काट आया था । उस समय जनता ने उसका अभिवादन किया और गले में फूलों का हार डाला था ।

किन्तु असलियत रूप से जब जमींदार का प्रतिरोध घर में ही आरम्भ हुआ तो वह एक दिन इतना लाल बना कि बन्दूक उठाकर पत्नी को ललकार बैठा, 'तुम्हारा खून कर दूंगा' । तुम एक शूद्र और क्षुद्र व्यक्ति का पक्ष लेती हो । वह मंगतू चार दिन जेल में क्या रह आया उसे देवता समझ बैठी हो । वह मेरे रास्ते का कांटा है । उसे तोड़ दूंगा ।

पत्नी भी राजपूतानी थी । पति को उद्धत और विवेकहीन बना देखा तो वह अत्यधिक विकृत हो उठी, 'तुम अन्यायी हो····मनुष्यता के शत्रु···· ।

जमींदार खिसिया गया—'उपदेश मत दो । मेरे रास्ते में मत आओ ।'

लेकिन पत्नी का मत था कि गांधी देवता है । उसकी सेना का सिपाही देश के लिए त्याग करता है । क्षुद्र मंगतू आज गांव में प्रतिष्ठा पाता है । किन्तु जमींदार इसे स्वीकार करने को तत्पर नहीं था । उसका मत था कि तुम्हारी भी आस्था अन्धी है । अंग्रेजी साम्राज्य में सूर्य नहीं छिपता । गांधी आज भी जेल में पड़ा है । और पत्नी का कहना था, यही उसकी महानता है । भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था । गांधी दूसरों के लिए तप और त्याग करता है । वह पुण्यात्मा है ।

उसी समय पुत्र उधर आया । पिता को हाथ में बन्दूक लिए देख, वह बोला—' तो आप घर में बहादुरी दिखाते हैं । वह भी औरत पर । 'उसने कहा—'यदि आपको इन्सान का खून करने की भूख है, तो मुझे मार दीजिए । मां पर गोली चलाने की कल्पना मत कीजिए ।

सुनते ही, जमींदार चीख उठा । 'तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है । लगता है अब यह घर जल जाने वाला है । धू-धू करके धधक उठेगा ।

पुत्र जवान था । उसकी नसों में गरम खून था । फिर भी वह शालीन बना था । वह विषाक्त भाव से मुसकराया— 'आप स्वयं अपने शत्रु बन रहे हैं, पिताजी । देश की भी कब्र खोद रहे हैं । जो लोग दासता के बंधन खोलने पर तुले हैं, आप उन्हीं के विपरीत बने हैं ?'

जमींदार चीख उठा । 'चुप रहो । चुप रहो ।'

पत्नी ने कहा—'तेरा बाप देश का शत्रु है ही ,इस घर का भी है । इस बन्दूक पर नाज करता है । इससे चिड़िया मार दी, तो अब आदमी मारने पर तुला है ।'

जमींदार बोला—'ब्रिटिश राज्य की तोपें मशीनगन····उस गांधी का सत्याग्रह··· वाह । कैसा मजाक है । लोगों ने गुड़ियों का खेल समझ लिया है ।

पुत्र ने कहा—'जी हां । तभी तो जेलें भरी हैं, देश भक्तों से, आज अपनी सीमा में बंधे हैं । इस जमींदारी के आवरण से ढके हैं । धन्य हैं वे लोग जो देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग रहे हैं । और तो और आज इस गांव का अदना सा आदमी मंगतू चमार भी विशिष्ट व्यक्ति बना है । उसकी औरत भी महिला वर्ग में चर्चित है । बच्चे, जवान और बूढ़े, राज्य की पाशविक शक्ति को फेल कर रहे हैं । शासक जुल्म करता है और देश भक्त उसका विरोध करते हैं ।'

इतनी देर में पत्नी बोल उठी । 'बेटा, तेरा बाप आज इंसानियत का मुंह काला कर रहा है । अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है । जिस धन पर वह बैठा है वह बारूद का ढ़ेर है । किसी भी दिन इस घर को जला देने वाला है ।'

परन्तु बहुप्रतीक्षित वह दिन आ गया कि जब देश स्वतंत्र हुआ । जमींदार चकित था । पाशविक शक्ति पर आत्म बल विजय पा रहा था । उसकी दृष्टि में सब कुछ कल्पना से परे था ।

गांव में जलसा था । विजियोत्सव मनाया जा रहा था । दीपोत्सव की तैयारी थी । संध्या का समय । सहसा, जमींदार ने देखा कि मंगतू खद्दर का कुर्ता, धोती और टोपी पहने पत्नी सहित जमींदार के द्वार पर आया । जमींदार की पत्नी और पुत्र ने उनका अभिवादन किया । किन्तु मंगतू जमींदार की ओर बढ़ा—'आप अब भी गांव के सिरमौर हैं अपना वरद हस्त हमारे सिर पर रखें, आशीष दें ।'

लेकिन जमींदार बोल नहीं पाया । उसके मन का ममत्व आंखों में उतर आया । वह रो पड़ा ।

काश, वह देख पाता, सब की आंखों में आंसू थे । और वे एक सम्मोहन मंत्र के वशीभूत हो चुके थे ।

दूर गांव में शोर उठा था—'इन्कलाब जिन्दाबाद····'

महात्मा गांधी की जय हो । और मानो वह समूचा परिवार उस ध्वनि के स्वर में खो गया था ····मुखरित हो उठा था ··· ।

श्याम नगर,
लिसाड़ी गेट,
मेरठ-2 (उ० प्र०),

> जिस प्रकार आग आग को नहीं बुझा सकती उसी तरह पाप पाप का शमन नहीं कर सकता ।
>
> **'टालस्टाय'**

रूपक

# सोलह दूनी आठ

चन्द्र दत्त 'इन्दु'

## प्रथम आवरण

(गांव की चौपाल । कुछ लोग बैठे बातचीत कर रहे हैं ।)

चौधरी : समय बड़ा बलवान होता है भइया मलखान । इसका मारा पनप नहीं सकता । और समय जिसके साथ हो––वह तो इसी नीम की तरह है ।

मलखान : बात आपकी ठीक है, मगर समय के साथ होने के मिसाल की तुक आपने नीम से कैसे भिड़ा दी ।

चौधरी : तुम्हारे हाथ में क्या है ?

मलखान : नीम की निबौली ।

चौधरी : क्या करोगे इसका ।

मलखान : देख नहीं रहे आप––खा रहा हूं । बड़ी मीठी है । जरा खाकर देखो । आजकल के मौसम में है भी बड़ी फायदेमंद ।

चौधरी : बस यही तो मैं कह रहा हूं । यह खूब समय-समय की बात है । मौसम का असर लाकर नीम फला है । तुम्हारे लिए मीठी-मीठी निबौलियां गिरा रहा है । वर्ना कड़वे नीम की मिसाल तुम्हें याद होगी ।

मलखान : वाह क्या तुरप चाल भेड़ दी । वैसे बात ठीक है । समय कड़वे नीम को भी कुछ दिनों के लिए मीठा बना देता है ।

चौधरी : मगर भइया, अपने नम्बरदार तिरखा पर पता नहीं समय का असर क्यों नहीं पड़ता । उसके मुंह की दुनाली तो हमेशा कड़वा जहर ही उगलती रहती है ।

मलखान : चौधरी साहब । देखते रहो । वह भी पलटा खाकर रहेंगे । मेरे देखते-देखते गांव बदल गए । गांव के रहने वाले बदल गए । शासन बदल गए, तो वह क्यों नहीं बदलेंगे ।

चौधरी : पता नहीं, उसके बदलने का महूरत (मुहूर्त) कौन घड़ी में आएगा । बनती बात को बिगाड़ना उसके बाएं हाथ का खेल है । अच्छा भला काम था । गांव का टूटा खम्भा ठीक हो रहा था, मगर वहां भी टांग अड़ा दी । बरसात में गांव के अन्दर आने वाले रास्ते को देखा, क्या हाल हो रहा है ।

मलखान : हाल क्या । इतना कीचड़ है कि सामान लदी क्या खाली बुग्गी को खींचने में भी मेरा भैंसा दम लगाता है ।

चौधरी : हम बेकार सरकार को दोष देते हैं । जब हम ही तीन तेरह हैं, तो सरकार क्या करेगी ? कहीं अकेला चना भी भुनता देखा है ।

मलखान : वैसे तो काका तिरखा ने सारी पंचायत की रेड़ पीटकर रख दी ।

चौधरी : पंचायत की क्या गांव की रेड़ पीट रहा है । बिजली इसलिए तो नहीं लगी कि बिना पैसे दिए लोग उसका फायदा उठाएं ।

मलखान : वो कैसे ?

चौधरी : तुम्हें पता नहीं । तिरखा के लड़के ने खम्बे के तारों में तार अटकाकर सीधी बिजली घर में पहुंचा रखी है । दिन रात उसी से बिजली जलाते हैं : रेडियो सुनते हैं, पंखा चलाते हैं ।

मलखान : यह बेईमानी ही नहीं––सरकार के माल पर डकैती है ।

चौधरी : उसकी देखा-देखी कई लड़कों ने यह किया है । मां-बाप क्यों कहें । मुफ्त का आराम किसे खलता है ।

मलखान : मगर यह देश के साथ गद्दारी नहीं । क्या इसे आप भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे ?

चौधरी : कहेंगे क्यों नहीं भइया । मगर क्या हो ? मैंने एक दिन कह दिया था––लड़ने-मरने को तैयार हो गया । अब बताओ ––जब हमारे अंदर ईमानदारी नहीं, तो हम देश को कैसे सुधार सकते हैं । अब दिल्ली का कोई नेता तो हमारी समस्या सुलझाने से रहा । गांव हमारा है । रहना हमें है––हम समस्याएं बढ़ाएं, बुराइयों में फंसे । भाई-चारे को भूलकर झगड़े-टंटों में उलझे रहे । तनिक सी बात पर थाने में जाएं और कचहरी के दरवाजे खटखटाएं, तो फिर राम राज्य किस तरह आएगा ।

मलखान : समस्याएं तो बहुत हैं । मुझे लगता है, इलाज की दवा इसलिए ठीक नहीं बैठती कि रोग की जड़ का पता नहीं लगा ।

चौधरी : तुम्हारी राय में क्या है वह जड़ ।

मलखान : मुझे पता होता, तो अब तक ससुरे रोग को ही उखाड़ फेंकता ।

पोस्टमैन : राम-राम पंचो ।

मलखान : अरे, वाह मुंशी जी, आप कहां से प्रकट हो गए ।

पोस्टमैन : आपके रोग की जड़ ढूंढ़कर लाया हूं। मगर चौधरी साहब। गांव की कीचड़ का तो इलाज करवाइए—देखिए बेचारी साईकिल और मेरी एकलौती सरकारी पैंट का क्या हाल हो गया।

चौधरी : लगता है—कीचड़ में साईकिल फिसल गई।

पोस्टमैन : साईकिल नहीं, फिसला तो मैं। साईकिल हाथ में थी। बचते बचते भी कीचड़ ने दुलार ही दिया।

मलखान : चलो, प्रसाद मिल गया। आज तो थैला –भारी– सा लगता है। काफी चिट्ठियां आई हैं क्या ? कोई मेरी भी है ?

पोस्टमैन : चिट्ठियों के थैले में बरसाती रखी हुई है, इसी लिए भारी लग रहा है। वैसे चिठ्ठियां भी हैं; मगर आपकी नहीं। कहीं लिखो, तो जवाब भी आए।

मलखान : लिखनी नहीं आती तो लिखूं कैसे ? वक्त जरूरत पर किसी बाल-बच्चे से लिखवा लेता हूँ। अपनी तो यूं ही बीत गई।

पोस्टमैन : देखा, चौधरी साहब। रोग की जड़ तो आपके पास ही खाट पर बैठी है।

मलखान : मुझे रोग की जड़ बता रहे हो ? तिरखा नम्बरदार ने रास्ते में घुट्टी तो नहीं पिला दी।

पोस्टमैन : घुट्टी क्या पिलाता। आज तक उसने कभी एक बीड़ी तक नहीं पिलाई, मैं मांगकर पीता भी नहीं। लो, दिल्ली की बनी बीड़ियां लाया हूं। जरा पी कर देखो—जबलपुर मार्का भूल जाओगे।

मलखान : बहला रहे हो। पहले यह बताओ मैं रोग की जड़ कैसे हूं। तुमने तो सरे-आम मुझे गाली दे दी।

पोस्टमैन : ऐसा क्यों सोचते हो मलखान सिंह। भला, मैं गाली दूंगा। वह भी तुम्हें। मगर भइया सच्चाई तो सच्चाई होती है। मने गलत तो नहीं कहा।

चौधरी : अब मुंशीजी साफ-साफ कह डालो। यूं पहेलियां बुझाते रहोगे, तो कहीं हंसी-हंसी में और कुछ न हो जाए ?

पोस्टमैन : मैं हंसी कहां कर रहा हूं। आप ही बताओ—भाग्य का लिखा किसने पढ़ा है ?

चौधरी : किसी ने नहीं ?

पोस्टमैन : आप कहोगे कि मलखान सिंह के भाग्य में विद्या नहीं थी, इसीलिए नहीं पढ़ा।

मलखान : यह तो है ही। वर्ना मेरे घर किस बात की कमी है। मेरा लड़का 12 क्लास में नहीं पढ़ रहा क्या ?

पोस्टमन : मगर अब भाग्य का लिखा बदला जा रहा है।

चौधरी : क्या कहा। कौन भगवान का ऐसा अवतार हो गया धरती पर।

पोस्टमैन : भगवान का अवतार अब होने की गुंजाइश ही कहां है। इंसान अपना भला-बुरा सोचने लगे, तो भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत।

चौधरी : मुंशीजी, आप भी हैं नम्बरी। असली बात को फिर खटाई में डाल दिया। वो जड़ किस जमीन में धंस गई।

पोस्टमन : अजी, वो भी बताऊंगा, जरा दम तो लेने दो।

मलखान : लगता है, अब कन्नी काटने लगे, मगर मुंशी जी यूं नहीं छोड़ूंगा। तुमने जो कहा है, या तो उसकी सच्चाई बताओ, वर्ना अपनी बात को बैरंग लौटा लो।

पोस्टमैन : सबर करो भइया। कलेजा क्यूं फाड़कर रख रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ।

मलखान : दो पूछ।

पोस्टमैन : पढ़े-लिखे और अनपढ़ में क्या अन्तर है।

मलखान : मैं झूठ हीं बोलूंगा। अन्तर तो बहुत लम्बा है। मेरा बहुत मन करता है कि साइंस की तरक्की के बारे में नई-नई बात जानूं, पंचायत में जो अखबार आता है, उसे पढ़ूं। कभी-कभी मेरा लड़का रंग-बिरंगी तस्वीरों वाला अखबार लाता है। उसमें वह घंटों डूबा रहता है।

पोस्टमैन : तो तुम भी यह सब पढ़ना चाहते हो मगर क्यों ?

मलखान : क्यों क्या मुंशीजी। नई-नई बातें कौन नहीं जानना चाहता

पोस्टमैन : मतलब यह हुआ कि एक तरह बिना पढ़ा आदमी-अधूरा ही आदमी रहा।

मलखान : हां, इस बात से मैं सहमत हूं।

पोस्टमैन : भइया, यही मैं कह रहा था। हमारे देश में तुम जैसे लोगों की संख्या बहुत है। अब तुम्हीं बताओ—बिना पढ़ा, एक तरह समाज और देश के विकास में पूरा सहयोग कैसे दे सकता है। नहीं दे सकता, तो वह एक तरह रोग की जड़ ही तो हुआ।

मलखान : मगर कौन से रोग की ?

पोस्टमैन : अरे, समझे नहीं—जैसे बीमारी आदमी को बेकार बना देती है। अशिक्षा भी उसी तरह है। उसके अभाव में आदमी एक तरह पंगु ही बना रहता है। अशिक्षा हमारे देश के लिए एक भयंकर रोग है।

मलखान : समझा, मगर मुन्शीजी,। मैं क्या करता। पहले मां-बाप पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। ऐसे स्कूल, कालेज भी कहां थे। अब 55 वर्ष की उम्र में क्या स्कूल में नाम लिखाऊं।

चौधरी : अब जवाब दो मुंशीजी। तुम्हीं मलखान सिंह को कुछ पढ़ा-लिखा दो।

पोस्टमैन : चौधरी साहब, आप तो पढ़े-लिखे हैं। रेडियो भी सुनते हैं और अखबार भी पढ़ते हैं।

चौधरी : हां वह तो करता हूं।

पोस्टमैन : तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश में प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी सरकार बहुत कुछ कर रही है। गांव-गांव में रात्रि पाठशाला हैं और खोली जा रही हैं।

मलखान : मगर मुंशीजी, बुढ़ापे में पढ़कर होगा क्या ?

पोस्टमैन : भइया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। अभी तुम कह रहे थे, तुम्हारी भी पढ़ने की इच्छा होती है।

मलखान : वह तो मैं रामायण भी पढ़ना चाहता हूं।

पोस्टमैन : तुम जैसे लाखों नहीं, करोड़ों लोग इस देश में हैं, जिनके अंदर पढ़ने-लिखने की भूख है। इसीलिए तो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

मलखान : इस हिसाब से तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।

पोस्टमैन : क्यों न करे। अपनी सरकार है। अब भी देश और जनता के हित की नहीं सोची जाएगी, तो कब सोची जाएगी।

चौधरी : वैसे भी मुंशीजी, अनपढ़ नर पशु समान होता है

पोस्टमैन : (हंसकर) मगर चौधरी साहब अपना—मलखान अब उनमें से नहीं रहा।

चौधरी : कैसे नहीं रहा। अभी तो यह अंगूठा टेक है। सोलह दूनी आठ वाला हिसाब ही जानता है।

पोस्टमैन : ऐसी बात नहीं। इनके मन में पढ़ने का संकल्प आ गया, तो समझो—पढ़ने ही लग गए ?

मलखान : जरूर पढ़ूंगा—मेरे मन में एक इच्छा और भी है ?

पोस्टमैन : वह क्या ?

मलखान : मन की बात बताऊं ? हंसोगे तो नहीं ?

चौधरी : हंसेंगे क्यों ?

मलखान : पढ़ना-लिखना जिस दिन आएगा, उस दिन घर वाली को एक प्रेम पत्र जरूर लिखूंगा। बड़े दिन से मन में तमन्ना है।

पोस्टमैन : वाह भई, बड़ी गहरी छानी है। मगर मलखान सिंह इस उम्र में प्रेम पत्र का क्या असर होगा। फिर चौधरन तो तुम्हारे पास ही रहती है।

मलखान : उससे क्या। प्रेम पत्र लिखना होगा, तो उसे मायके भेज दूंगा, मुंशीजी, मेरे मन में है, तो करूंगा जरूर।

पोस्टमैन : जरूर लिखना चाहिए। पत्र पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी रही।

चौधरी : वाह भई वाह। सूत न कपास—कुरता पहनने की तैयारी।

मलखान : कैसे ?

चौधरी : पहले पढ़ना-लिखना तो सीखो —प्रेम पत्र तो बाद में ही लिखना। मुंशीजी तुमसे मजा ले रहे हैं।

मलखान : चौधरी साहब। आप मलखान सिंह को पूरी तरह नहीं जानते। मैं जो प्रतिज्ञा कर लेता हूं, उसे पूरा करके छोड़ता हूं। कल से रात वाली पाठशाला में जाना शुरू कर दूंगा।

चौधरी : आज से क्यों नहीं।

मलखान : जरा घरवाली से भी सलाह-मशविरा कर लूं। उसे भी तो तैयार करना है।

चौधरी : वह किस लिए ?

मलखान : क्या औरतों को शिक्षा जरूरी नहीं। मैं पढ़ूंगा तो घर वाली को अनपढ़ कैसे छोड़ दूंगा। जमाने की ओर देखो चौधरी साहब। चौधरन को भी तो पढ़ाना चाहिए।

चौधरी : यह बात तो सममुच बड़े मार्के की कही। हमने यह तो सोचा ही नहीं। गांव में प्रौढ़-महिलाओं के लिए भी तो पाठशाला खुलवानी चाहिए। बाहर ज्ञान रहे—घर में अंधेरा—इससे काम नहीं चलने वाला।

पोस्टमैन : अब बताओ चौधरी साहब। अपने मलखान सिंह कितने काम के आदमी हैं।

चौधरी : हैं तो सही।

मलखान : मगर मुझे तो आप रोग की जड़ बता रहे थे।

पोस्टमैन : वह जब तक थे, जब तक तुमने पढ़ने-लिखने पर ध्यान नहीं दिया था।

मलखान : मगर एक बात बताऊं :

चौधरी : अब क्या नया करिश्मा दिखाने वाले हो ?

मलखान : अपने झगड़—काका, बीजू पहलवान और तिरखा को भी पाठशाला में ले जाना जरूरी है।

चौधरी : क्यों ?

मलखान : इनकी खोपड़ी में भरा लड़ाई-झगड़े का गोबर निकल जाए, तो यह गांव स्वर्ग बन जाए।

चौधरी : उनकी घरवालियों को भी पढ़ाना चाहिए।

मलखान : यह वे जानें। अपनी घर वाली को पढ़ाने में तो मेरा स्वार्थ है।

पोस्टमैन : स्वार्थ है—कैसा स्वार्थ ?

मलखान : मुंशीजी—कहीं एक तरफा प्रेमालाप भी मजेदार होता है : मैं उसे प्रेमपत्र लिखूं, वह उत्तर न दे, क्या मजा आएगा।

पोस्टमैन : समझा—तुम्हारी अकल का भी जवाब नहीं। बोलो—चौधरी साहब, अब तो उन्हें सोलह दूनी आठ न कहोगे।

चौधरी : अब तो सोलह दूनी बत्तीस क्या तैंतीस कहना पड़ेगा।

(तीनों हंसते हैं)

—सहायक सम्पादक
'नंदन' हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
18/20, कस्तूरबा गांधी मार्ग
नई दिल्ली-11000

# शीत-जन्य रोगों का होमियोपैथिक उपचार

● डा० बी० पी० मिश्र

शीत काल में अचानक शीत लहरी चल पड़ने से और गांव के लोगों में अच्छी तरह ठंड से बच सकने के गर्म कपड़ों के अभाव के कारण कुछ बीमारियां हो जाती हैं। पुरानी श्वास की बीमारियां भी इस मौसम में उभर आती हैं। उनका साधारण होमियोपैथिक इलाज नीचे लिखा जा रहा है।

**सर-दर्द, कान में पीड़ा**:—ठंडी हवा के लगने से अक्सर यह कष्ट हो जाया करता है। एकोनाइट-200 सवेरे-शाम 2 घंटे के अन्तर से 2-3 खुराक ले लेने से लाभ हो जाता है।

**जुकाम-खाँसी-बुखार**:—प्रथमावस्था में एकोनाइट–6–30 चार घंन्टे के अन्तर से लें।

**ब्रायोनिया** :—6–30, एकोनाइट से एक-दो दिन में लाभ न हो तो 4 घंटे के अन्तर से लें। । सिर में दर्द, कलेजे में खांसने से दर्द, प्यास अधिक अथवा प्यास न लगे।

**रयुमेक्स** :—6. 30, सवेरे हवा लगने से ही सूखी खांसी होने लगे, मुंह ढक कर रखने से खाँसी में आराम।

**कार्बोवेज**-200:—रात में सूखी खांसी, दिन में कम खांसी हो तो सुपह-शाम दो बार देना चाहिए।

**न्यूमोनिया** :—बच्चों में सर्दी लगने से ज्वर/पसली चलना, खांसी।

**एकोनाइट** :—आरम्भ में ही दें 6– 2 घंटे के अन्तर से। सल्फर-2 दिन एकोनाइट देने के बाद 6–30, 4 घंटे के अन्तर से।

**लाइकोपोडियम, चेलीडोनियम** :—नथुनों का श्वास के साथ हिलना, ज्वर खांसी 6. 30 4 घंटे के अन्तर से।

**दमा** :—पुराने दमे के मरीज का कष्ट इस मौसम में बढ़ जाता है।

**हिपर सल्फ**-30 :—4 घंटे के अन्तर से खांसने पर गल में दर्द, सुखी खांसी। ,

**पेट्रोलियम**-30 :4 खंटे के अन्तर पर।

**गले में दर्द** :—टान्सिल का प्रदाह, साथ में ज्वर।

**बेलाडोना**-6. 30,4 घंटे के अन्तर से दें।

**कल्केरिया कार्ब** :—एक–दो दिन में बेलाडोना से लाभ न हो तो इसे 4 घंटे के अन्तर से दें।

**हिपर सल्फ**-200 :— सवेरे-शाम गले में दर्द, दर्द कान तक जाए, निगलने में तकलीफ; गर्म सेंक से आराम।

**मर्कशाल**-30 :—4 घंटे के अन्तर से। गले में दोनों ओर दर्द, मुह में बार-बार पानी का आना। ❖

डी 770 मंदिर मार्ग,
गोल मार्केट,
नई दिल्ली-110001

---

संसार में प्राणियों के दुखः, शोक और भय के मूल में जो दुर्भाग्यादि हैं, उन सबको हिंसा से ही उत्पन्न हुआ समझना चाहिए।

# साहित्य समीक्षा

**बड़ौदा डायनामाइट षड्यंत्र :** विद्रोह का अधिकार : लेखक श्री सी० जी० के० रेड्डी, प्रकाशक : राजपाल एण्ड संज, कश्मीरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 143, मूल्य : 20.00 रु०

यों तो आपातकाल को लेकर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं किन्तु प्रस्तुत पुस्तक का इसलिए अधिक महत्व है कि उसका लेखक डायनामाइट षड्यन्त्र का स्वयं सहभागी रहा है। इसकी सारी यन्त्रणाओं, यातनाओं तथा इससे सम्बद्ध अनेक घटनाओं को उसने स्वयं भुगता है, दूसरे यह कि आपात्काल की घटनाओं एवं इतिहास पर प्रकाश डालने वाली यह प्रथम कृति है। स्वभाव से निर्भीक विचारों से सोशलिस्ट तथा पेशे से पत्रकार होने के नाते श्री रेड्डी ने डायनामाइट काण्ड की पृष्ठभूमि, गतिविधि तथा उसकी सार्थकता को एक सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, इस सारे नाटक में उन्होंने अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जार्ज फर्नान्डीस के भूमिगत और बाद में गिरफ्तार होने पर देश तथा विदेशों में जाकर वहां प्रबुद्ध जनों, विशेषरूप से समाजवादी आन्दोलनों से सम्बद्ध नेताओं एवं संगठनों के समक्ष पूरे भूमिगत आन्दोलन की भूमिका तथा औचित्य को सही रूप में प्रस्तुत करके इन्होंने इसके प्रति अन्तर्राष्ट्रीय सहानुभूति और सहयोग प्राप्त कर लिया था। खासतौर पर यूरोप के प्रमुख समाजवादी संगठन सोशलिस्ट इन्टरनेशनल न केवल इनके विचारों से सहमत हुआ बल्कि अपने अधिवेशन में बोलने का मौका दिया जिससे इस आन्दोलन की सारी स्थिति उसके सदस्यों के सामने स्पष्ट हो गई और वे इसके लिए हर तरह की मदद देने को तत्पर हो गए। इस सारे नाटक के प्रमुख अदाकार होने के नाते उन्होंने इस पुस्तक में अत्यन्त प्रभावशाली ढंग और स्पष्ट भाषा में सारे तथ्यों का निरूपण किया है।

मुख्य विषय के अतिरिक्त लेखक ने इसमें जो पांच परिशिष्ट जोड़ दिए हैं इससे कुछ दुर्लभ सूचनाएं मिल जाती हैं। श्री गिरधर राठी के सफल अनुवाद से हिन्दी पाठक काफी लाभान्वित हुआ है। सुन्दर छपाई, अनुरूप साज-सज्जा और कुछ महत्वपूर्ण चित्रों के कारण पुस्तक और अधिक आकर्षक बन गई है। इसके लिए प्रकाशक बधाई के पात्र हैं।

वी० पी० त्रिपाठी
51-ए०, निम्नवर्ग आवासगृह समूह
अशोक विहार-3, दिल्ली-110005।

**फलफूल :** सम्पादक : श्री रमेशदत्त शर्मा, प्रकाशक : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001, पृष्ठ संख्या 36, मूल्य : 1.25 रु०।

मनोहर बहुरंगे आवरण पृष्ठ से सुसज्जित पत्रिका 'फलफूल' का प्रवेशांक हिन्दी पत्रकारिता जगत् में स्वागत योग्य है। हिन्दी में कृषि तथा अन्य लोकोपयोगी विज्ञान की नई उपलब्धियों तथा हो रहे अनुसंधान कार्यों को लोकमानस तक पहुंचाने में परिषद् के प्रकाशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। पत्रिका 'फलफूल' उसी दिशा में एक अभिनव कदम है।

इस अंक में उद्यान विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की जानकारी के अलावा, नए अनुसंधान तथा उपलब्धियों का भी विवरण है। 'फलफूल' तथा सब्जियों के बारे में परिचय देने के साथ ही इस पत्रिका में नए साहित्य की समीक्षा भी है जिसमें विद्यार्थियों तथा शोधकर्ताओं को भी उपादेय सामग्री मिलेगी। अन्त में दिया गया बाग-बानी शीर्षक स्तम्भ अपने आप में काफी रोचक है।

आजकल ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि महानगर की शानदार इमारतों से लेकर गांव की झोंपड़ी के निवासी भी बागवानी का शौक पूरा करने को आतुर रहते हैं जिसके फलस्वरूप कहीं गमलों में फूल-पौधे तो कहीं छप्पर और दीवारों पर लगाए दीख पड़ते हैं। इस पत्रिका से बागवानी की इस प्रवृत्ति के विकास में काफी सहारा मिलेगा। ऐसा विश्वास है।

आम, नींबू, फूलगोभी और मिर्च से सम्बन्धित रचनाएं भी अत्यन्त उपादेय हैं और आशा है कि इसके सुधी पाठक अपनी बाग-बानी में इन तथ्यों का उपयोग करेंगे। उद्यान विज्ञान से सम्बन्धित इस पत्रिका में यदि प्रश्नोत्तर का स्तम्भ रखा जाए तो अधिक व्यावहारिक हो, जिसके माध्यम से लोग अपनी शंकाओं तथा कठिनाइयों का समाधान प्राप्त कर सकें।

वी० के० आज़ाद
ग्रा० पो०, रहीमपुर,
सबडिवीजन खगड़िया,
जिला—मुंगेर (बिहार)

**कहानियां बलीदान की : लेखक;** अक्षय कुमार जैन, प्रकाशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-10001, पृष्ठ सं० : 40, मूल्य : 4 रुपये ।

प्रस्तुत सचित्र पुस्तक में ऐसे 11 देशभक्तों की कहानियां दी गई हैं जिन्होंने अपने निजी सुख को तिलांजलि देकर देश की खातिर हंसते-हंसते अपने प्राणों की बलि दे दी। इनमें महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, लोकमान्य तिलक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और चन्द्रशेखर आजाद तथा कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने प्रचार से दूर रह कर प्राणोत्सर्ग किया पर उनका बलिदान किसी तरह कम नहीं। ये हैं, आल्हा-ऊदल, अजीमुल्ला खां, राजा देवीबख्शसिंह, अजीजन और सहीदाबाई। इन वीरों और वीरांगनाओं ने तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप अपने देश की सेवा की और निडरता पूर्वक शत्रु का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहूती दी। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल है और लिखने का ढंग इतना रोचक है कि बीच में छोड़ने को दिल नहीं करता। कई कहानियां छज्जू भगत और नजीर मियां की जबानी सुनाई गई हैं।

ऐसी पुस्तकें हिन्दी में कम लिखी गईं और किशोरों के साहित्य के रूप में बड़े अभाव को पूरा करती हैं।

तथापि एक-दो बातें खटकने वाली हैं। ऐसी पुस्तकें अधिकतम बच्चों तक पहुंचनी चाहिएं और इस दृष्टि से इस पुस्तक का मूल्य 4 रुपए बहुत अधिक लगता है। चित्र भी यदि उनकी गतिविधियों से सम्बन्धित होते तो पुस्तक अधिक अच्छी लगती। कहीं-कहीं प्रूफ की अशुद्धियां भी हैं।

—अशोक
28/11, शक्तिनगर, दिल्ली-110007

**संबंध :** लेखक, द्वारिका प्रसाद, प्रकाशक, राजपाल एण्ड सन्ज, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006, मूल्य : बारह रुपये

सरल तथा सुसज्जित गेट-अप के साथ, 'संबंध' जैसा विचित्र उपन्यास हर दृष्टि से देखने, पढ़ने और परखने योग्य है। द्वारिका प्रसाद जी अनगिनत पुस्तकों के रचनाकार हैं और हिन्दी साहित्य में उपन्यास के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण स्थान के बारे में दो रायों की गुंजाइश बहुत कम है । 'संबंध' उनका नवीनतम उपन्यास है। यह नवीनता केवल समय या तिथि तक ही सीमित नहीं बल्कि उनकी शैली या तकनीक में भी एक अद्भुत और विचित्र नवीनता है।

यह उपन्यास विभिन्न पात्रों के व्यक्तित्व और कृतित्व के अछूते चित्रण की श्रृंखला के रूप में दिलचस्पी का अटूट अनुभव प्रदान करता है। सामाजिक परिस्थितियों और व्यक्तिगत मानसिक गुत्थियों, दमित इच्छाओं पर लेखक की गहरी दृष्टि का प्रमाण उपन्यास के पन्ने-पन्ने में मिलता है, जहां लेखक द्वारा इनके विश्लेषण की बारीकी अपना जवाब आप ही है।

भाषा सरल और प्रवाहमयी है और विषयवस्तु को अधिक आकर्षक बना देती है। प्लाट की रंगारंगी, शहरी, तथा देहाती जिन्दगी के महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन जितना सम्पूर्ण है उतना ही ताजा है । समाज और समाज के भिन्न-भिन्न बनावटी रख-रखाव, झूठे गर्व और समय के बलवान हाथों से लापरवाही, बड़ी-बड़ी सामाजिक समस्याओं की जन्म-दात्री है। समय का उजाला, प्रकृति और प्यार की वादियां ही ऐसे तीर्थ स्थान हैं, जहां टटी-फूटी, बिखरी-बिगड़ी जिन्दगी पुनः संस्थापन की पनाह पाती है। इन सब पहलुओं के चित्रण में लेखक का यह उपन्यास एक बहुत ही सफल प्रयास है।

—राम प्रकाश 'राही'
बी-58, पंडारा रोड
नई दिल्ली-110003

**तेरहवां सूरज :** लेखिका : अमृता प्रीतम, प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज, कश्मीरी गेट, दिल्ली; पृष्ठ संख्या : 144, मूल्य : दस रुपये ।

इस भूतल पर अनेक प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। मानव भी उनमें से एक है। मानव अपनी निजी विशेषताओं के आधार पर इतर प्राणियों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। बात स्पष्ट है। वह अपनी शारीरिक तथा मानसिक विकास द्वारा कहां से कहां तक पहुंच चुका है।

प्रस्तुत औपन्यासिक कृति में मानव की चिन्तनशीलता की शक्ति पर प्रकाश पड़ता है, जो निरन्तर उसे सर्व-विध उन्नति की ओर अनादि काल से ही लेती जाती है। मानव अपने चिन्तन से ही अपने प्रगतिमार्ग में आने वाली बाधाओं और अन्य समस्याओं का उचित समाधान ढूंढता हुआ प्रगति के विविध क्षेत्रों में आगे बढ़ता गया है। मानव अपने वर्तमान से ही सन्तुष्ट न हो कर भविष्य के सुचारू जीवन के लिए प्रयत्नशील है।

इस उपन्यास में घटित घटनाएं तथा चरित्र निश्चत रुप से पाठक पर अपना प्रेरणा प्रद प्रभाव डालने में पूर्ण समर्थ हैं। उपन्यास इतना रोचक है और भाषा इतनी सरल-सुबोध है कि पाठक एक बैठक में ही इसे समाप्त कर सकता है।

मानव को अपनी चिन्तनशक्ति का एहसास कराने में समर्थ होने से यह बहुत ही पठनीय, तथा संग्रहणीय कृति है। 1

डा० लक्ष्मी नारायण पाठक
ए-339 सूर्य नगर, पो० ओ० चिकम्बरपुर
गाजियाबाद 201006

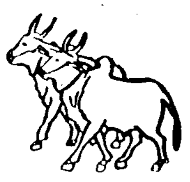

अब
किसान कठपुतली
नहीं रहा
मेहनत करता था किसान,
और अधिक अन्न उपजाता था।
मण्डी में व्यापारी के,
हाथों कठपुतली बन जाता था।
लेकिन अब!
किसान का भाग्य खुला है,
खाद्य निगम का साथ मिला है।
अब हर किसान को मेहनत का
फल पूरा और उचित मिला है।
बना किसान को कठपुतली
अब न कोई नचा पायेगा,
आने वाली फसलों से
किसान सपने साकार बनायेगा।
भारतीय खाद्य निगम,
किसान और उपभोक्ता दोनों
का सच्चा सेवक सच्चा हमदम।
भारतीय
खाद्य
निगम
राष्ट्र की सेवा में संलग्न
SWAIN

# पाठकों की राय

## ग्राम पंचायत को नई दिशा दें ✳ राधाकान्त भारती

आधुनिक भारत में लोकतांत्रिक पद्धति के अपनाए जाने के साथ ही ग्राम विकास के लिए ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना की गई। ग्राम-बहुल देश में ग्रामीण विकास के बिना राष्ट्र की प्रगति और विकास की बात केवल कपोल-कल्पना होगी। इसीलिए लोकतांत्रिक ढांचा अपनाकर ग्राम पंचायत के माध्यम से सत्ता के विकेन्द्रीकरण की योजना थी। तदनुसार भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धांतों में भी ग्राम पंचायत राज्य की परिकल्पना को यथेस्ट महत्व दिया गया है।

लेकिन इतने महान और व्यापक उद्देश्यों के बावजूद अब तक इससे वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो सके हैं। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों को छोड़ कर भारत के अन्य क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की स्थापना से ग्रामों में कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश के कई स्थानों पर राजनैतिक दखलंदाजी और गुटबाजी के फलस्वरूप ग्रामों का अपेक्षाकृत शांत वातावरण भी आंदोलित हो उठा है। ऐसी परिस्थिति में गांवों के अराजक तथा अवांछित हिंसक तत्वों को खुल कर-खेलने का मौका मिल जाता है जिससे पूज्य बापू के सपनों के ग्राम स्वराज्य की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है।

यह हर्ष की बात है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में निलंबित पड़े ग्राम-पंचायतों में पुनः चुनाव कराए गए, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतीष्ठा हुई। किन्तु इन चुनावों के दौरान, चुनाव अभियान और उम्मीदवारों के प्रचार के नाम पर क्या हुआ यह भी किसी से छिपा नहीं है। कई स्थानों पर घर जलाए गए, गोलियां चलीं, लोग मरे या घायल हुए। हालांकि यह बात तय हुई थी कि पंचायत चुनावों में राजनैतिक दल के आधार पर उम्मीदवार नहीं खड़े किए जाएंगे। ऊपर से देखने में तो बात ऐसी ही थी, किन्तु परोक्ष रूप में सत्तारूढ़ दल के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियों ने दलगत चालें चल कर किसी का विरोध किया तो किसी का पक्ष लिया ही। ऐसी स्थिति में केवल सिद्धांत रूप में आदर्शवादी बनते हुए वास्तविकता से मुंह मोड़ना उचित नहीं होगा। भारत के गांवों में चुनाव के दौरान आपसी भेद-भाव को लेकर होनेवाले संघर्ष को भी ग्राम पंचायतों के सहयोग से दूर किया जा सकता है। इसके लिए ग्रामीणों को उसी ढंग से प्रबुद्ध किया जाना चाहिए, साथ ही पंचायतों के चुनाव का ढंग भी बदला जाना चाहिए अन्यथा ग्राम पंचायत के प्रति ग्रामीण जनता की शेष बची आस्था भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी।

सौभाग्य की बात है कि अभी अखिल भारतीय पंचायत परिषद् का नेतृत्व श्री लालसिंह त्यागी जैसे अनुभवी व्यक्ति के पास है, जिन्होंने ग्रामीणों के बीच रह कर ही उनकी समस्याओं को देखा और समझा है। आशा है कि उनके सुझावों, जैसे पंचायतों के लिए वित्त व्यवस्था, राज्य सरकारों का सहयोग, कार्यकर्त्ताओं के लिए निश्चित कार्यक्रम, फंड की व्यवस्था आदि सराहनीय हैं। किन्तु प्रशिक्षण देने की प्रणाली पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। प्रत्येक बार चुनाव के बाद प्रशिक्षण देना कुछ उपादेय नहीं लगा।

गांवों में ग्राम पंचायत की मर्यादा बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि उसमें बुजुर्ग सुशिक्षित और अनुभवी लोगों को भी सम्मिलित किया जाए जो स्थानीय कारणवश चुनाव लड़ना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नामजद करके पंचायत में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक, डाक घर के प्रभारी, अवकाश-प्राप्त व्यक्ति, पंचायत के भूतपूर्व मुखियां या सरपंच के नामों पर विचार किया जा सकता है जिनके अनुभवों और दिशानिर्देश से ग्राम पंचायत को काफी लाभ हो सकता है। ●

सेक्टर-5, क्वार्टर 820
रामकृष्णपुरम्
नई दिल्ली

Regd. No. D (D)/98

LIBRARY

'जहाज' छाप सुपरफ़ॉस्फ़ेट का चमत्कार...

किसानों के लिए भरपूर पैदावार... कमाई बेशुमार...

अनेक वर्षों के अनुभव से किसानों की तसल्ली हो गयी है कि 'जहाज' छाप सिंगल सुपरफ़ॉस्फ़ेट से भरपूर फ़सल मिलती है।

जितनी भरपूर फ़सल, उतनी ही ज़्यादा पैदावार! और ज़्यादा पैदावार यानी किसानों और राष्ट्र की समृद्धि!

आपका विश्वासपात्र नाम

दि धरमसी मोरारजी केमिकल कं. लि.

प्रॉस्पैक्ट चैम्बर्स,
३१७/२१ डॉ. दादाभाई नौरोजी रोड, बम्बई ४०० ००१.

DMC/F 202

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित ।